वार्षिक रिपोर्ट

1993-94

नीपा

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

एक सम्मेलन के अवसर पर गणमान्य अतिथि के रूप में डॉ. चित्रा नायक, सदस्य, योजना आयोग और डॉ. जे. हल्लक, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस द्वारा संस्थान का दौरा

संगणक केंद्र का एक दृश्य

वार्षिक रिपोर्ट
1993-94

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

150 प्रतियां

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 1995

LIBRARY & DOCUMENTATION
National Institute of Educational
Planning and Administration,
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-9374
5.12.96

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के लिए कार्यवाहक कुलसचिव, नीपा द्वारा प्रकाशित तथा जूम डेस्कटॉप प्रिन्टर्स, 1899, उदय चंद मार्ग, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली - 110003 में लेजर टाइप सेट होकर, प्रभात ऑफसेट प्रेस, कूचा चेलान, दरिया गंज, दिल्ली -110002 में मुद्रित

विषय सूची

अध्याय

1.	सिंहावलोकन	1
2.	प्रशिक्षण	7
3.	अनुसंधान और प्रकाशन	19
4.	पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र और अकादमिक सहायता प्रणाली	43
5.	संगठन, प्रशासन और वित्त	46

अनुबंध

I.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	51
II.	संकाय का अकादमिक योगदान	61

परिशिष्ट

I.	नीपा परिषद के सदस्य	71
II.	कार्यकारी समिति के सदस्य	74
III.	वित्त समिति के सदस्य	76
IV.	योजना और कार्यक्रम समिति के सदस्य	77
V.	संकाय और प्रशासनिक स्टाफ	82
VI.	वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट	85

मिशन और उद्देश्य

- शैक्षिक योजना और प्रशासन में उत्कृष्टता का ऐसा राष्ट्रीय केंद्र विकसित करना जो योजना और प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाए और इसके लिए अध्ययन, नए विचारों और तकनीकों के सृजन का रास्ता अपनाए तथा रणनीतिक समूहों के साथ अंतःक्रिया और प्रशिक्षण के माध्यम से इनका प्रचार–प्रसार करे;

- केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के वरिष्ठ शिक्षाधिकारियों तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन से जुड़े विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी प्रशासकों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, संगोष्ठियों तथा परिचय–सत्रों का आयोजन करना;

- महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े प्रशासकों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना;

- इस संस्थान के समान कार्यों से संबद्ध संस्थाओं का नेटवर्क विकसित करना और ऐसी समर्थनकारी तथा साहयोगिक भूमिका अदा करना जिससे राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और प्रादेशिक क्षेत्रों का क्रमशः विकास हो सके।

- केंद्र और राज्य सरकारों में शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी नीति–निर्माण से जुड़े विधायकों समेत राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, संगोष्ठी और परिचर्चा का आयोजन करना;

- शैक्षिक योजना और प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर शोधकार्यों को सहायता और प्रोत्साहन देना और उनका समन्वय करना। इनमें भारत के विभिन्न राज्यों और दुनिया के अन्य देशों में प्रयुक्त योजनाकारी तकनीकों और प्रशासनिक कार्यप्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल हैं;

- शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर रहे कार्मिकों, संस्थानों और एजेंन्सियों को अकादमिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करना;

- राज्य सरकारों और शिक्षासंस्थाओं के अनुरोध पर सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना;

- शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार से संबंधित विचारों और सूचनाओं के लिए काम करना;

- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आलेखों, पत्रिकाओं और पुस्तकों की तैयारी, मुद्रण और प्रकाशन; विशेष रूप से शैक्षिक योजना और प्रशासन पर एक पत्रिका का प्रकाशन करना;

- अपने उद्देश्यों की अधिकाधिक पूर्ति के लिए भारत और विदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों, प्रशासन और प्रबंध के क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के साथ सहयोग करना;

- अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति और अकादमिक प्रोत्साहन वृत्ति प्रदान करना;

- शैक्षिक योजना और प्रशासन से जुड़े विख्यात शिक्षाविदों को मानद अध्येतावृत्ति प्रदान करना;

- अन्य देशों और खासकर एशियाई देशों के अनुरोध पर शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना तथा ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में उनका सहयोग करना।

1993-94

अध्याय 1

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान पिछले तीन दशकों से शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्थान के रूप में कार्य करता आ रहा है। फरवरी 1962 में स्थापित होने के बाद, अपने अस्तित्व के पहले 10 वर्षों में यह संस्थान यूनेस्को और भारत सरकार के एक समझौते के तहत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। 1 अप्रैल 1965 को केंद्र का नाम बदलकर एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान कर दिया गया। यूनेस्को से किए गए समझौते के ख़त्म होने पर और कोठारी आयोग की सिफारिश के कारण भारत सरकार ने यूनेस्को केंद्र की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लीं, तथा 1970 में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज की स्थापना की। इसका उद्देश्य राष्ट्र की शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी जरूरतों को पूरा करना तथा इस क्षेत्र में अर्जित अनुभवों और विशेषज्ञता का दूसरे देशों के साथ आदान–प्रदान करना था। 1979 में संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान रखा गया।

अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए संस्थान ने अपने अकादमिक कार्यक्रमों को चार विषयगत एककों में विभाजित किया है जो इस प्रकार हैं : (i) योजना (ii) प्रशासन, (iii) वित्त, और (iv) नीति। शैक्षिक स्तर पर दो एकक इस प्रकार हैं : (i) विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा, और (ii) उच्च शिक्षा। क्षेत्र स्तर पर दो एकक इस प्रकार हैं : (i) प्रादेशिक प्रणालियां, और (ii) अंतर्राष्ट्रीय एकक। अकादमिक कार्यों में पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र, प्रकाशन एकक, हिंदी कक्ष, इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग एकक, रिप्रोग्राफी और मानचित्रण कक्ष तथा साथ ही सामान्य प्रशासन और वित्त अनुभाग भी सहायता पहुंचाते हैं। प्रस्तुत रिपोर्ट वर्ष 1993-94 के दौरान संस्थान की प्रमुख गतिविधियों का लेखाजोखा प्रस्तुत करती है।

संस्थान की प्रमुख गतिविधियों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है : (i) क्षमता का निर्माण–प्रशिक्षण, (ii) ज्ञान का अर्जन और व्यवहार– अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, और (iii) ज्ञान का प्रसार–परामर्श, व्यावसायिक समर्थन और प्रकाशन।

प्रशिक्षण

कार्यक्रम का जोर : प्रशिक्षण के क्षेत्र में हमारा खास जोर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाओं का नेटवर्क बनाने पर रहा है। इसके अलावा हम प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर देते रहे हैं ताकि क्षेत्रीय, राज्यीय, स्थानीय और सांस्थानिक स्तरों पर प्रशिक्षण क्षमताओं का विकास हो।

प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों पर जोर दिया जाता रहा है, जैसे– सबके लिए शिक्षा, व्यष्टिस्तरीय योजना, जिलास्तरीय योजना, सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंध, आदिवासी शिक्षा, विकेंद्रीकृत प्रशासन, लैंगिक मुद्दे, पर्यावरण शिक्षा, संगणकों का प्रयोग, तथा साथ ही (i) अकादमिक स्टाफ कालेजों,

1993-94

(ii) स्वायत्त कालेजों और (iii) उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और प्रासंगिकता के लिए योजनाबंदी और इनका विकास।

विस्तार : इस वर्ष संस्थान ने 53 कार्यक्रम चलाए। इनमें भारत तथा दुनिया के 10 अन्य देशों के 1,153 भागीदारों को भाग लेने का अवसर मिला।

प्रशिक्षण सामग्री : क्षेत्र, राज्य और राष्ट्र के स्तर पर क्षमता के निर्माण के अंग रूप में संस्थान ने योजना और प्रशासन के बारे में स्वयं–अधिगम माड्यूल, आलेख और सांख्यिकीय आंकड़ा रिपोर्ट तैयार किए। प्रशिक्षण के हर कार्यक्रम में भागीदारों को कार्यक्रम के विषयों से संबंधित पठन–सामग्री दी गई। यह सामग्रियां संकाय द्वारा तैयार की गईं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित थीं।

प्रशिक्षण की पद्धति : ये सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतरशस्त्रीय हैं। प्रायोगिक और सामूहिक कार्य, केस अध्ययन और संगोष्ठियां इन कार्यक्रमों में शामिल रही हैं। प्रस्तुतियों को समृद्ध बनाने के लिए संगणकों, फिल्मों, वीडियो और प्रोजेक्टर जैसी प्रशिक्षण सहायता– सामग्रियों का प्रयोग किया गया। जब भी आवश्यकता हुई, भागीदारों को क्षेत्रीय दौरों पर ले जाया गया।

मूल्यांकन : प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन का एक तत्व अंतर्निहित रहा है। छः माह के शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा जैसे लंबी अवधि के कार्यक्रमों में यह मूल्यांकन निरंतर आधार पर किया जाता रहा है। पाठ्यचर्यात्मक कार्य के अलावा इन कार्यक्रमों के भागीदारों को डिप्लोमा पाने के लिए लघु शोध प्रबंध भी लिखने पड़ते हैं।

अनुसंधान

अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान संस्थान की अहम गतिविधियों में आते हैं। किसी भी नए कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले एक प्रायोगिक या गहन अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान अकसर उन पक्षों को लेकर किया जाता है जिन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बहस होती है। अनुसंधान की गतिविधियां शैक्षिक योजना, प्रशासन और नीति से संबंधित पक्षों को ध्यान में रखते हुए चलाई जाती हैं। शैक्षिक योजना और प्रशासन के अहम् क्षेत्रों में अनुसंधान के इच्छुक विद्वानों को अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन की सहायता देकर भी संस्थान अनुसंधान–कार्य को बढ़ावा देता हैं।

इस वर्ष 6 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हुई जबकि 17 परियोजनाएं प्रगति पर थीं। इसी वर्ष 5 नए अध्ययन भी आरंभ किए गए। पूरा होने वाली परियोजनाओं में 5 शिक्षाप्रणाली के कार्यकलाप पर केंद्रित थीं। इनमें से एक का संबंध समता और एक का संबंध गुणवत्ता के पक्ष से था। एक अध्ययन अनुसंधान की तकनीकों पर था। शेष दो अध्ययन महिला महाविद्यालयों की प्रधानाचार्याओं की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान से तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त लोगों की मांग के आकलन से संबंधित थे। इस समय जारी अध्ययन समता, विद्यालयी और उच्च शिक्षा, योजना और वित्त के पक्षों से संबंधित हैं।

परामर्श और व्यावसायिक सहयोग

संस्थान के संकाय के सदस्यों ने राष्ट्रीय, राज्यीय और सांस्थानिक स्तर के निकायों को तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी परामर्श और व्यावसायिक सहयोग प्रदान किए। मिसाल के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्यों के शिक्षा विभागों, राज्यों के उच्च शिक्षा परिषदों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों तथा यूनेस्को, विश्व बैंक और एस. आई.डी.ए. जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्श और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की गईं।

सूचनाओं का प्रसार

प्रकाशन : संस्थान नियमित रूप से अनुसंधान अध्ययन तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन पर एक हिंदी और एक

1993-94

अंग्रेजी में अनुसंधान पत्रिका का प्रकाशन करता आ रहा है। इस वर्ष नीपा ने अनेक अनुलिखित दस्तावेज़ों और शोधपत्रों के अलावा 6 पुस्तकों और पत्रिका के 6 अंको (चार अंग्रेजी और दो हिंदी में) का प्रकाशन किया।

विचार मंच : संस्थान ने एक विचार मंच का आयोजन किया जिसमें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कनाडा संघ सरकार के महानिदेशक डा. किशोरीलाल ने 'राष्ट्रीय लेखा की नई संयुक्त राष्ट्र प्रणाली : विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सेवा क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में' विषय पर एक व्याख्यान दिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग : आपसी महत्व की सूचनाओं और विचारों के आदान–प्रदान के लिए विश्वबैंक, यूनेस्को, एशियाई विकास बैंक, ब्रिटिश काउंसिल के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने संस्थान के संकाय और संयुक्त निदेशक के साथ विचार–विमर्श किया।

अकादमिक और सहयोगी एकक

संस्थान के अकादमिक कार्यक्रमों का संचालन आठ अकादमिक एककों द्वारा किया जाता है। इन अकादमिक और सहयोगी एककों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

अकादमिक एकक

शैक्षिक योजना एकक : इस समय केंद्रीकृत की बजाय विकेंद्रीकृत योजना पर जोर दिया जा रहा है। योजना एकक में इसी के अनुरूप अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श का ध्यानकेंद्र भी बदल गया है। इस समय खास जोर संस्था, जिला, राज्य और राष्ट्र के स्तरों पर योजनाबंदी के आगतों, प्रक्रियाओं और उत्पादों के समन्वय पर दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने के बाद परंपरागत अर्थ में व्यापक योजना की बजाय रणनीतिक और सांकेतिक योजना की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अलावा सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में योजना के सिद्धांत और व्यवहार के प्रति एक नई दृष्टि विकसित हुई है। इस एकक की ओर से अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श के कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

शैक्षिक प्रशासन एकक : अपने अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों और अन्य कार्यकलापों के द्वारा शैक्षिक प्रशासन एकक संस्था और संस्था से ऊपर के स्तरों पर शैक्षिक प्रशासकों की क्षमताओं में वृद्धि के प्रयास करता है। देश में इस समय 80,000 से अधिक विद्यालय हैं और इसलिए यह एकक अधिक से अधिक विद्यालयों तक पहुंच सकने के लिए नेटवर्क स्थापित करके प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंदित करता रहा है। यह एकक रेलवे विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, आश्रम विद्यालयों आदि विशेष प्रकार की संस्थाओं की जरूरतें भी पूरी करता है। शैक्षिक प्रशासन के ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए यह एकक शैक्षिक प्रशासकों में अभीष्ट प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के प्रयास भी करता है ताकि वे शैक्षिक विकास की नई–नई मांगों और चुनौतियों का सामना कर सकें।

शैक्षिक वित्त एकक : नई आर्थिक दशाओं ने शिक्षा बजटों पर अच्छा–खासा दबाव डाला है। शिक्षा प्रणाली की संसाधन संबंधी आवश्यकताएं तेजी से बढ़ रही हैं जबकि संसाधनों की उपलब्धता सीमित है और इस कारण दोनों के बीच की खाई बढ़ रही है। जरूरत संसाधनों के आवंटन, सरकारी और गैर–सरकारी संसाधनों की लाभबंदी और संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए प्रभावी विधियां विकसित करने की है। इसीलिए शैक्षिक वित्त का कारगर प्रबंध आज भारी महत्व का विषय है।

इसी के मुताबिक यह एकक अनुसंधान, परामर्श और प्रशिक्षण के क्षेत्र में तथा राज्य शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों की क्षमताओं को दृढ़ बनाने के लिए कार्यरत हैं। यह उन्हें शैक्षिक वित्त के

1993-94

नवीनतम विकासों और प्रवृत्तियों से परिचित कराता है और उन्हें वित्तीय प्रबंध को आधुनिक विधियों और तकनीकों की जानकारी देता है जिनमें संसाधनों का आबंटन, लाभबंदी और उपयोग भी शामिल हैं।

शैक्षिक नीति एकक : शैक्षिक नीति एकक शैक्षिक नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन, मय उनके मूल्यांकन के कुछ अहम् मुद्दों पर जोर देता है। यह शैक्षिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अनुसंधान कार्य चलाता और उन पर बहस को बढ़ावा देता है। यह राष्ट्रीय नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस एकक का खास जोर शिक्षा में समता और मांग पैदा करने से जुड़े मुद्दों पर रहा है।

चालू वर्ष में इस एकक की गतिविधियां मुख्य रूप से दूरदराज के इलाकों में शिक्षा की योजना और प्रबंध, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास, विकेंद्रीकृत योजना और सामुदायिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में केंद्रित रही हैं। 1992 की संशोधित शिक्षा नीति और कार्रवाई की योजना के कुछ पक्षों से संबंधित दिशानिर्देशों की तैयारी में भी इस एकक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक : यह एकक जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्रा में कार्यरत अधिकारियों तथा विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत दूसरे संबंधित अधिकारियों की दक्षता के विकास पर ध्यान देता है। यह विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा के प्रबंध से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को उठाता है और उनके सामाधान के लिए वैकल्पिक रणनीतियां तलाश करने के प्रयास करता है। प्रमुख अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करके यह एकक उनकी व्यावसायिक योग्यता/कुशलता में वृद्धि करने के प्रयास करता है। यह अनुसंधान परियोजनाएं चलाकर विद्यालय प्रणाली की कारगर योजनाबंदी और प्रबंध के बारे में उनके ज्ञान का विकास करने के प्रयास करता है। यह एकक विद्यालय शिक्षा के प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्रों और योजनाओं पर जोर देता है।

यह एकक अनुसंधान कार्य करता है और गुणवत्ता–सुधार के लिए विद्यालय शिक्षा की योजना और प्रबंध के बारे में परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

उच्च शिक्षा एकक : उच्च शिक्षा एकक का खास जोर समता, उत्कृष्टता, प्रासंगिकता, स्वायत्तता और जवाबदेही की धारणाओं का विकास करने पर तथा उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श प्रदान करके स्टाफ का विकास करने पर रहा है। 'प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण' के कार्यक्रम आयोजित करके और महाविद्यालयों के प्राचार्यों, अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशकों, स्वायत्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों, अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशकों, स्वायत्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों, महाविद्यालय विकास परिषदों के निदेशकों और उच्च शिक्षा निर्देशकों की क्षमताओं का विकास करके उच्च शिक्षा एकक योजना और प्रबंध की क्षमताओं का निर्माण करने के प्रयास करता रहा है। इस वर्ष इस एकक ने सामान्य, महिला और ग्रामीण महाविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों, के प्राचार्यों, अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशकों तथा शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ज़िलों के महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए है।

इस एकक ने अनुसंधान के क्षेत्र में स्वायत्त महाविद्यालयों पर, महिला महाविद्यालयों की प्राचार्यों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान पर, पिछड़े क्षेत्रों के महाविद्यालयों की विकास संबंधी योजनाओं पर और भारत के चुनिंदा विश्वविद्यालयों के विकास की रूपरेखाओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य उच्च शिक्षा परिषदों तथा देश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अपनी परामर्श–सेवाएं प्रदान की।

प्रादेशिक प्रणाली एकक : इस एकक में मुख्य रूप से

1993-94

निम्नलिखित क्षेत्रों पर जोर दिया है : सभी के लिए शिक्षा के संदर्भ में विकेंद्रीकृत और व्यष्टिस्तरीय योजना; सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन; शैक्षिक कार्यक्रमों की निगरानी और उनका मूल्यांकन; तथा प्रादेशिक स्तर पर शिक्षा के सूचकों का विकास। राष्ट्र के स्तर पर इस एकक के प्रमुख अध्ययन 'प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण', 'शैक्षिक प्रशासन का दूसरा अखिल–भारतीय सर्वेक्षण' और 'विद्यालय मानचित्रण' से संबंधित रहे है। एकक ने 'भारत में अनौपचारिक शिक्षा : एक मूल्यांकन' शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की जो औपचारिक शिक्षा की केंद्र द्वारा आयोजित योजनाओं के सिलसिले में देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों के मूल्यांकन–अनुसंधान पर आधारित थी। यह एकक राज्य सरकारों के सहयोग से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में क्षेत्र–आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

अंतर्राष्ट्रीय एकक : यह एकक खासकर विकासशील दुनिया के देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझदारी की भावना का विकास करने के प्रयास करता है। इसके लिए यह मानव संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर संगोष्ठियों और बैठकों का आयोजन करके विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान की व्यवस्था करता है। विकासशील देशों के शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए लंबी अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना इसकी प्रमुख गतिविधि है। इस कार्यक्रम में एक तरफ शिक्षा की संरचनाओं और प्रक्रियाओं (व्यष्टि, मध्य और समष्टि स्तरीय योजनाबंदी) और दूसरी तरफ शैक्षिक पर्यवेक्षण, प्रशासन, प्रबंध और नेतृत्व के देशीकरण पर जोर दिया जाता है। विभिन्न देशों की मांग पर यह एकक विशेष रूप से निरूपित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। समीक्षाधीन वर्ष में इस एकक ने चीनी शिक्षाधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसे यूनिसेफ ने प्रायोजित किया था। यह एकक तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और परामर्श की व्यवस्था भी करता है।

अकादमिक सहयोग के एकक

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र : संस्थान का पुस्तकालय शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित नवीनतम सामग्रियों का संग्रह करता है और उनके उपयोग से सुविधाएं प्रदान करता है। प्रलेखन और सूचना सेवा के जरिये सूचनाओं के प्रसार का कार्य किया जाता है। पुस्तकालय में 45,963 से अधिक पुस्तकें है और यह 350 पत्र–पत्रिकाओं का ग्राहक भी है। इसमें कंप्यूटर द्वारा पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं की सूची भी तैयार की जाती है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों की योजनाबंदी और प्रबंध के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए हैं।

प्रकाशन एकक : अनुसंधानों के परिणामों का प्रसार अनुसंधान करने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। कार्यपत्रों और सामयिक आलेखों के द्वारा भी अनुसंधानों की जानकारी दी जाती है। मोनोग्राफ और पांडुलिपियों के मिमियोग्राफ प्रसार का एक और उपाय हैं। यह एकक शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित कार्यपत्रों और सामायिक आलेखों, अंग्रेजी और हिंदी में पत्रिकाओं तथा पुस्तकों और अनुसंधान रिपोर्टों का प्रकाशन भी करता है।

हिंदी कक्ष : हिंदी को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय नीति के प्रत्युत्तर में संस्थान में अपनी पत्रिका के हिंदी संस्करण के दो अंक प्रकाशित किए। यह कक्ष हिंदी में प्रशिक्षण सामग्रियों के अनुवाद में भी सहायता प्रदान करता है। यह संकाय और प्रशासन को राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में भी सहायता प्रदान करता है।

मानचित्रण कक्ष : आंकड़ों की सचित्र प्रस्तुति, मानचित्रों, प्रशिक्षण संबंधी चार्टों, प्रदर्शन और प्रकाशन के कार्यों में यह कक्ष अपनी सेवाएं प्रदान करता है।

रिप्रोग्राफी कक्ष : संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह कक्ष प्रशिक्षण सामग्रियों, अनुसंधान पत्रों और मिमियोग्राफों की प्रतियां तैयार करने में सहायता करता है।

1993-94

प्रशासन : संस्थान के प्रशासनिक ढांचे में सामान्य, अकादमिक और कार्मिक प्रशासन आते हैं। 31 मार्च 1994 को संस्थान के स्टाफ की कुल संख्या 180 थी। इनमें अकादमिक और प्रशासनिक, दोनों प्रकार के कार्मिक शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं की अवधि के लिए नियुक्त 44 परियोजना कार्मिक भी हैं।

वित्त : इस वर्ष संस्थान को 140.52 लाख रुपये (गैर–योजना मद में 95.52 लाख और योजना मद में 45 लाख रुपये) का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष के आरंभ में संस्थान के पास 35.01 लाख रुपये (गैर–योजना मद में 3.48 लाख और योजना मद में 31.53 लाख रुपये) की रकम जमा थी। इस वर्ष कार्यालय और छात्रावास से 21.87लाख रुपये की प्राप्ति हुई। संस्थान के पास 41.77 लाख रुपये की रकम बकाया थी और उसे इस वर्ष दूसरे संगठनों से प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों के लिए 37.76 लाख रुपये की अतिरिक्त रकम प्राप्त हुई।

परिसर सुविधाएं : संस्थान के पास एक चार मंजिला कार्यालय भवन है, 48 कमरों वाला सात मंजिला छात्रावास है, और एक आवासीय परिसर है जिसमें टाइप । के 16 क्वार्टर, टाइप II, III, IV और V के 8-8 क्वार्टर और निदेशक निवास है। छात्रावास के विस्तार और उन्नयन के लिए इस समय निर्माण कार्य जारी है। इसमें वार्डेन–निवास, अतिथि संकाय आवास, अतिरिक्त ब्लाक का निर्माण, भोजन कक्ष का विस्तार और मनोरंजन कक्षों का निर्माण शामिल है।

1993-94

अध्याय 2

प्रशिक्षण

सरकार के वरिष्ठ शैक्षिक अधिकारियों के लिए तथा साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के उन प्रशासकों के लिए जो शैक्षिक योजना और प्रशासन के कार्यों में लगे हुए हैं, अभिविन्यास और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्याशालाओं और ऐसे ही दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन करना संस्थान के प्रमुख दायित्वों में एक हैं। संस्थान दूसरे देशों के प्रमुख शैक्षिक अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

दृष्टिकोण और बल के क्षेत्र

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा संबद्ध क्षेत्र में हो रहे नए विकासक्रमों से उपजी प्रशिक्षण–संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते समय भागीदार और निर्णयकर्मी प्रशिक्षण संबंधी जिन आवश्यकताओं की पहचान करते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। कार्यक्रम का आयोजन करते समय पहले के अवसरों पर भागीदारों द्वारा दिए गए सुझाव भी ध्यान में रखे जाते हैं। कार्यक्रमों के ब्यौरों की विवेचना करने के लिए कार्यबलों का गठन किया गया है।

साथ ही संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना तैयार करते समय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे–जिलास्तरीय योजनाबंदी, पिछड़े क्षेत्रों में संस्थाओं की योजनाबंदी और प्रबंध, अल्पसंख्यक प्रबंध वाली संस्थाएं, शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणकों की भूमिका, आदि।

संस्थान आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी केंद्रीय भूम्किा निभा रहा है। इसके लिए वह यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन विकासशील देशों के शिक्षाकर्मियों के लिए करता है।

अब नीपा धीरे–धीरे अपनी प्रशिक्षण संबंधी प्राथमिकताओं में परिवर्तन कर रहा है। आज संस्थान प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर तथा राज्य और क्षेत्र स्तर की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों के साथ नेटवर्क की स्थापना कर रहा है।

प्रशिक्षण सामग्री

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नीपा का संकाय अनुसंधान पर आधारित प्रशिक्षण सामग्रियों की तैयारी में सक्रिय रहा हैं। यह प्रशिक्षण सामग्री कार्यक्रमों के दौरान भागीदारों को दी जाती हैं और बुनियादी आलेख का काम करती है। इन सामग्रियों के अलावा संबंधित विषयों पर प्रकाशित साहित्य का भी उपयोग किया जाता है।

नीपा संकाय ने यूनीसेफ द्वारा प्रायोजित पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत शिक्षा का प्रबंध विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विशेष आलेख प्रस्तुत किए।

मूल्यांकन

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत मूल्यांकन किया जाता है। इसका पहला चरण प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में आता है जब एक ढांचाबद्ध प्रपत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन हरेक भागीदार से कराया जाता

1993-94

है। लंबी अवधि के कार्यक्रमों में इस मूल्यांकन के पहले एक या दो मध्यवर्ती मूल्यांकन भी किए जाते हैं।

भागीदारी

राष्ट्रीय : समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान ने कुल 53 कार्यक्रम में से 51 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें विभिन्न अवधियों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/ संगोष्ठियां शामिल थी। इन कार्यक्रमों में कुल 1123 व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें से 993 विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से संबंधित थे और 130 भारत सरकार के विभिन्न संगठनों और विभागों से संबंधित थे। इन कार्यक्रमों के ब्यौरे अनुबंध–1 में दिए गए हैं।

नीपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम तीन प्रकार के होते हैं : (अ) डिप्लोमा कार्यक्रम (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय), (ब) शैक्षिक योजना और संबंधी सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, (स) विषय पर केंद्रित अल्प अवधि के प्रशिक्षण या अभिविन्यास कार्यक्रम और विशेष विषयों पर कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन।

समीक्षाधीन वर्ष में, संस्थान ने दो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किए। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के 858 शिक्षा कर्मियों के लिए 35 कार्यक्रमों का आयोजन किया। विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 282 व्यक्तियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम अनुसंधान के पद्धति शास्त्र, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, जनांकीय दबाव, प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए संगणक प्रयोग, शैक्षिक योजना में परिमाणात्मक तकनीक, सूचना प्रणाली का प्रबंध इत्यादि पर केंद्रित थे।

राज्यवार और स्तरवार भागीदारी के विवरण क्रमशः तालिका 2 और 3 में दिए गए हैं। यहां निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं :

(अ) संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में (सिक्किम तथा दमन और दीव को छोड़) सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों ने भाग लिया है।

(ब) भागीदारों में कोई 35.85 प्रतिशत शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों अर्थात आंध्रप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, असम, बिहार, जम्मू–कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल से आए।

(स) राज्यों और संघीय क्षेत्रों के अलावा भारत सरकार

तालिका 1

श्रेणियों के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन : 1993-94

क्रम संख्या	कार्यक्रम की श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि (दिनों में)	भागीदारों की संख्या
I.	**डिप्लोमा कार्यक्रम***			
(अ)	राष्ट्रीय डिप्लोमा	2	186	40
(ब)	अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा	2	170	13

1993-94

क्रम संख्या	कार्यक्रम की श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि (दिनों में)	भागीदारों की संख्या
II.	**सामान्य कार्यक्रम**			
(अ)	सांस्थनिक योजना और मूल्यांकन	6	35	112
(ब)	शिक्षा की जिला और क्षेत्रीय स्तर पर योजना	12	53	249
(स)	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंध	1	19	37
(द)	डाइट पुस्तकालयों का प्रबंध	1	13	21
(य)	अनौपचारिक, प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता	2	4	69
(र)	उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध	9	60	295
(ल)	अल्पसंख्यकों और महिलाओं की शिक्षा की योजना और प्रबंध	1	7	14
(व)	वंचित वर्ग समूह और आदिवासियों की शिक्षा	1	4	21
III.	**विषयगत कार्यक्रम**			
(अ)	शिक्षा के लिए निर्धारित वित्त का उपयोग	1	1	8
(ब)	प्रा. शि. सार्वजनीकरण और व्यष्टि स्तरीय योजना	2	16	31
(स)	जनांकीय दबाव	1	5	17
(द)	प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए संगणकों का व्यवहार	3	27	41
(य)	परिमाणात्मक तकनीक, डाटा बेस और संकेतक	3	16	60
(र)	अन्य कार्यक्रम	4	6	77
(ल)	सूचना प्रणाली का प्रबंध	1	2	8
(श)	अन्य कार्यक्रम ई.एम.आई. एस.	1	1	40
	योग	53	625	1153

*चालू दो कार्यक्रम (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) भी उपरोक्त तालिका में शामिल हैं।

1993-94

तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों जैसे योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय आदि के 130 अधिकारियों ने भी विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

भागीदारी का स्तर और प्रकार

स्तर की दृष्टि से देखें तो विभिन्न कार्यक्रमों के भागीदारों में अनेक प्रकार के व्यक्ति थे। इनमें राज्य मंत्रालयों, शिक्षा निदेशालयों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषदों के वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, क्षेत्रीय और जिला अधिकारी, आदिवासी कल्याण अधिकारी, और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों जैसे संस्था–प्रमुख शामिल थे। इसी तरह उच्च शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों के प्रशासकों ने भी भाग लिया। प्रकार और स्तर के अनुसार भागीदारों के ब्यौरे तालिका 3 में दिए गए हैं।

तालिका 2

राज्यवार भागीदारी

क्रम संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्र	भागीदारों की संख्या
(अ)	राज्य	
1.	आंध्रप्रदेश*	66
2.	अरुणाचल प्रदेश*	2
3.	असम*	34
4.	बिहार*	43
5.	गोवा	31
6.	गुजरात	37
7.	हरियाणा	75
8.	हिमाचल प्रदेश	10
9.	जम्मू–कश्मीर*	16
10.	कर्नाटक	93
11.	केरल	44
12.	मध्यप्रदेश*	56
13.	महाराष्ट्र	72

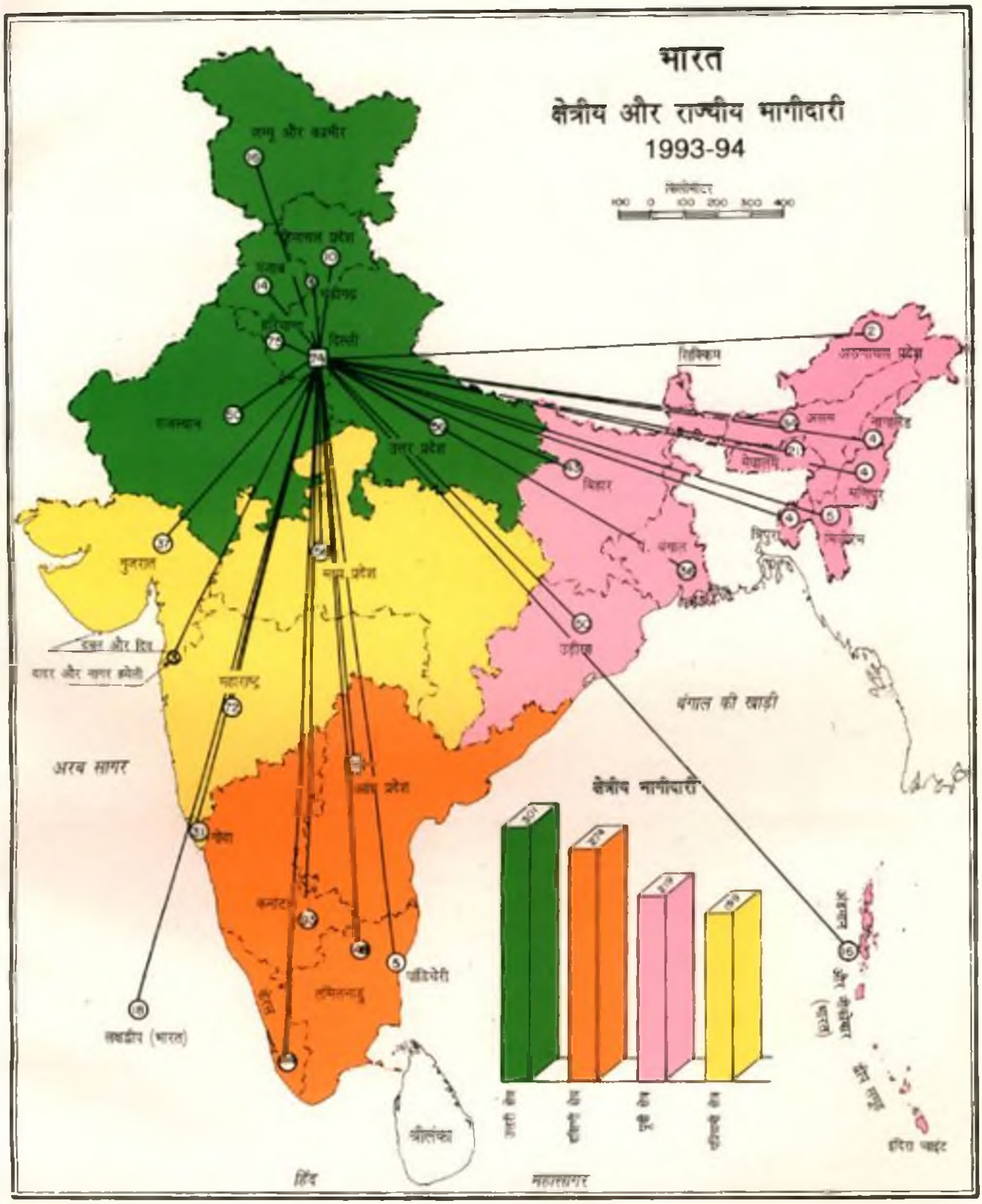

भारत
क्षेत्रीय और राज्यीय भागीदारी
1993-94
किलोमीटर
जम्मू और कश्मीर
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
दिल्ली
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश
असम
मेघालय
मणिपुर
त्रिपुरा
बिहार
प. बंगाल
उड़ीसा
गुजरात
मध्य प्रदेश
दमन और दिउ
दादर और नागर हवेली
महाराष्ट्र
अरब सागर
बंगाल की खाड़ी
आंध्र प्रदेश
गोवा
कर्नाटक
तमिलनाडु
पांडिचेरी
लक्षद्वीप (भारत)
श्रीलंका
क्षेत्रीय भागीदारी
हिंद
महासागर
इंदिरा प्वाइंट

1993-94

क्रम संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्र	भागीदारों की संख्या
14.	मणिपुर	4
15.	मेघालय	21
16.	मिजोरम	5
17.	नागालैंड	4
18.	उड़ीसा*	50
19.	पंजाब	14
20.	राजस्थान*	50
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	48
23.	त्रिपुरा	4
24.	उत्तरप्रदेश*	56
25.	पश्चिम बंगाल*	36
(ब) संघीय क्षेत्र		
26.	अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	16
27.	चंडीगढ़	6
28.	दादर–नागर हवेली	3
29.	दमन–दीव	—
30.	दिल्ली	74
31.	लक्षद्वीप	18
32.	पांडिचेरी	5
33.	भारत सरकार और अन्य संगठन	130
	योग	1123

* शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्य (409 भागीदार)

1993-94

तालिका 3

अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और बैठकों आदि में स्तरवार भागीदारी

स्तर	भागीदारों की संख्या
विद्यालय–प्रधानाध्यापक	49
जिला शिक्षाधिकारी	51
जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान या राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के व्यक्ति/वरिष्ठ प्रशासक	441
प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	40
वित्त अधिकारी	7
सांख्यिकीय अधिकारी	30
महाविद्यालय–प्राचार्य	279
विश्वविद्यालय–प्रशासक	45
अन्य	181
योग	1123

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान ने दो आई.डी.ई.पी.ए. (अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन डिप्लोमा) कार्यक्रम आयोजित किए। (इनमें से एक अभी जारी है)। इस वर्ष संस्थान ने राष्ट्र मंडल भ्रमण कार्यक्रम तथा श्रीलंका के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के संकाय के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। इन कार्यक्रमों में कुल 25 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अलावा एक कार्यक्रम में विश्वबैंक के 5 विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। भागीदारी का देशवार ब्यौरा तालिका 4 में दिया जा रहा है।

क्षेत्रों और विषयों के अनुसार कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान ने कुल 4 डिप्लोमा कार्यक्रम (दो राष्ट्रीय और दो अंतर्राष्ट्रीय), 26 प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रमों, 18 कार्यशालाओं और 5 संगोष्ठियों/बैठकों का आयोजन किया। ये कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और बैठकें संस्थागत योजना, विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टिस्तरीय योजना, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंधन, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा की योजना और प्रबंधन, आदिवासियों और वंचित समूहों की शिक्षा, जिलास्तरीय शैक्षिक योजना,

1993-94

तालिका 4

प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

क्रम संख्या	देश का नाम/अंतर्राष्ट्रीय संगठन	भागीदारों की संख्या
1.	बंगलादेश	2
2.	इथियोपिया	2
3.	इंडोनेशिया	1
4.	मालदीव	2
5.	मारीशस	2
6.	नाइजीरिया	2
7.	सेशेल्स	3
8.	श्रीलंका	8
9.	जांबिया	2
10.	जंजीबार	1
11.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	5
	योग	30

आर्थिक नीतियां और शिक्षा में संसाधनों का उपयोग, जिला और क्षेत्र स्तर की योजना, शिक्षा नीति और कार्यक्रमों की समीक्षा, शैक्षिक योजना और प्रबंधन में संगणकों का व्यवहार, उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन, पंचायती राज संस्थाओं की योजना और प्रबंधन आदि विषयों पर आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन आगे दिया गया है।

1. शैक्षिक योजना और प्रबंध का डिप्लोमा (डेपा)

संस्थान ने शैक्षिक योजना और प्रबंध का पहला राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम जुलाई 1983 में आयोजित किया था। इस साल नवंबर 1992 में आरंभ होने वाले तेरहवें डिप्लोमा कार्यक्रम का दूसरा और तीसरा चरण पूरा किया गया। चौदहवें डिप्लोमा कार्यक्रमों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान

1993-94

व प्रशिक्षण परिषदों तथा जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों के जिलास्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों ने भाग लिया। डिप्लोमा कार्यक्रमों में राज्यवार भागीदारी तालिका 5 में दिखाई गई है। पिछले कार्यक्रमों के भागीदारों से प्राप्त प्रतिज्ञान तथा उनकी बदलती भूमिकाओं और प्रकार्यों के मूल्यांकन के आधार पर डिप्लोमा कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की अंतःवस्तु और पद्धति नए सिरे से निरूपित की गई। इनमें प्रबंध–कौशल के उन्नयन पर परियोजनाओं की तैयारी तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन की पद्धतियां तैयार करने पर, विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय संकुलों, परिमाणात्मक तकनीकों, गुणवत्ता का सुधार, संस्थागत मूल्यांकन, नेतृत्व के गुणों, संकट का निवारण, सामुदायिक भागीदारी आदि पर विशेष जोर दिया गया और इनकी विस्तृत विवेचना की गई।

पाठ्यक्रम की पद्धति व्याख्यानों और विचार–विमर्श, पैनल विचार–विमर्श, केस अध्ययन, सिंडिकेट विधि, अनुकरण के अभ्यासों, भूमिका निर्वाह, इन–बास्केट विधि, और पहचानशुदा विषयों पर सामूहिक विचार–विमर्श पर आधारित थी। व्यावहारिक कार्यों, पुस्तकालय पर केंद्रित अभ्यासों और कुछ अहम् शिक्षा–संस्थाओं के दौरों के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया।

विद्यालय शिक्षा संबंधी प्रवर्तनकारी प्रयोगों तथा समुदाय–केंद्रित कार्यक्रमों से भागीदारों को परिचित कराने के लिए राजस्थान के जिलों का एक सप्ताह का क्षेत्र–भ्रमण भी आयोजित किया गया।

2. शैक्षिक योजना और प्रशिक्षण का अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आई.डी.ई.पी.ए.)

जनवरी 1985 में पहले अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फरवरी 1993 में शुरू होकर इस वर्ष समाप्त होने वाले नवें डिप्लोमा कार्यक्रम में 4 देशों के 6 अधिकारियों ने भाग लिया। फरवरी 1994 में आरंभ होने वाले दसवें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम में 5 देशों के 7 अधिकारियों ने भाग लिया। संस्थान को धन देने वाले विभिन्न संगठनों से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से इस कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक प्रतिज्ञान प्राप्त होता रहा है। तालिका 6 में अंतराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों के भागीदारों का ब्यौरा दिया गया है।

नीपा में तीन महीनों का गहन पाठ्यचर्यात्मक कार्य अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के पहले चरण का आधार

तालिका 5

तेरहवें और चौदहवें डिप्लोमा कार्यक्रमों में राज्यवार भागीदारी

क्रम संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्र का नाम	भागीदारों की संख्या
1.	असम	3
2.	गुजरात	2
3.	जम्मू–कश्मीर	2
4.	कर्नाटक	5
5.	केरल	8

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 1993-94

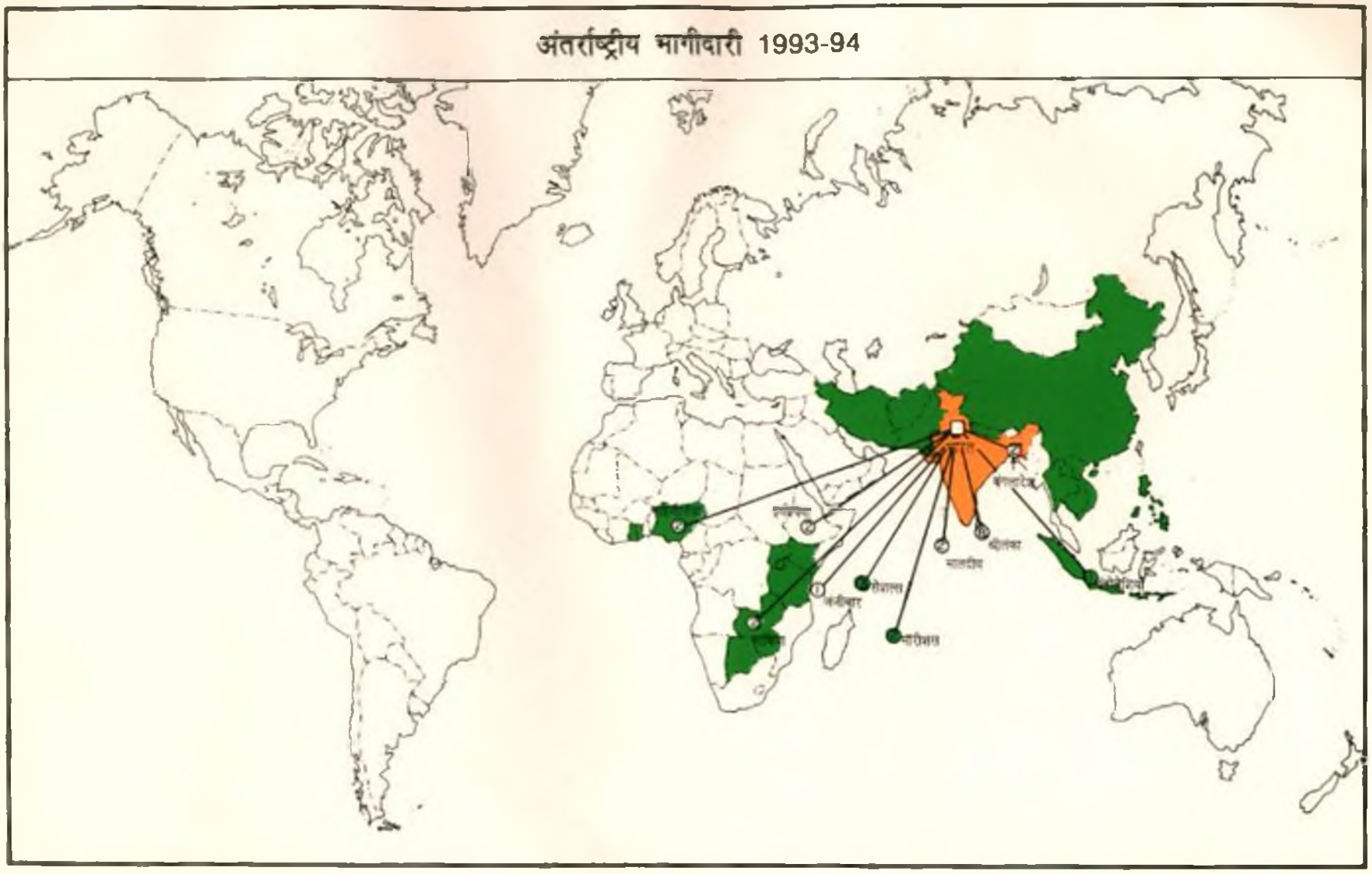

1993-94

क्रम संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्र का नाम	भागीदारों * की संख्या
6.	मध्यप्रदेश	1
7.	महाराष्ट्र	2
8.	मणिपुर	1
9.	नागालैंड	1
10.	राजस्थान	3
11.	त्रिपुरा	2
12.	उत्तरप्रदेश	5
13.	पश्चिम बंगाल	2
14.	अंडमान–निकोबार द्वीपसमूह	1
15.	दादरा और नागर हवेली	2

*राष्ट्रीय स्तर का तेरहवां और चौदवहां डिप्लोमा कार्यक्रम

तालिका 6

नवें और दसवें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी

क्रम संख्या	देश का नाम/अंतर्राष्ट्रीय संगठन	भागीदारों की संख्या
1.	इथोपिया	2
2.	इंडोनेशिया	1
3.	मारीशस	2
4.	नाइजीरिया	2
5.	सेशेल्स	1
6.	श्रीलंका	2
7.	जांबिया	2
8.	जंजीबार	1
	योग	13

1993-94

है। इसमें बुनियादी पाठ्यक्रमों के अलावा व्यावहारिक कार्य भी शामिल होता है। इस कार्यक्रम की पद्धति में सिद्धांत और व्यवहार के बीच संतुलन रखने का प्रयास किया जाता है। इसमें मोटे तौर पर व्याख्यान और विचार–विमर्श, अनुकरण और व्यावहारिक कार्य, भूमिका–निर्वाह, केसों पर विचार–विमर्श, व्यावसायिक, प्रयास, खोज, सम्मेलन, प्रदर्शन और सामूहिक विचार–विमर्श होते हैं। इसके अलावा भागीदारों का मनोबल बढ़ाने के लिए पैनल विचार–विमर्श और भागीदारों की संगोष्ठियों का आयोजन इस पाठ्यक्रम की पद्धति की खास विशेषताएं हैं। यह कार्यक्रम व्यष्टिगत स्तर पर अकादमिक कार्यों, शैक्षिक/सांस्कृतिक क्षेत्र–भ्रमण क्षेत्र से शैक्षिक जुड़ावों और ज्ञानवर्धक व्याख्यानों पर भी जोर देता है।

3. संस्थागत योजना और प्रबंध

माध्यमिक और वरिष्ठ मध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 112 प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और रेक्टरों ने भाग लिया। इनमें विवेचित कुछ पहलू इस प्रकार थे : अकादमिक परिवेक्षण और नेतृत्व, शैक्षिक उत्पादकता, माध्यमिक शिक्षा से बढ़ती प्रत्याशाएं और प्रधानाचार्यों की भूमिका, और संस्थागत मूल्यांकन।

4. विकेंद्रीकरण और जिलास्तरीय शैक्षिक योजना

शैक्षिक योजना और प्रबंध की विकेंद्रीकृत प्रणाली के बारे में 12 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में कुल 249 व्यक्तियों ने भाग लिया। इनमें विवेचित विशेष प्रश्न इस प्रकार थे– राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संशोधित कार्यवाही योजना; योजना और प्रबंध में जिलों की भूमिका; सामुदायिक भागीदारी का गतिशास्त्र; सभी के लिए शिक्षा के वास्ते व्यष्टिस्तरीय योजनाबंदी की विधियां और तकनीकें; विकेंद्रीकृत योजना; जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और जिला योजनाओं की तैयारी।

शिक्षा की जिलास्तरीय योजनाबंदी पर भी तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 53 भागीदार शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में विवेचित प्रमुख विषय इस प्रकार थे : जिला के स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना की जरूरत; मौजूदा स्थिति; शैक्षिक विकास के सूचक; जिलास्तरीय शैक्षिक योजना के लिए आवश्यक आंकड़े; आंकड़ा–भंडार के विकास में संगणकों का उपयोग।

5. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंध

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंध के क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 37 व्यक्तियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से योजना और प्रबंध संकाय के लिए था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डाइट के लाभ हेतु योजना और प्रबंध संकाय को विभिन्न अकादमिक गतिविधियों और जिला आंकड़ा की योजना से अवगत कराना था।

6. संस्थाओं के पुस्तकालयों की योजना और प्रबंध

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों की योजनाबंदी और उनके प्रबंध के विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 21 व्यक्तियों ने भाग लिया और निम्नलिखित प्रमुख विषयों की विवेचना की गई : जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के पुस्तकालय की योजनाबंदी और उसका प्रबंध; सूचनाओं के नेटवर्क की स्थापना; योजनाबंदी की तकनीकें; पुस्तकालय का प्रबंध; डेवी दशमलव वर्गीकरण और सूचना सेवा का परिचय।

7. अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा की योजना और प्रबंध

अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के सिलसिले में दो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 69 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित विषयों की विवेचना की गई : लक्ष्य और उद्देश्य; राष्ट्रीय स्तर पर योजना की

1993-94

तैयारी; व्यष्टिस्तरीय योजनाबंदी; परियोजना की योजनाबंदी; कार्मिकों का प्रशिक्षण; पाठ्यचर्या और सामग्री का विकास; निगरानी और मूल्यांकन; राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा और भावी दिशाएं; अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध संबंधी जिलास्तरीय अनुभव और मुद्दे; अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की अकादमिक दक्षता में वृद्धि के मुद्दे।

8. उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध

उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध के विषय पर नौ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कुल 295 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रमुख विवेचित विषय इस प्रकार थे : स्वायत्त महाविद्यालय : धारणा और व्यवहार; स्वायत्त की योजना और क्रियान्वयन; स्वायत्त महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का समर्थन; पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का पुनर्निधारण; परीक्षा संबंधी सुधार और परीक्षाओं का प्रबंध; अध्यापकों की अभिप्रेरणा; उच्च शिक्षा और विकास की नीति और कार्रवाई की योजना; उच्च शिक्षा में केंद्रीय महत्व के प्रश्न; शैक्षिक प्रशासकों के लिए टकरावों का प्रबंध; सामुदायिक विकास के लिए महाविद्यालय एक संसाधन केंद्र के रूप में; प्रबंधक के सांगठनिक और व्यवहारगत पहलू; परिप्रेक्ष्य संस्थागत योजना की तैयारी; अकादमिक स्टाफ कालेजों के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी समस्याएं और मुद्दे; अकादमिक स्टाफ कालेजों के भावी विकास की प्राथमिकताएं; अकादमिक स्टाफ कालेजों के मूल्यांकन की विधि और उसके सूचक।

9. अल्पसंख्यकों और महिलाओं की शिक्षा की योजना और प्रबंध

अल्पसंख्यकों और महिलाओं की शिक्षा की योजना और प्रबंध के विषय पर एक कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रमुख विषयों की विवेचना की गई। इसमें 14 व्यक्तियों में भाग लिया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा; महिला शिक्षा की योजना संबंधी प्रवृत्तियां; महिलाओं की समानता; महिलाओं के विकास की एकीकृत योजना पर मनन; अनुसूचित जातियों की महिलाओं की शिक्षा; प्रौढ़ महिलाओं के शिक्षा; किसी आदिवासी परिवेश में महिलाओं की शिक्षा; महिला शिक्षा के समाजशास्त्रीय पहलू और योजनाबंदी की रणनीतियों में उनका समावेश; शिक्षा और महिलाओं का विकास; स्त्री साक्षरता और मुक्त शिक्षा; विकलांग महिलाओं की शिक्षा; महिला शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल आदि।

10. आदिवासियों और वंचित समूहों की शिक्षा

आदिवासियों और वंचित समूहों की शिक्षा के विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 21 व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रमुख विषयों की विवेचना की गई : दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षिक विकास का एक स्थितिपरक विश्लेषण; दूरस्थ क्षेत्रों के संदर्भ में मांग के सृजन और आपूर्ति से संबंधित प्रश्न; संश्लिष्ट क्षेत्रीय योजना की धारणा की जानकारी और उसके अनुभव।

11. शिक्षा में वित्त का उपयोग

शिक्षा में वित्त के उपयोग की स्थिति पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 8 भागीदार उपस्थित रहे। प्रमुख विवेचित प्रश्न इस प्रकार थे : नई आर्थिक नीति और शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था; शिक्षा के लिए अनुदान; विद्यालय शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था; उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों की लामबंदी; शिक्षा का निजीकरण; शिक्षा के वास्ते बाहरी सहायता; विद्यालयों के संसाधनों का प्रबंध; वित्तीय प्रबंध; लागत का विश्लेषण और लेखा कार्य में प्रधानाचार्य की भूमिका; मानव संसाधनों का प्रबंध।

12. सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा और व्यष्टिस्तरीय योजना

प्रारंभिक शिक्षा की व्यष्टिस्तरीय योजनाबंदी पर विद्यालय स्तर के शिक्षाकर्मियों के लिए दो कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 31 व्यक्तियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित मुद्दों की विवेचना की गई : विकेंद्रीकरण के

1993-94

संदर्भ में योजनाकारों की उदीयमान भूमिका; आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मुद्दे; मांग का आकलन और उसकी लामबंदी; नामांकन के परिदृश्य : व्यावहारिकता, प्राथमिकता का निर्धारण और लक्ष्यों का निश्चय; संसाधनों का आकलन और लामबंदी; पूर्ण साक्षरता अभियानों से अंतःसंबंध; सभी के लिए शिक्षा के संदर्भ में आदिवासियों और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए शिक्षा की विशेष समस्याएं; व्यष्टिगत स्तर पर शैक्षिक योजना की विकेंद्रीकृत प्रणाली; सभी के लिए शिक्षा की योजनाबंदी; शैक्षिक विकास के सूचक, प्राथमिक चरण में अधिगम के न्यूनतम स्तर।

13. शिक्षा पर जनसंख्या का दबाव

हाल की जनांकीय प्रवृत्तियों और शिक्षा प्रणाली के लिए उसके निहितार्थों, जनांकीय और शैक्षिक प्रक्षेपण के प्रतिरूपों और उनके अंतःसंबंध की समस्याओं की विवेचना करने के उद्देश्य से शिक्षा पर जनसंख्या के दबाव के विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बिहार और आंध्रप्रदेश के 17 अधिकारियों ने भागीदारी की।

14. शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणकों का व्यवहार

शैक्षिक योजना और प्रबंध के कार्यों में संगणकों के व्यवहार के विषय पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 41 भागीदार उपस्थित रहे। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया गया : आंकड़ा संग्रह की वर्तमान प्रणाली के साथ 'कोप' परियोजना के शैक्षिक अभिसरण में संगणक प्रयोग; 'कोप' के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना; आवश्यक शैक्षिक आंकड़े और कमियां; आंकड़े, सूचनाएं और सूचकों का विकास; ई.एम.आई.एस. की प्रस्तावना; कार्मिक प्रबंध सूचना प्रणाली का परिचय।

15. परिणामात्मक तकनीक

शैक्षिक योजना में परिमाणात्मक तकनीक पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक आंकड़ों की महत्वता और संकल्पना से भागीदारों को अवगत करना था। इसके अलावा शैक्षिक योजना में परिमाणात्मक प्रयोग और परिमाणात्मक तकनीक प्रणाली में भागीदारों की क्षमता का अघतन विकास करना कार्यक्रम का उद्देश्य था। इन कार्यक्रमों में कुल 60 भागीदारों ने भाग लिया।

16. अन्य कार्यक्रम

इ.एम.आई.एस., प्रबंध और सूचना प्रणाली के क्षेत्र में छह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में कुल 125 भागीदारों ने भाग लिया।

17. संसाधन सहायता

अपने बल पर और दूसरे संगठनों के सहयोग से संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न राज्यों या संघीय क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी संस्थान ने अकादमिक संसाधन सहायता प्रदान की।

मुआइना और निगरानी की प्रणाली
सूचना प्रणाली का प्रबंध
पंचायती राज संस्थाएं
परिमाणात्मक तकनीकें, आंकड़ा–भंडार और सूचक

1993-94

अध्याय 3

अनुसंधान और प्रकाशन

अनुसंधान

संस्थान राष्ट्रीय योजना और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की सहायता, प्रोत्साहन और समन्वय के कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न है। अनुसंधान में बहुशस्त्रीय अध्ययन पर जोर दिया जाता है और शैक्षिक योजना और प्रशासन के सिद्धांत, विधियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर खास ध्यान दिया जाता है।

संस्थान संकाय की अनुसंधान परियोजनाओं को धन देकर, अन्य संगठनों से अनुसंधान की परियोजनाएं लेकर और प्राथमिकता के चुने हुए क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए विशेषज्ञों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

नीपा द्वारा संचालित और समर्थित अनुसंधानों में सिद्धांत और अनुभवाश्रित मुद्दों को समन्वित किया जाता हैं। संस्थान की अनुसंधान संबंधी गतिविधियां निरंतर नीतियों और योजनाओं के निरूपण के लिए गंभीर अनुभवाश्रित और वैश्लेषिक आधार प्रदान करने के प्रयास करती है। वे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री भी जुटाती हैं।

विवेचनाधीन काल में छः अनुसंधान अध्ययन पूरे हुए जबकि 17 अध्ययन जारी थे। पांच नए अध्ययनों को मंजूरी दी गई।

इस वर्ष संस्थान के संकाय द्वारा आरंभ किए गए अध्ययनों पर कुल 5.69 लाख रुपये खर्च हुए। इस वर्ष नीपा की सहायता–योजना के अंतर्गत अध्ययनों के लिए 0.06 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया जबकि बाहरी संगठनों द्वारा प्रायोजित अध्ययनों के लिए 63.75 लाख रुपये की रकम प्राप्त हुई।

पूरा होने वाले अध्ययन

1. शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता का प्रबंधन : स्वायत्त महाविद्यालयों का एक अध्ययन

स्वायत्त महाविद्यालयों के प्रबंध संबंधी परियोजना 1,52,100 रुपये की राशि के साथ मंजूर की गई थी। यह परियोजना डॉ. (श्रीमती) सुधाराव, अध्येता, उच्च शिक्षा एकक, नीपा द्वारा संचालित की गई।

अकादमिक संस्थाओं तथा जिन राजनीतिक–सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत वे कार्य करती हैं उनके संबंध अकसर बड़े पेचीदा होते हैं। अत्यंत लोकतांत्रिक समाजों तक में यह संबंध हमेशा ही पूरी तरह संतोषजनक नहीं होती। मिसाल के लिए, भारत में विश्वविद्यालयों को सिद्धांत रूप में अकादमिक स्वतंत्रता के लाभ प्राप्त हैं मगर व्यवहार में सरकार के मौद्रिक नियंत्रणों के कारण यह स्वतंत्रता बहुत अधिक सीमित हो जाती है। हालांकि विश्वविद्यालय अपनी पसंद के पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी ऐसे पाठ्यक्रमों को चला सकने की क्षमता मुख्य रूप से संकाय में नियुक्तियों, अध्यापकों के प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन पर और अंततः सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के पालन पर बुरी तरह निर्भर होती

1993-94

है। स्वायत्त महाविद्यालय भी इस नियम के अपवाद नहीं हैं। इनको विश्विविद्यालय के मानदंडों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि वह उपाधियां प्राप्त करता है, जहां तक वित्त का सवाल है राज्य सरकार की मंजूरियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और इन संस्थाओं को धन देने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों का पालन करना पड़ता है।

वि.अ. आयोग, विश्वविद्यालय और राज्य के स्तरों पर देखे जानेवाले परस्परव्यापी मुद्दे और तनाव, तथा स्वायत्त महाविद्यालयों पर इनके प्रभावों के असंतुलन, स्वायत्त महाविद्यालय के कार्यकलाप को और भी अवांछित रूप से बाधित कर रहे है। ऐसा देखा गया कि आम तौर पर स्वायत और खासकर राजकीय स्वायत्त महाविद्यालयों के विकास को ये कारक बाधित करते हैं। इसके कारण यथास्थिति को बनाए रखना ही आज महाविद्यालय का कार्य रह गया है। राजस्थान के सरकारी स्वायत्त महाविद्यालयों को परीक्षाओं का आयोजन करना और परिणामों की घोषणा करना भी पड़ता है। सरकार, विश्वविद्यालय और वि.अ. आयोग के विधायी कार्यों के फलस्वरूप स्वायत्त महाविद्यालयों के वित्तीय, प्रशासनिक और अध्यापकों से संबंधित प्रकार्य प्रभावित होते है और उन्हें प्रशासनिक प्रश्नों को हल करने में आशा से अधिक समय का अपव्यय करना पड़ता है।

परीक्षा संबंधी सुधार महाविद्यालय का एक और कार्य है। लेकिन महाविद्यालय के संपूर्ण परिदृश्य पर इसके प्रभावों और प्रणाली के लिए इसके अप्रत्याशित सकारात्मक परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रणाली में छात्रों के मूल्यांकन संबंधी सुधार तो अध्यापन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किए गए मगर परीक्षाओं और उनके परिणामों का अध्यापकों की बाकी गतिविधियों अर्थात अध्यापन-प्रशासन और छात्रअधिगम की मौजूदा बदली हुई स्थिति में भी योगदान रहा हैं। यह सुखद बात है कि स्वायत्त महाविद्यालयों से संबंधित इन सुधारों का महाविद्यालयों की नकारात्मक स्थितियों को सकारात्मक दिशा देने में योगदान रहा है। सेमेस्टर प्रणाली का समावेश, निरंतर आंतरिक मूल्यांकन, प्रश्न–पत्रों और प्रश्न की मदों में परिवर्तन आदि इस उपलब्धि के कारण रहे है। जहां कुछ स्वायत्त महाविद्यालयों ने सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया है वहीं दूसरे अभी भी वार्षिक परीक्षाओं की प्रणाली को जारी रखे हुए हैं। लेकिन वार्षिक प्रणाली के होते हुए भी अकादमिक सत्र के दौरान अकसर परीक्षाएं ली जाती है और परिणामों की घोषणा करते समय इन परीक्षाओं के नतीजों को भी ध्यान में रखा जाता है। स्वायत्त महाविद्यालयों की एक अच्छी–खासी तादाद ने निरंतर आंतरिक मूल्यांकन के साथ सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया है। इनके प्रश्न पत्रों के स्वरूप में भी विभन्नता पाई जाती है। संबद्ध महाविद्यालयों के प्रश्नपत्रों में कहा जाता है कि 'किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए', वहीं उसके विपरीत स्वायत्त महाविद्यालयों के प्रश्नपत्रों का ढर्रा भिन्न–भिन्न प्रकार का होता है। इन प्रश्नपत्रों में लघु उत्तर वाले प्रश्न, निबंध प्रकार के प्रश्न, वस्तुगत प्रकार के प्रश्न और इन सबका मेल दिखाई देता है। कुछ महाविद्यालयों ने अपने प्रश्न–भंडार विकसित किए हैं। इसके अलावा स्वायत्तता के कारण परीक्षाओं की समय सारणी और परिणामों की घोषणा में वक्त की पाबंदी को भी बढ़ावा मिला है। सिर्फ इस एक बात के कारण छात्रों को अनेक लाभ प्राप्त हुए है और उनके साल बरबाद नहीं होते। संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाएं या न पाएं, स्वायत्त महाविद्यालय हमेशा वक्त के पाबंद रहते है और उनके छात्र अनेक विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रार्थनापत्र दे सकते है। इसके अलावा अध्यापक और छात्र, दोनों इस बात पर एकमत हैं कि स्वागत्त महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली और निरंतर आंतरिक मूल्यांकन के कारण छात्रों में अनुशासन सुनिश्चित हुआ है, उनमें नियमित अध्ययन की आदत पड़ी है, परीक्षा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। छात्रों के शब्दों में 'सेमेस्टर प्रणाली परीक्षा को आसान और रोचक बनाती है', 'तनाव और चिंता में कमी लाती है', 'बेहतर अंक लाने में मदद पहुंचाती है', 'विषय और

1993-94

उसके व्यवहार की समझ को पुख्ता बनाती है।'

पाठ्यक्रमों का पुनर्निधारण स्वायत्त महाविद्यालयों की एक और सकारात्मक विशेषता है। तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के लगभग सभी निजी और सरकारी स्वायत्त महाविद्यालयों ने किसी न किसी रूप में अपने पाठ्यक्रमों का पुनर्निरूपण किया है। कुछ ने नए पाठ्यक्रमों का समावेश किया है जबकि दूसरों ने मौजूदा पाठ्यक्रमों की समीक्षा की है, पुराने पड़ चुके अंतर्तत्व को निकालकर और पाठ्यचर्या को अधुनातन बनाया है। प्रतिदर्शित महाविद्यालयों में 84.2 प्रतिशत ने किसी न किसी रूप में ऐसा पुनर्निरूपण किया है। अपनाए गए पाठ्यक्रमों का संबंध परंपरागत पाठ्यक्रमों (42.2 प्रतिशत), सामाजिक सम्मान वाले पाठ्यक्रमों (63.2 प्रतिशत), व्यावहारिक पाठ्यक्रमों (57.9 प्रतिशत) और रोजगारमुखी पाठ्यक्रमों (73.6 प्रतिशत) से है। आधारगत और बुनियादी पाठ्यक्रमों के अलावा इन महाविद्यालयों ने सफलता के साथ रोजगारमुखी पाठ्यक्रमों, मूल्यमुखी पाठ्यक्रमों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करनेवाले पाठ्यक्रमों और समुचित व्यक्तित्व का विकास करनेवाले पाठ्यक्रमों का भी समावेश किया है।

वित्तीय पक्ष को लें तो स्वायत्त और अस्वायत्त, दोनों प्रकार के महाविद्यालयों के प्राचार्यों को एक समान वित्तीय अधिकार दिए गए है मगर दोनों की संरचना और प्रकार्यों में महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते है। स्वायत्त महाविद्यालयों को समय पर अपनी परीक्षाओं का आयोजन करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराना और परिणामों की घोषणा करना पड़ता है। महाविद्यालय को दिया गया यह प्रमुख दायित्व प्राचार्य के वित्तीय अधिकारों में लोच की मांग करता है। टेंडर मंगवाने और सबसे कम बोली देनेवाले को ठेका देने की आम पद्धति स्वायत्त महाविद्यालयों को सौंपे गए नए कार्यभारों के प्रबंधन के लिए मुनासिब नहीं है। इस प्रकार के पुराने नियमों में संशोधन की आवश्यकता है। फिर शुल्क की संरचना को लें तो सरकारी राजस्व से निर्धारित होता है। राजकीय महाविद्यालयों को शुल्क में कमी या बढ़ोत्तरी करने के अधिकार नहीं हैं जबकि निजी स्वायत्त महाविद्यालय अनेक प्रकार से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। महाविद्यालयों को पूरा धन सरकार से प्रदान करने की बजाय धन की जरूरत का निर्धारण एक मानदंड के अनुसार तथा छात्रों की संख्या, अध्ययन के प्रकारों, महाविद्यालय के प्रकारों, पाठ्यक्रमों के प्रकारों आदि के आधार पर होना चाहिए। अध्यापन के सापेक्ष विभिन्न स्वायत्त महाविद्यालयों के बीच ही नहीं बल्कि विभिन्न गुणवत्ता वाले महाविद्यालयों के बीच भी शिक्षण–शुल्क की राशियां भिन्न–भिन्न होनी चाहिए।

2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन–अध्ययन (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन–अध्ययन की परियोजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा 6,72,000 रुपये की लागत के साथ मंजूर की गई थी। परियोजना निदेशक, डॉ. एम. मुखोपाध्याय, परियोजना, श्रीमती उषा आयंगर और परियोजना सहायक श्री जयदेवन इस परियोजना दल में शामिल थे।

किसी योजना की सफलता वित्तीय और अवित्तीय, दोनों प्रकार के आगतों पर निर्भर होती है। प्रबंध का आगत एक प्रमुख अवित्तीय आगत है। इस अपेक्षाकृत बड़े पैमाने के मूल्यांकन सर्वेक्षण के अंत में हमारी समझ यह बताती है कि योजना के क्रियान्वयन में प्रबंध का आगत अपेक्षाकृत कम है और इसका उन्नयन आवश्यक है।

योजना के क्रियान्वयन की प्रभाविता बढ़ाने के लिए कुछ रणनीतिक महत्व के प्रबंधकीय हस्तक्षेप आवश्यक होते हैं। इस अध्ययन के परिणामों से प्रबंधकीय आगत संबंधी कुछ दिशानिर्देश विकसित किए जा सकते हैं। रणनीतिक प्रबंधन के लिए कुछ अहम गतिविधियों और उनकी निगरानी की आवश्यकता होती है।

1993-94

अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के साथ किए गए विचार-विमर्श से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दैनिक कार्य सूची पत्रक माध्यमों के उपयोग का सबसे विश्वसनीय सूचक है। टेलीविजन के लिए ऐसे कार्य सूची पत्रक 8.76 प्रतिशत और रेडियो के लिए 6.83 प्रतिशत विद्यालयों में उपलब्ध हैं। समय-सारणी एक और प्रमुख सूचक है। 22 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों ने अपनी समय-सारणी में रेडियो कार्यक्रमों के लिए और 20 प्रतिशत से अधिक ने टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए समय रखा था। सेटों का स्थान, खासकर कक्षाओं में उनका स्थान, तीसरा महत्वपूर्ण मानदंड रहा है। लगभग 23.45 प्रतिशत टी. वी. सेट और केवल 7.55 प्रतिशत कैसेट प्लेयर कक्षाओं में रखे गए थे। खासकर कक्षाओं में टी. वी. सेट रखने का स्थान उसके उपयोग से सीधे–सीधे संबंधित होता है।

फिर कम से कम दो ऐसे सहायक मानदंड हैं जो माध्यमों के उपयोग की संभावना में वृद्धि करते हैं। सूचना–तालिकाओं की उपलब्धता ऐसी एक सहायक विशेषता है। 29.66 और 21 प्रतिशत विद्यालयों को क्रमशः रेडियो और टी. वी. के कार्यक्रमों की सूचियां अग्रिम रूप से प्राप्त होती थीं। रेडियो और टी. वी. कार्यक्रमों में उपयोग से अध्यापकों का परिचय और उनका प्रशिक्षण एक और सहायक विशेषता थी।

इन परिणामों को देखते हुए विद्यालय के स्तर पर कुछ प्रबंधकीय गतिविधियां जरूरी हैं और इन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की एक प्रणाली की स्थापना भी आवश्यक हैं।

रणनीतिक प्रबंध के लिए प्रारंभिक विद्यालयों के अलावा केंद्र, राज्य और जिला स्तर के संगठनों की भागीदार बनाते हुए एक तंत्र का विकास करना आवश्यक है। केंद्र, राज्य और जिला के स्तर पर दो प्रकार के संगठन पाए जाते है। पहला, केंद्र स्तर पर केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान शैक्षिक प्रौद्योगिकी कक्ष/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान जैसी व्यावसायिक सहायता की प्रणालियां है। दूसरे, विभागीय या सरकारी अभिकरण जैसे केंद्र स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य के स्तर पर शिक्षा निदेशालय और खासकर शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रभारी अधिकारी और जिलों में जिला शिक्षाधिकारी हैं। इन व्यावसायिक संगठनों और सरकारी अभिकरणों के पारस्परिक सहयोग हमारी एक व्यापक नीति होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर यह सहयोग अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है जबकि राज्य स्तर पर यह सुसुप्त या कमजोर है और जिला स्तर पर इसका लगभग पूरा अभाव है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का उपयोग बढ़ाने के लिए क्रियान्वयन और निगरानी की कार्रवाइयों का समन्वय आवश्यक है। एक सामान्य नियम के रूप में विद्यालयों के कार्यकलापों की निगरानी जिलास्तरीय अभिकरणों द्वारा, जिलास्तरीय कार्यों की निगरानी राज्यस्तरीय अभिकरणों द्वारा की जानी चाहिए। इसी प्रकार उत्तरात्तर अभिकरणों की निगरानी संबंधित निकायों द्वारा की जानी चाहिए।

विद्यालय स्तर : विद्यालय के स्तर पर कुछ प्राथमिक कार्रवाइयों की आवश्यकता है।

1. प्रत्येक कक्षा की समयसारणी में शैक्षिक टी. वी. और रेडियो कार्यक्रमों का उल्लेख होना चाहिए। अभी तक समय-सारणी ही किसी विद्यालय की दैनिक और साप्ताहिक गतिविधियों की प्रमुख सूचक है। इसके कारण छात्रों में एक स्वाभाविक प्रत्याशा और अध्यापकों के सामने अपने-आप एक बाध्यता पैदा होती है।
2. अध्यापकों को टी. वी. के उपयोग पर एक दैनिक कार्य सूची पत्रक रखना चाहिए। इससे एक प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त होमा कि समय–सारणी का पालन हो रहा है या नहीं। इस पत्रक में कार्यक्रम के बारे में एक संक्षिप्त टीका या टिप्पणी होमा वांछित है। अगर अध्यापक कार्यक्रम के बारे में बहस-मुबाहिसे के लिए बुनियादी सवाल और प्रमुख मुद्दे दर्ज कर सके

1993-94

तो और भी अच्छा होगा। बहुत अधिक आदर्शवादी बनने की बजाय कम से कम इतनी आशा जरूर की जानी चाहिए कि कार्य सूची में कार्यक्रम की तारीख और समय दर्ज किए जाएं।

3. अध्ययन से पता चला है कि प्रधानाध्यापक के कमरे में या स्टाफरूप में टी. वी. सेट को रखने की बजाय कक्षा में उसे रखने और कार्यक्रमों के देखे जाने के बीच कमोबेश एक सहसंबंध जरूर है। लेकिन अनेक विद्यालयों में प्रर्याप्त सुरक्षा और सही प्रकार की कक्षाएं नहीं है। यह प्रधानाध्यापकों का एक प्रमुख सरोकार है और यह स्वाभाविक भी है। अगर सेटों के साथ उन्हें सुरक्षित रखने के साधन, जैसे– इस्पात की आल्मारी हों तो अच्छा है। ई.टी. एंड टी. का आर.सी.सी.पी. संघमित्र सेट ऐसा ही एक साधन है। (इसमें एक टी. वी. सेट और एक वी.सी.पी. आ जाते हैं।) टी.वी. देखने के लिए इसके ढक्कन को ऊपर–नीचे सरकाया जा सकता है। इससे सेटों को कक्षाओं में रखने में सहायता मिलेगी।

4. आज पाठ्यचर्या और परीक्षाओं के बारे में ही सबसे अधिक सरोकार पाया जाता है और पाठ्यक्रम पूरा करना अध्यापक की प्रमुख चिंता होती है। इससे अनेक कार्यक्रम बेकार होकर रह जाते हैं क्योंकि वे जरूरी नहीं कि पाठ्यचर्या पर आधारित हों। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि टी.वी. और आर.सी.सी.पी. के कार्यक्रम टेस्ट और मूल्यांकन पद्धति के अंग नहीं बन पाते। टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के आधार पर यह प्रश्न-मंचों और परीक्षा का आयोजन करने से बच्चों में और अध्यापकों में भी इन माध्यमों के प्रसारणों का महत्व बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में, विद्यालय के सांस्कृतिक लोकाचार से रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का समन्वय करना आवश्यक है, भले ही यह पूरी तरह संतोषजनक और शिक्षाशास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त न हो।

विद्यालयों में ऐसी गतिविधियों के आयोजन से रेडियो और टेलीविजन सेटों के उपयोग की दर बढ़ेगी। लेकिन फिर भी श्रव्य कैसेट के घटक के उपयोग का सवाल अपनी जगह रहता है। जब कभी भी आडियो कैसेट उपलब्ध हों, आर.सी.सी.पी. के कैसेट प्लेयर वाले घटक का उपयोग बढ़ाने के लिए इसी रणनीतिक प्रबंधन का व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमारा सुझाव और सिफारिश यह है कि विद्यालयों को कुछ खाली आडियो कैसेट दिए जाएं या उनसे उन्हें खरीदने के लिए कहा जाए। इनके निम्नलिखित उपयोग होंगे :

- छात्रों को कहानी कहने, कविता सुनाने या बहस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए। इनको रिकार्ड करके दोबारा चलाया जा सकता है। अपनी ही आवाज सुनने का अवसर मिले तो बच्चों को भारी प्रोत्साहन प्राप्त होता है। यह अधिगम को मुखर बनाने के लिए ठोस प्रतिज्ञान भी प्रदान करता है। जरूरी नहीं कि ऐसे कैसेट सुरक्षित रखे जाएं; उनको बार-बार उपयोग में लाया जा सकता है।
- अध्यापक भी अपनी प्रस्तुतियों को रिकार्ड करने या रेडियो कार्यक्रम रिकार्ड करने के लिए इन खाली कैसेटों का उपयोग कर सकते हैं और कक्षा में उनका उपयोग कर सकते हैं। ये गतिविधियां विद्यालय स्तर पर आरंभ की जानी चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि उनकी निगरानी की जाए तथा उन्हें राज्य और जिला स्तर के संगठनों से व्यावसायिक सहायता दी जाए।

जिला स्तर : जिला के स्तर पर दो भिन्न अभिकरण पाए जाते हैं– जिला शिक्षाधिकारी और जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान। अधिकांश राज्यों ने विद्यालयों के निरीक्षण के लिए एक समय-सूची तैयार की है। प्रसंगवश, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का घटक या माध्यमों का उपयोग निरीक्षण की इन समय-सूचियों में शामिल नहीं रहा है। इन सूचियों में आर.सी.सी.पी., टेलीविजन, दूसरे उपकरणों और सामग्रियों

के उपयोग के निरीक्षण को शामिल करना भी उपयोगी होगा। इससे अपने-आप विद्यालयों में रोजनामचों के रखरखाव, समय-सारणियों में व्यवस्था, सेटों के स्थान तथा प्रश्न–मंचों और परीक्षणों के आयोजन आदि की निगरानी की व्यवस्था विकसित होगी।

निरीक्षण की समय-सूचियों में कार्यक्रमों के उपयोग के प्रति अध्यापको की क्षमता भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। निरीक्षण के इस गुणात्मक घटक की रिपोर्ट जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान को अग्रसारित की जानी चाहिए।

जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना को व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए दो प्रमुख प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की इकाई को चाहिए कि संस्थान की सेवाकालीन शिक्षा इकाई के सहयोग से अध्यापनशास्त्र और जनसंचार माध्यमों के उपयोग के दृष्टिकोणों के बारे में अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए।

आज कार्यक्रमों की तैयारी का ढांचा अत्यंत ही केंद्रीकृत है जिसमें अध्यापक खुद को उपेक्षित ही नहीं महसूस करते बल्कि इन कार्यक्रमों के बारे में एक प्रकार की ईर्ष्या का अनुभव भी करते हैं। इनेक दृष्टांतों में कार्यक्रम का प्रस्तोता प्रतिभासंपन्न भी नहीं होता। दूसरी अनेक बातें भी सोची जाती है। इसके अलावा प्रासंगिकता का अभाव भी पाया जाता है तथा कार्यक्रम में प्रयुक्त भाषा या बोली और बच्चों की भाषा या बोली के बीच संगति नहीं होती। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों को चाहिए कि आडियो कैसेट तैयार करने के लिए पटकथा लेखन की कार्यशालाएं ही नहीं बल्कि पटकथा–प्रतियोगिताएं भी आयोजित करें। वे अध्यापकों के सहयोग से कार्यक्रम भी तैयार कर सकते हैं, भले ही वे कम परिष्कृत हों। इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, कार्यक्रम स्थान–सापेक्ष होना चाहिए और इससे उनकी अधिक प्रासंगिकता होगी। उडांग के एक गैर–सरकारी संगठन, हावड़ा ग्रामीण अध्यापक मंच ने ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की सहायता से ऐसा एक सफल प्रयोग भी किया है।

निष्कर्ष : यह बात महत्वपूर्ण है कि ठीक ढंग से कार्यरत सेटों की संख्या बहुत अधिक है। माध्यम-सुविधाओं के उपयोग की रिपोर्टें भी बहुत अधिक मिली हैं। उपयोग संबंधी रिपोर्ट को हम सही या गलत नहीं मानते। आंशिक सत्य यह है कि उनका उपयोग कभी-कभी किया जाता है, नियमित रूप से नहीं। कार्य सूची पत्रक और समय-सारणियों से नियमित उपयोग की सूचना मिलती है। हमारी राय में वातावरण सुदृढ़ और सुग्राही है। यहां प्रबंध के जिन आगतों अर्थात कार्रवाई और निगरानी की सिफारिश की गई है उनके होने पर माध्यमों के उपयोग की दर बढ़नी चाहिए।

3. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण की परियोजना शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई। नीपा की प्रादेशिक प्रणाली एकक के अध्यक्ष और वरिष्ठ अध्येता, श्री एम.एम. कपूर ने इसे संचालित किया।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण संबंधी प्रगति पर निगरानी की व्यवस्था विकसित करने के कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1991 में नीपा को उपरोक्त परियोजना का दायित्व सौंपा। प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र में सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए शिक्षा की आवश्यक दरों और अनुपातों का आकलन करने के लिए प्रतिदर्शी आधार पर आंकड़े जमा करना इस परियोजना का उद्देश्य था। इस परियोजना की परिकल्पना देश में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर निगरानी रखने, उसके लिए यथार्थवादी शैक्षिक योजनाएं बनाने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए

1993-94

राष्ट्रीय आंकड़ा–संग्रह प्रणालियों में सुधार लाने की एक दीर्घकालिक परियोजना के रूप में की गई थी।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे :

(अ) कक्षा 1 से 5 तक के लिए नामांकित अनुत्तीर्ण छात्रों के बारे में आयुवार सूचनाओं का संग्रह, संकलन और विशेषण करना;

(ब) शैक्षिक आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रतिदर्शी की मौजूदा पद्धति में सुधार लाना;

(स) प्रतिदर्शी सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त आंकड़ों तथा आधिकारिक अभिकरणों द्वारा की गई जनगणनाओं पर आधारित अनेक सूचकों का उपयोग करके लक्ष्य–निर्धारण की तकनीक का विकास करना।

इस अध्ययन की रिपोर्ट दो भागों में विभाजित है। अध्ययन के पहले चरण की रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। इस चरण के निष्कर्ष इस प्रकार है :

1. देश में प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार के बारे में शोध–अध्ययनों और रिपोर्टों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस सर्वेक्षण के पहले किसी राज्य, संघीय क्षेत्र या केंद्र सरकार ने किसी आयु–वर्ग के लिए पूर्णता की दर की गणना करने का कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया था। कहा गया था कि '1990 तक 11 की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चे 5 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे।' इस अध्ययन से पता चलता है कि केवल 'सकल नामांकन अनुपात' के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रगति पर निगरानी रखने की मौजूदा व्यवस्था अनुपयुक्त है। 'पूर्णता की दर' इसका कहीं बेहतर सूचक है और यह वास्तविकता के अधिक निकट है। फिर भी यह अकेले प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर निगरानी में सहायक नहीं है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए जरूरी है कि पूर्णता की दर के अलावा कक्षा 1 के नामांकन की निगरानी रखने के लिए 'प्रवेश की दर' का और कक्षा 1 से 5 तक छात्रों के प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए 'अनुत्तीर्णता की दर' और 'शिक्षात्याग की दर' के रूप में 'संक्रमण की दरों' का उपयोग किया जाए। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के नाजुक पहलुओं पर निगरानी रखने के लिए अनेक सूचकों का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा जो निम्न प्रकार से होगा :

   शिक्षापूर्ति पर निगरानी रखने के लिए आयुवर्ग 11-13 में कक्षा 5 के लिए और आयुवर्ग 14-17 में कक्षा 8 के लिए पूर्णता की दरों की गणना करनी होगी। 'उपलब्धि' पर निगरानी रखने के लिए उपलब्धि परीक्षण के अंकों की गणना करने के वास्ते कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों को ऐसे मानकीकृत उपलब्धि परीक्षणों से गुजारना होगा जो निर्धारित दक्षता के साथ अधिगम के न्यूनतम स्तरों पर आधारित हों।

2. उपरोक्त सूचक प्रणाली में, प्रणाली के अंदर और प्रणाली से बाहर छात्रों के प्रवाह पर निगरानी रखने में सहायक होंगे। लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए आरंभ में यह निगरानी कक्षा 5 तक सीमित रखी जा सकती है। संस्थाओं में छात्रों के मूल्यांकन के लिए चाहे जिस प्रणाली का व्यवहार किया जा रहा हो, उसके आधार पर कक्षा 5 में आकलित 'उत्तीर्ण प्रतिशत' को 'उपलब्धि' का निकट–पर्याय माना जा सकता है।

4. बड़ौदा के विद्यालय–प्रधानाध्यापकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान (नीपा की सहायता-योजना के अंतर्गत)

नीपा ने 'बड़ौदा के विद्यालय-प्रधानाध्यापकों की प्रशिक्षण

1993-94

संबंधी आवश्यकताओं की पहचान' शीर्षक से एक परियोजना को स्वीकृति दी थी। इसकी संचालिका प्रो. स्नेह जोशी, अध्यक्षा, शैक्षिक प्रशासन विभाग, शिक्षा एवं मनोविज्ञान संकाय, एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा थीं और इसकी लागत 9,800 रुपये थी। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे :

(अ) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की अनुभूत समस्याओं की छानबीन करना,

(ब) प्रबंध के ऐसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें ये प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, और

(स) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए सुव्यवस्थित ढंग से निरूपित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में सुझाव देना।

यह अध्ययन अब पूरा हो चुका है।

इसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

1. किसी शिक्षा संस्था के लिए नियोजन ही सबसे अहम दायित्व होता हैं। कारण कि कोई भी संगठन या संस्थान कुछ पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति/पूर्ति के लिए कार्य करता हैं और विद्यालय भी इसका अपवाद नहीं हैं। इसके लिए विद्यालय को अपने सुविचारित, विशिष्ट लक्ष्यों की रोशनी में मोटे तौर पर अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेने के बाद अपनी तमाम गतिविधियों की योजना बनानी पड़ती हैं। कोई भी गतिविधि योजना के बाद आरंभ होती हैं क्योंकि अफरातफरी, अव्यवस्था, भ्रम, संसाधनों की बरबादी, प्रयासों का दोहराव और दक्षता का अभाव आदि योजना के अभाव के परिणाम होते है। योजना के बिना मूल्यांकन करना कठिन होता है। इस तरह नियोजन किसी विद्यालय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं।

2. कभी-कभी विद्यालयों के प्रबंधक मंडल कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले ले लेते हैं। हालांकि इनमें वे एक हद तक प्रधानाध्यापकों को भी शामिल करते हैं लेकिन अधिकतर प्रबंधक मंडल ही निर्णयकारी सत्ता होते हैं। मिशाल के लिए एक नई कक्षा बनाना, अलग–अलग पारियों या माध्यमों में विद्यालय का संचालन, एक नए भवन का निर्माण आदि से संबंधित फैसले प्रबंधमंडल करते हैं जबकि रोजमर्रा की गतिविधियों की सारणी बनाना, काम बांटना, सहपाठ्यचर्यात्मक गतिविधियां आयोजित करना आदि प्रधानाध्यापकों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार कई बार ऐसा दिखाई देता है कि प्रधानाध्यापक रोजमर्रा के काम कहीं अधिक करते हैं। वे योजनाकर्मी से अधिक कार्यकारी या यूं कह लें कि प्रबंधक से अधिक प्रशासक होते हैं। वे प्रबंधकों की नीतियां लागू करते हैं त्था सरकारी नियम–कायदों के अनुसार काम करते हैं। पाठ्यचर्या की तैयारी, काम के बंटवारे, समय–सारणी आदि के संदर्भ में योजनाएं बनाने के लिए वे कुछ अध्यापकों की सहायता ले लेते हैं। जहां तक रोजमर्रा के कार्यकलाप का सवाल है, प्रधानाध्यापको को कभी–कभी दबावों का सामना करना पड़ता है, और यह बात छात्रों के प्रवेश, अध्यापकों की नियुक्ति, परीक्षाओं आदि के सिलसिले में अधिक होती है। ये दबाव कई तरफ से आते हैं।

3. व्यावसायिक विकास अध्यापकों, छात्रों और पूरे विद्यालय के लाभ के लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस पर कुछ ज्यादा विचार किया जाता हो। रोजगार की सुरक्षा और पेशे में ऊर्ध्व गतिशीलता की पर्याप्त संभावना का अभाव इसके प्रमुख कारण दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ हैं उसने भी संभव हैं इसमें योगदान दिया हो। इस बारे में सुधार

की जरूरत है। व्यावसायिक विकास के महत्व को समझना और उस पर अमल करना जरूरी है और इस बारे में प्रधानाध्यापक को प्रेरक की भूमिका निभानी होगी। उसे अध्यापको को प्रेरित करना होगा और अध्यापको को भी इस बारे में अधिक पहलकदमी करनी होगी। उन्हें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि राजगार की सुरक्षा और अच्छा वेतन महत्वपूर्ण अवश्य हैं, मगर साथ ही उन्हें अपने व्यावसायिक विकास के लिए भी प्रयास करना होगा।

5. आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी और खम्मम जिलों के आदिवासी क्षेत्रों के एक अध्यापक वाले विद्यालयों का अध्ययन (आंध्रप्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग के सहयोग से एक मूल्यांकन–अध्ययन)

यह अध्ययन कुल 96,684 रुपये की लागत से नीपा द्वारा किया गया। इसमें से 20,000 रु. आंध्र प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग ने दिये। नीपा के शैक्षिक प्रशासन एकक में अध्येता, डॉ. (सुश्री) के. सुजाता परियोजना की प्रभारी थीं।

यह अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया : विद्यालय से वंचित सारे गांव योजना के दायरे में आते हैं या नहीं, अगर नहीं तो स्थान की दृष्टि से क्या कमी है? (समष्टिगत आंकड़े डी.ई.ओ. (एजेंसी), आई. टी.डी.ए. से एकत्र किए जाएंगे।) जिन गांवों में एक अध्यापक वाले विद्यालय खोले गए हैं वहां विद्यालयगामी आयु की पूरी जनसंख्या विद्यालय जाती हैं या नहीं? क्या केवल स्थानीय आदिवासी नियुक्त किए गए हैं? अगर नहीं तो कौन सी पद्धति अपनाई गई और बाहर से आनेवाले आदिवासियों को निवास, भाषा आदि को लेकर किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्या सभी अध्यापक प्रशिक्षित हैं और इसमें क्या–क्या कठिनाइयां हैं? क्या अध्यापकों और छात्रों की उपस्थिति, अध्यापन की गुणवत्ता, संवाद की समस्याओं, जगह और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से विद्यालय ठीक से काम कर रहे हैं? क्या अपव्यय और प्रगतिरोध के कारण आश्रम विद्यालयों और आवासी विद्यालयों में तीसरे दर्जे के छात्र आ रहे हैं? वेतन के वितरण, विद्यालयों की छुट्टियों में वृद्धि आदि की क्या समस्याएं हैं? क्या स्थानीय आदिवासियों की नियुक्ति से उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है? क्या वे अपने रिश्तेदारों की दूसरी समस्याएं हल करने में सक्षम हैं? और क्या आदिवासी 'अर्हताविहीन' अध्यापकों से गैर–आदिवासी 'अर्हता प्राप्त' अध्यापको के संबंध मधुर हैं या नहीं हैं?

अध्ययन से प्राप्त कुछ प्रमुख परिणाम और कार्रवाई के लिए सुझाव निम्न प्रकार से हैं :

1. ऐसा देखा गया हैं कि ग्रामीण विकास केंद्रों के एक अध्यापक वाले विद्यालयों की स्थापना के बाद आश्रम विद्यालयों की मांग बढ़ी है। वास्तव में, खम्मम में आश्रम विद्यालयों मे कोई वृद्धि नहीं हुई है और इसलिए वे प्रवेश की मांग पूरी कर सकने में असमर्थ हैं। आश्रम विद्यालयों के प्रसार की योजना बनाने या उनमे उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में संगत सुधार लाकर उनकी प्रवेश–क्षमता बढ़ाने की फौरन जरूरत हैं। इस संदर्भ में आश्रम विद्यालयों की भूमिका की अलग से समीक्षा करना जरूरी है।

2. एक समुचित योजना के अभाव में अध्यापकों के वेतन को छोड़कर किसी और जरूरत के लिए बजट में प्रावधान नहीं किए गए थे। विद्यालय की स्थापना को अध्यापक की नियुक्ति का पर्याय मान लिया गया था। फलस्वरूप बहुत सारे विद्यालय न्यूनतम आवश्यक सामग्रियों से भी वंचित हैं। इसी तरह बहुत सारे विद्यालय एक साथ खोले गए और खासकर योग्य आदिवासी नौजवानों के अभाव में अध्यापकों की आवश्यकता का समुचित प्रक्षेपण नहीं किया गया। प्रशिक्षण के लिए कितने अध्यापक भेजे जाएंगे, इसकी भी कोई समुचित योजना नहीं बनाई गई। अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए भेजते समय वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक होता है ताकि विद्यालय का कार्यकलाप अबाध रूप से चलता रहे।

1993-94

3. मौजूदा आवश्यकताओं से अधिक आध्यापकों की भर्ती आवश्यक है ताकि अध्यापकों को चरणबद्ध ढंग से प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सके। फिर जब सारे अध्यापक प्रशिक्षण प्रप्त कर लें तो अतिरिक्त अध्यापको को समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें आगे स्थापित होने वाले विद्यालयों में लगाया जा सके।

4. विद्यालय भवन के निर्माण और रखरखाव में समुदाय से सहयोग और भागीदारी की जो आशा की गई थी वह विकास के संदर्भ विशेष में अयथार्थवादी निकली। दूसरी तरफ समुदाय को यह आशा रहती है कि एकीकृत आदिवासी विकास अभिकरण विद्यालय के लिए भवन की व्यवस्था करेगा। समुदाय के इस रवैये को देखते हुए जरूरत इसकी है कि अभिकरण विद्यालय भवन के निर्माण और रखरखाव, अध्यापकों और डाक्टरों के नामतः वेतन के लिए बजट में प्रावधान करे। अत्यधिक शिक्षित और प्रतिबद्ध सामुदायिक समन्वयकर्ताओं की नियुक्ति के कारण ऐसा संभव भी हुआ है। ये समन्वयकर्ता आदिवासियों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से सिर्फ प्रेरक का काम करते है। इस प्रयास में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। अगर दूसरे जिलों में कार्यरत ऐसे अभिकरण सामुदायिक भागीदारी को इसी प्रकार कारगर ढंग से सुनिश्चित करें तो यह बात समुदाय और प्रशासन, दोनों के लिए लाभकर होगी।

5. साथ ही विद्यालय संकुलों का विकास करना भी आवश्यक है जिनमें आश्रम विद्यालयों की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। इससे अंतःक्रिया और लगातार निगरानी को बढ़ावा मिलेगा। इन विद्यालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण अपरंपरागत ढंग से होना चाहिए। अधिकारियों को मित्र, गुरु और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए अध्यापकों के सामने एक आदर्श रखना चाहिए ताकि वे भी छात्रों और समुदाय के सिलसिले में ऐसी ही भूमिका निभा सकें। इन अधिकारियों में अपने विशेष संदर्भ में अपनी भूमिका के बारे में माकूल समझ पैदा की जानी चाहिए।

6. इन अधिकारियों को यह भी चाहिए कि वे संबंधित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन और आयोजन करें। उन्हें विद्यालयों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और निगरानी के लिए व्यापक उपाय भी विकसित करने चाहिए तथा उनमें अध्यापकों के गुण–अवगुणों को बता सकने की योग्यता होनी चाहिए। प्रत्येक अधिकारी के अंतर्गत होनेवाले विद्यालयों की संख्या के आधार पर दौरों की बारंबारता का निर्धारण होना चाहिए।

7. भविष्य में अध्यापकों की नियुक्ति के सिलसिले में एकीकृत आदिवासी विकास अभिकरण को प्रशिक्षित अध्यापकों की ही नियुक्ति करने संबंधी नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। प्रशिक्षित लोगों के अभाव में भरती किए गए युवकों से कहा जाना चाहिए कि वे पूरावक्ती प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पहले अपनी योग्यताएं बढ़ाएं; इस बीच उन्हें रोजगार के दौरान समय–समय पर अल्प अवधि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हालांकि अभिकरण केवल आदिवासी अध्यापक ही नियुक्त करता है मगर उसे चाहिए कि थोड़े से स्थानीय गैर–आदिवासी अध्यापक भी नियुक्त करे ताकि परस्पर सद्भाव को बढ़ावा मिले और आदिवासी अध्यापकों में अलगाव की भावना भी दूर हो सके।

6. भारतीय विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंध (नीपा की सहायता–योजना के अंतर्गत)

भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रबंध पर एक परियोजना नीपा की सहायता–योजना के अंतर्गत 48,000 रुपये की

1993-94

लागत के साथ स्वीकृत की गई थी। यह अध्ययन भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर की डॉ. मालती सोमैया ने किया है।

इस अध्ययन के कुछ परिणाम और कार्रवाई संबंधी सुझाव निम्न प्रकार से हैं :

1. विश्वविद्यालय को चाहिए कि पुराने छात्रों के संगठन को सक्रिय बनाए। चूंकि मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में एक है, इसलिए यहां अध्ययन कर चुके अनेक व्यक्ति अर्थव्यवस्था के निगमित क्षेत्र तथा दूसरे सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में ऊँचे पदों पर रहे है। विश्वविद्यालय को चाहिए कि विभिन्न विभागों में अकादमिक पीठ स्थापित करने के विचार को बढ़ावा दे। इस तरह से धन जुटाया जा सकता है और इन पीठों के लिए यशस्वी व्यक्ति चुने जा सकते हैं।

2. परास्नातक विभागों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि ग्राहक संगठनों को परामर्श प्रदान करने के दायित्व लें। इससे दो अहम उद्देश्य पूरे होते हैं। पहला, परास्नातक विभाग अपने शोधकार्यों को ऐसे अधिक व्यावहारिक क्षेत्रों की ओर मोड़ेंगे जो ग्राहक संगठनों के लिए प्रासंगिक होंगे और वे यथार्थ जीवन स्थितियों में काम करना भी सीखेंगे। इससे विश्वविद्यालय में किए जा रहे अनुसंधान की प्रासंगिकता बढ़ेगी। इसके अलावा ग्राहक संगठनों से लिए जानेवाले व्यावसायिक शुल्क को किसी परस्पर स्वीकार्य (मसलन 1 : 2 या बराबर–बराबर) अनुपात में संकाय और विश्वविद्यालय के बीच बांटा जा सकता है।

3. जब भी कोई विश्वविद्यालय, वि.अ. आयोग से विकास–अनुदान की मांग करता है तो उसे चाहिए कि आवर्ती व्यय की संगत वृद्धि की भरपाई करने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों को भी लाभबंद करे ताकि घाटे को यथासंभव कम किया जा सके।

4. वित्तीय ढांचे के संदर्भ में, आवश्यकतानुसार परियोजना या विभाग के स्तर पर, प्रायोजित अनुसंधान-गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है। परियोजना प्रभारी, विभागाध्यक्ष और वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि को लेकर एक छोटी सी निगरानी समिति अनुसंधान-अनुदानों के उपयोग पर नजर रखने के लिए गठिन की जानी चाहिए।

5. भुगतान की आवश्यक रणनीतियों के साथ विशिष्ट छात्र-ऋण योजनाओं का निरूपण जरूरतमंद छात्रों के लाभार्थ किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के नीतिनिर्माता और अकादमिक, दोनों प्रकार के निकायों में सेवायोजकों की भागीदारी बढ़ने पर विश्वविद्यालय के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

6. 'निष्पादन बजट' के रूप में वार्षिक बजट तैयार किए जाएं जिनमें अनुदानों को उपयोग व्यय मानने की बजाय अभीष्ट परिणामों पर जोर दिया जाए। इस दृष्टिकोण के चलते विश्वविद्यालय अधिक परिणाममुखी और लागत–प्रभावी बनेंगे।

7. विश्वविद्यालयों को नीतिनिर्माता निकायों के साथ सक्रिय सहयोग और नीतिगत अनुसंधान करने चाहिए। इसके कारण पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे क्योंकि ऐसे अनेक अध्ययनों का बड़ा बजट होता है और उनकी अवधि 2 से 3 वर्ष तक की होती है।

जारी अध्ययनों की रूपरेखा

1. विद्यालय मानचित्रण का एक अध्ययन

विद्यालय–मानचित्रण की एक परियोजना 8.83 लाख रुपये की राशि के साथ स्वीकृत की गई। प्रादेशिक प्रणाली

1993-94

एकक के वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, श्री एम. एम. कपूर इस अध्ययन के संचालक हैं। परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : निश्चित मानदंडों और शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था के विशेष संदर्भ मे विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में स्थानपरक योजनाओं की मौजूदा प्रक्रियाओं और पद्धतियों का आलोचनात्मक अध्ययन तथा क्षेत्र में कार्यरत स्टाफ के मार्गदर्शन के लिए विद्यालय–मानचित्रण की एक पुस्तिका की तैयारी।

यह अध्ययन केवल विद्यालय स्तर और सामान्य शिक्षा तक सीमित होगा। मौजूदा प्रक्रियाओं और पद्धतियों के आलोचनात्मक अध्ययन के लिए इसमें कुछ चुनिंदा प्रातिनिधिक राज्यों को ही शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। कुछ चुनिंदा राज्यों में नगर–योजना के अंग के रूप में नगरीय क्षेत्रों में विद्यालय–मानचित्रण के लिए विशेष अध्ययन किए जाएंगे।

कार्यक्रम सलाहकार समिति के सुझाव पर परियोजना में अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली भी शामिल किए गए। तमिलनाडु और मिजोरम की प्रखंड–योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश, असम और महाराष्ट्र से ऐसी योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं।

असम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मिजोरम, राजस्थान और तमिलनाडु से राज्यवार रिपोर्टों के मसविदे और प्रखंड–योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा उड़ीसा, दिल्ली और हरियाणा से राज्यवार रिपोर्टें और विशेषज्ञ प्रखंड–योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। जम्मु–कश्मीर ने कोई जवाब नहीं दिया हैं। इनमें से असम, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और मिजोरम की प्रखंड–योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है।

अन्य राज्यों से प्राप्त राज्यवार रिपोर्टों के मसविदों और प्रखंड–योजनाओं को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाकी बचे काम को पूरा करने के लिए उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दिल्ली संघीय क्षेत्र की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जाना हैं।

2. शैक्षिक प्रशासन के दूसरे अखिल–भारतीय सर्वेक्षण की परियोजना

यह परियोजना 19.84 लाख रुपये के बजट के साथ स्वीकृत की गई थी। इसे संयुक्त निदेशक श्री बलदेव महाजन (परियोजना निदेशक) संचालित कर रहे हैं। (प्रादेशिक प्रणाली एकक में वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष स्वर्गीय श्री एम. एम. कपूर दिसंबर 1993 तक इस परियोजना के निदेशक थे।)

सभी राज्यों, संघीय क्षेत्रों और केंद्र में शैक्षिक प्रशासन का एक व्यापक सर्वेक्षण करना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य हैं ताकि मौजूदा प्रणाली, प्रक्रियाओं और संरचना का निदान किया जा सके और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना के अनुसार योजना और प्रबंधन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन लाने के लिए कार्रवाई योजना तैयार की जा सके।

अरुणाचल प्रदेश, केरल और पंजाब के सर्वेक्षण की रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इन्हें संस्थान की ओर से विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ने शैक्षिक प्रशासन शृंखला के अंतर्गत (समूल्य प्रकाशनों के रूप में) प्रकाशित किया हैं। मार्च 1994 में गोवा, हरियाणा और मिजोरम की रिपोर्टें प्रेस में थीं जबकि कर्नाटक, मध्यप्रदेश और सिक्किम की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। छः अन्य राज्यों अर्थात अंडमान–निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन–दीव राजस्थान और त्रिपुरा की रिपोर्टों के मसविदों का आंशिक संशोधन किया जा चुका है।

मार्च 1994 तक कुल 27 राज्यों की रिपोर्टों के मसविदे प्राप्त हुए थे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने आंशिक मसविदे भेजे हैं। आंध्रपंदेश, जम्मू–कश्मीर और पश्चिम बंगाल से मसविदों का मिलना अभी बाकी है।

1993-94

3. लातीनी अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंधन : भारत के लिए इसके सबक और निहितार्थ

यह परियोजना 1,46,200 रुपये की लागत के साथ स्वीकृत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एकक में अध्येता, डॉ. अंजना मंगलागिरि इसका संचालन कर रही हैं।

लातीनी अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजनाओं की संरचना और प्रक्रिया की पड़ताल करना, इन कार्यक्रमों के प्रबंधन और संगठन की छानबीन करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में अंतःक्षेत्रीय समझदारी और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तुलनात्मक शिक्षाशास्त्र के विकास के लिए आवश्यक आगतों की व्यवस्था करना इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं।

यह अध्ययन लातीनी अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंधन की रणनीतियों की पड़ताल करता है और इन रणनीतियों पर भारत में जो जोर दिया जा रहा हैं उसकी रोशनी में विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी इसके विशेष संदर्भ है। लातीनी अमरीका के अनुभव से पता चलता है कि वहां अनौपचारिक शिक्षा को एक शैक्षिक कार्यक्रम नहीं माना जाता जैसाकि भारत में होता है, बल्कि उसे ढांचावद्ध और मानक औपचारिक शिक्षा प्रणाली का एक समग्र विकल्प समझा जाता है। भारत में जहां शीर्ष और आधार का दृष्टिकोण अपनाया जाता है वहीं उसके विपरीत लातीनी अमरीका के दृष्टांत में विकेंद्रीकरण, जनता की भागीदारी, आत्मीकरण और इनके बाद अपने अधिकारों के लिए जनता की लामबंदी के कुछ तत्व दिखाई देते हैं। लातीनी अमरीकी दृष्टांत खुद में इस कार्यक्रम पर जोर न देकर योजना और प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर जोर देता है जिसके सकारात्मक परिणाम निकले हैं।

4. शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी उपयोग : एक केस अध्ययन

संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर यह परियोजना 1,19,100 रुपये की लागत के साथ स्वीकृत की गई थी। शैक्षिक वित्त एकक के अध्यक्ष, डॉ. जे.बी.जी. तिलक इसके निदेशक हैं।

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार है : एक ओर शिक्षा की संस्थागत लागत और दूसरी ओर संस्था के उत्पाद के आधार पर शिक्षा की लागत–प्रभाविता का अध्ययन करना; काल–क्रम में किसी विद्यालय में विभिन कार्यों के लिए संसाधनों के आवंटन और उपयोग के प्रतिमानों का अध्ययन करना; तथा आबंटन/उपयोग के प्रतिमानों में भिन्नताओं की व्याख्या कर सकनेवाले कारकों की छानबीन करना।

यह अध्ययन प्राथमिक प्रतिदर्शी आंकड़ों पर आधारित है जो एक जिले से जमा किए जाएंगे। आंकड़े जमा करने का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और संगणक की सहायता से उनका विश्लेषण भी किया जा चुका है। रिपोर्ट लिखने का काम जारी है।

5. भारत में शैक्षिक विकास की क्षेत्रीय विषमताएं : आधारभूत स्तर पर समाज कल्याण के संदर्भ में शैक्षिक विषमताओं की पड़ताल

आधारभूत स्तर पर क्षेत्रीय विषमताओं के बारे में यह परियोजना 3,48,840 रुपये की रकम के साथ मंजूर की गई थी। परियोजना के निदेशक, डॉ. एस.सी. नुना, परियोजना सहायिकाएं, कुमारी वासवी सरकार और अंजना सलूजा और परियोजना के मानचित्रकार श्री जमालुद्दीन फारूकी परियोजना दल में शामिल हैं।

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं : विद्यालय स्तर पर शैक्षिक विषमताओं का विश्लेषण करना; इनमें कमी लाने के प्रयासों को दिशा देने के लिए एक व्याख्या–प्रणाली विकसित करना; शिक्षा और विकास के अन्य क्षेत्रों के अनुबंधनों का विश्लेषण करना; और आधाभूत स्तर पर एकीकृत योजना का एक ढांचा तैयार करने के लिए विकास–प्रदाय की विद्यमान व्यवस्था का मूल्यांकन करना।

1993-94

पांचवे अखिल–भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त जिलास्तरीय आंकड़े तथा परिवारों का सर्वेक्षण करके 15 जिलों से प्राप्त किए गए प्राथमिक आंकड़े इस अध्ययन के आधार हैं। यह अध्ययन अब अपने अंतिम चरण में है।

6. शिक्षा के लिए संगणक–आधारित योजना (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने 31,21,700 रुपये की लागत के साथ शिक्षा के लिए संगणक–आधारित योजना संबंधी यह परियोजना स्वीकृत की है।

'कोप' (संगणक–आधारित शैक्षिक योजना) के बारे में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली संघ क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को 'कोप' प्रणाली से परिचित कराने के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में 'कोप' प्रणाली के प्रदर्शन के बाद इसे संघीय क्षेत्रों में लागू करने का फैसला किया गया। इस बारे में उपनिदेशकों, क्षेत्रीय अधिकारियों और राज्यों के 'कोप' कक्षों के कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। आंकड़े जमा करने के प्रपत्र छप चुके हैं और दिल्ली के शैक्षिक जिलों में आवश्यक हार्डवेयर लग चुके हैं।

उत्तरप्रदेश में इटावा और बिहार में रांची के लिए आंकड़ा–भंडार तैयार किए जा चुके हैं। बिहार शिक्षा परियोजना में रांची जिले के आंकड़ा–भंडार का व्यापक उपयोग हो रहा है।

7. सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 1991-92 (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संबंधी यह परियोजना स्वीकृत की है।

इस अध्ययन के लिए 23.96 लाख रुपये की राशि स्वीकार की गई है।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धियों पर नजर रखने के मकसद से विद्यालयों में कक्षा 5 तक या अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में समकक्ष शिक्षा पूरी करने वाले अर्थात आयुवर्ग 11 + से 13 + के बच्चों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिदर्शी प्रारूप का विकास करना; तथा राष्ट्र, राज्यों और संघीय क्षेत्रों के स्तर पर इस प्रतिदर्शी प्रारूप के आधार पर सूचनाओं का संग्रह, संकलन और विश्लेषण करना।

25 राज्यों या संघीय क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) और परियोजना सलाहकार समिति को भेजी गई।

सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी के लिए प्रयुक्त अनेक सूचकों के बारे में लिखे गए एक आलेख पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक बैठक में विचार किया गया। सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी के लिए प्रयुक्त अनेक सूचकों (अर्थात सकल नामांकन अनुपात, प्रवेश–दर, कक्षावार प्रतिधारण–दर) पर 32 राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए 5 तालिकाएं तैयार की गईं और उपरोक्त मंत्रालय को भेजी गईं।

शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सलाह–मश्विरा और गहन विचार–विमर्श करने के बाद इस परियोजना के दूसरे चरण के लिए एक प्रस्ताव का मसविदा तैयार किया गया और मंजूरी के लिए उसे मंत्रालय को भेजा गया। दूसरे चरण में 21 राज्यों और संघीय क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त किए गए जिन्हें संगणक द्वारा विश्लषण के लिए भेजा गया।

1993-94

8. राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति का मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

परियोजना सलाहकार समिति ने फरवरी 1993 में इस परियोजना की रूपरेखा को स्वीकृति दी थी। डॉ. (श्रीमती) कुसुम के. प्रेमी और सुश्री वाई. जोसेफीन इस परियोजना दल में शामिल हैं।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है : विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों द्वारा किस हद तक इस छात्रवृत्ति योजना का उपयोग किया जा रहा है इसका तथा विशिष्ट श्रेणियों द्वारा इसके अल्पोपयोग के संभावित कारणों का पता लगाना; प्रतिभा की पहचान करने और उसे परवान चढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई जा रही विधियों की समीक्षा करना; प्रबंधन की संरचनाओं का मूल्यांकन और क्रियान्वयन संबंधी बाधाओं की पहचान करना; लाभार्थियों की समाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों का अध्ययन करना; लाभार्थियों पर योजना के प्रभावों का आकलन करना; और अंत में नवोदय विद्यालयों के संदर्भ में योजना की प्रासंगिकता का पता लगाना।

अध्ययन के लिए राज्यों से प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े जमा किए गए। इस काल में 14 राज्यों से द्वितीयक आंकड़े जमा किए गए तथा उनके विश्लेषण से प्राप्त परिणामों पर एक संक्षिप्त आलेख फरवरी 1994 में मंत्रालय को भेजा गया। राज्यस्तरीय अधिकारियों, जिलास्तरीय अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, छात्रवृत्ति पानेवालों, उनके अभिभावकों और भूतपूर्व लाभार्थियों से प्राथमिक आंकड़े जमा करने के लिए प्रश्नावलियां तैयार की गई हैं।

महाराष्ट्र, मेघालय और उड़ीसा में प्राथमिक आंकड़े जमा करने का काम शुरू किया गया है। मेघालय और महाराष्ट्र में क्षेत्रकार्य पूरा हो चुका है और तालिकाओं के प्रारूप तैयार हैं।

9. पांडिचेरी का शैक्षिक विकास : एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

यह अध्ययन 2,20,050 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ स्वीकार किया गया। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के डॉ. के. एस. मैथ्यू और नीपा के डॉ. ए. मैथ्यू इसे संचालित कर रहे है।

भूतपूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश और फिलहाल संघ क्षेत्र पांडिचेरी में शिक्षाप्रणाली का विकास अनेक सकारात्मक विशेषताओं के कारण गौर करने के काबिल है। भारतीय संघ में विलय के 35 साल के अंदर उसने प्रगति की है और वहां साक्षरता की दर आज 55.85 प्रतिशत है जबकि इसका अखिल–भारतीय औसत 36 प्रतिशत है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन को देखें तो पांडिचेरी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजंनीकरण के बहुत करीब लगता है। यहां शैक्षिक सुविधाओं का अभूतपूर्व प्रसार हुआ हैं। शिक्षा के लिए यहां अनेक दूसरे राज्यों और संघीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक संसाधन का आवंटन होता है जो इस प्रसार की गति को बनाए हुए है।

फिर भी ऐसा लगता है कि प्रणाली की गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य को निर्धारित करनेवाले तत्व अर्थात प्रबंधन की दक्षता में कुछ कमियां है। इनमें शैक्षिक प्रशासन के ढर्रे; संस्थागत प्रबंधन; अध्यापकों की व्यावसायिक दक्षता और उसका उन्नयन; उनकी भर्ती, नियुक्ति, प्रोन्नति और स्थानांतरण समेत समूची कार्मिक नीति; तथा संस्थाओं द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग शामिल हैं।

उपरोक्त कारकों की रोशनी में, योजना और प्रबंधन संबंधी सुधारमूलक उपाय करने के उद्देश्य से, पांडिचेरी की शिक्षा प्रणाली का निदान प्रत्यक्ष महत्व का पात्र है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य इस तरह हैं : फ्रांसीसी शासन के तहत पांडिचेरी में शिक्षा के विकास की नीति और शिक्षाप्रणाली का अध्ययन; पांडिचेरी के विलय के बाद उसकी शिक्षाप्रणाली पर फ्रांसीसी प्रभावों का

1993-94

अध्ययन; 1954 के बाद से उसके शैक्षिक विकास की आलोचनात्मक छानबीन; योजना और प्रबंधन के बुनियादी मुद्दों की पहचान; उदीयमान सरोकारों की रोशनी में सुधार के उपायों की सिफारिश।

रिपोर्ट लिखने का काम चल रहा है।

10. चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों के परिदृश्य का अध्ययन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर नीपा ने केंद्रीय और 8 राज्यीय विश्वविद्यालयों के विकासमान परिदृश्यों पर 7 लाख रुपये की लागत से एक अध्ययन का आरंभ किया। नीपा के उच्च शिक्षा एकक के वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, डॉ. जी.डी. शर्मा इस अध्ययन के परियोजना निदेशक हैं।

अध्यक्ष के उद्देश्य इस प्रकार हैं : पूरे विश्वविद्यालय और अलग–अलग उसके प्रत्येक विभाग/केंद्र के लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर भारत के केंद्रीय और राज्यीय विश्वविद्यालयों के उद्‌गम, उनके कार्य–निष्पादन की स्थिति, और विकास की भावी प्राथमिकता का विश्लेषण करना; प्रतिदर्शित विश्वविद्यालयों के विकास और कार्य–निष्पादन पर वि.अ. आयोग, राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त होनेवाले प्रोत्साहनों के प्रभाव की जांच पड़ताल करना; उनके विकास और कार्य–निष्पादन पर सांगठनिक ढांचों, निर्णय–प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्मिकों और तौर तरीकों के प्रभावों की जांच पड़ताल करना; विशेष रूप से कुछेक विश्वविद्यालयों और सामान्यतः पूरी उच्च शिक्षा को प्रभावित कर रहे महत्वपूर्ण चरों की पहचान करना; केंद्रीय और राज्यीय विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों में इन चरों की भूमिका की तुलना करना और उनका अंतर्विरोध दिखाना; पिछली प्रवृत्तियों को आधार बनाकर प्रतिदर्शित विश्वविद्यालयों के भावी विकास का प्रक्षेपण करना और इस विकास को वांछित दिशाओं में ले जाने के लिए योजनाओं और कार्रवाई के कार्यक्रमों का सुझाव देना; तथा प्रत्येक चुने गए विश्वविद्यालय का परिदृश्य तैयार करना और प्रत्येक के वास्ते विशिष्ट नीतियां और कार्रवाई के कार्यक्रम सुझाना।

हमने प्रतिदर्शित 17 विश्वविद्यालयों में 10 के परिदृश्य और इन 10 के सभी विभागों के अध्यापकों के परिदृश्य प्राप्त कर लिए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, विश्वभारती, बंबई विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं तथा प्रमुख अनुसंधान अन्वेषणकर्ता इन विश्वविद्यालयों से संबंधित लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा कर चुके हैं। तुलनात्मक विश्लेषण के लिए संगणक पर आंकड़ों का अभिसंस्कार करने का कार्य प्रगति पर है।

11. आधारभूत स्तर पर महिला–कल्याण का अध्ययन (महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इस अध्ययन को 2,24,200 रुपये की लागत के साथ स्वीकार किया था। नीपा के प्रादेशिक प्रणाली एकक में अध्येता, डॉ. एस.सी. नुना इस अध्ययन के परियोजना निदेशक हैं।

इस अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार रखे जा सकते हैं : *वुमेन एंड डवलपमेंट* शीर्षक अध्ययन में देश के जिलों को पांच श्रेणियों में बांटने के लिए महिला–कल्याण के जिस संश्लिष्ट सूचकांक का उपयोग किया गया है उसकी वैधता स्थापित करना; आधारभूत स्तर पर महिला–कल्याण की प्रकृति का आकलन करना; और महिला–कल्याण में वृद्धि के लिए एक समन्वित योजना रणनीति तैयार करने के वास्ते सेवाओं के अभिसार का एक प्रतिलिपि तैयार करना।

आंकड़ों के संग्रह का कार्य प्रगति पर है।

LIBRARY & DOCUMENTATION
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9374
Date 5-12-96

12. शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 100 जिलों में महाविद्यालयों के विकास का अध्ययन

देश के शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 100 जिलों में महाविद्यालयों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अध्ययन प्रायोजित किया है। इसके लिए निर्धारित अनुदान 3.40 लाख रुपये हैं और इस अध्ययन के परियोजना निदेशक डॉ. जी. डी. शर्मा (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एकक) हैं।

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं : शैक्षिक और आर्थिक रूप से अल्पविकसित जिलों के सबसे सुपात्र 100 महाविद्यालयों की पहचान करना; चुनिंदा महाविद्यालयों में अकादमिक और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकताओं का संकेत देते हुए उनकी स्थिति का परिदृश्य तैयार करना; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सुझाव देना और इन महाविद्यालयों के विकास के लिए विशेष सहायता–योजनाओं की सिफारिश करना; संबंधित जिलों के प्रासंगिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए संस्था–विकास के क्षेत्रों की पहचान करना; पहचानशुदा क्षेत्रों के विकास के लिए प्रचार्यों और स्टाफ में योजना और प्रशासन संबंधी तकनीकी ज्ञान और कौशल का विकास करना, तथा महाविद्यालयों की खामियों और विकास संबंधी सूचकों का विकास करना। बाद में दूसरे महाविद्यालय भी अपने विकास के लिए इन सूचकों का उपयोग कर सकते हैं।

वि. अ. आयोग ने देश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए गुणवत्ता–सुधार योजनाएं प्रायोजित की हैं। ये योजनाएं पिछड़े या ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद स्थितियों का कोई विशेष ध्यान नहीं रखतीं। सहायता–योजनाओं को पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में आगतों की गुणवत्ता के सुधार से जोड़ने के लिए आयोग ने देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित महाविद्यालयों की स्थिति और विशिष्ट आवश्यकताओं की जांच परख कराने के लिए इस अध्ययन को प्रायोजित किया हैं।

रिपोर्ट सात अध्यायों में विभाजित होगी जो इस प्रकार हैं– प्रस्तावना; मानव संसाधन; बुनियादी सुविधाएं, प्रक्रियाएं और निष्पादन; संचालन और वित्त; परिप्रेक्ष्य योजनाएं और कार्य–निष्पादन के सूचक; सिफारिशें; कार्यक्रम संबंधी पहलकदमी और सहायता की योजनाएं।

13. वर्ष 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का अध्ययन : वैकल्पिक नीतिसमूहों के संसाधन संबंधी निहितार्थ

'वर्ष 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण : वैकल्पिक नीति समूहों के संसाधन संबंधी निहितार्थ' पर नीपा ने एक अध्ययन 95,000 रुपये के बजट–प्रावधान के साथ आरंभ कराया। नीपा के शैक्षिक योजना एकक में वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, डॉ. श्रीप्रकाश इस अध्ययन के परियोजना–निदेशक हैं।

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं : नीतिगत परिप्रेक्ष्यों के लिए आवश्यक सहायता के ढांचे का विकास करना; प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए आवश्यक व्यय का विश्लेषण करना; दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों को समेटते हुए नामांकन का राज्यवार प्रक्षेपण करना। हालांकि अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य में इसमें केवल पिछड़े राज्यों को ही समेटा जाएगा।

अध्ययन इस समय प्रगति पर है।

14. आधारगत मूल्यांकन अध्ययन : केरल और कर्नाटक

यह परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में शुरू की गई हैं और इसके लिए विश्वबैंक धन दे रहा है। इससे संबंधित केरल राज्य का अध्ययन डॉ. एन.वी. वर्गीज, अध्येता, प्रादेशिक प्रणाली एकक, नीपा कर रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं : (i) केरल में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षार्थी की उपलब्धि के स्तरों की मापना, (ii) प्राथमिक विद्यालयों के कार्यकलाप का विश्लेषण;

1993-94

और (iii) शिक्षार्थी की उपलब्धि और विद्यालय की प्रभाविता के कारकों की पहचान करना।

यह अध्ययन केरल के तीन जिलों—मल्लपुरम, कासरगोड़ और वायनाड से प्राप्त अनुभवाश्रित साक्ष्यों पर आधारित है। क्षेत्र कार्यों के लिए इन जिलों के जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों को शीर्ष–निकायों के रूप में चुना गया। जनवरी 1994 के अंत में, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के स्तरों को स्पष्ट करते हुए एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आंकड़ों के विश्लेषण और अंतिम रिपोर्ट के लिखने का काम चल रहा है और आशा है कि यह परियोजना जुलाई 1994 तक पूरी हो जाएगी।

आधारगत मूल्यांकन : कर्नाटक

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वबैंक ने छः राज्यों में आधारगत मूल्यांकन अध्ययन को प्रायोजित किया है। इसी कार्यक्रम के तहत कर्नाटक राज्य का अध्ययन डॉ. वाई.पी. अग्रवाल, अध्येता, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक कर रहे हैं। इस अध्ययन के उद्देश्य हैं : कर्नाटक में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षार्थी की उपलब्धि के स्तरों को मापना तथा मूल्यांकन के लिए आधारगत आंकड़ा उपलब्ध कराना और शिक्षार्थी की उपलब्धि और विद्यालय की प्रभाविता के कारकों की पहचान करना।

यह अध्ययन कर्नाटक के चार जिलों—कोलार, मांड्या, बेलगाम और रायचूर पर आधारित है। नवंबर–दिसंबर, 1993 में क्षेत्र कार्य पूरा किया गया और जनवरी 1994 में आयोजित एक सम्मेलन में इसकी प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। राज्य स्तर पर इस प्रकार के अध्ययन की क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में अध्ययन के वास्ते तैयारी की गई। यह अध्ययन कर्नाटक राज्य के संसाधन संस्थानों के सहयोग से संचालित किया गया। सर्वेक्षण योजना, आंकड़ा संग्रह, संगणक संसाधन आदि से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए राज्य के डी.इ.एस.इ. आर.टी. को शीर्ष निकाय के रूप में चुना गया था। राज्य स्तर पर इस अध्ययन का संचालन श्री एम.वी.पी. राजू, प्रवाचक, डी.इ.एस.इ.आर.टी. ने किया।

यह परियोजना अध्ययन निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है और इसे समय सीमा के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा।

15. दसवें वित्त आयोग के संदर्भ में शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था

यह परियोजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर आरंभ की गई। डॉ. जे.बी.जी. तिलक, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष, शैक्षिक वित्त एकक, डॉ. एन.वी. वर्गीज अध्येता, प्रादेशिक प्रणाली एकक और श्री धीरेंद्र कुमार कार, परियोजना दल के सदस्य हैं।

परियोजना का काम जुलाई 1993 में आरंभ हुआ। शुरू के महीनों में मुख्यतः अनेक स्रोतों से आंकड़े जमा करने का काम किया गया। विशिष्ट रूप से विभिन्न वर्षों में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के आंकड़े जमा किए गए। इसी तरह मंत्रालय के प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों से 18 बड़े राज्यों में विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर होने वाले व्यय के आंकड़े भी जमा किए गए। हम 1980-81 के बाद के आंकड़ों का भंडार तैयार कर सके हैं।

प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और मार्च 1994 के अंत तक 'भारत में शिक्षा के लिए अनावश्यक संसाधन : दसवें वित्त आयोग के लिए उसके निहितार्थ' शीर्षक से एक मसविदा–रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें निम्न सूचनाएं प्रदान की गई हैं : चालू और स्थिर दामों पर शिक्षा की योजना, गैर–योजना और कुल व्यय की पिछली प्रवृत्तियां; शिक्षा के प्रारंभिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी स्तरों पर अलग–अलग और शिक्षा के सभी स्तरों पर कुल मिलाकर होने वाला व्यय; शिक्षा के स्तरों के अनुसार चालू और

1993-94

स्थिर दामों पर योजना, गैर–योजना और कुल व्यय की पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर प्रायोजित शिक्षा व्यय; शिक्षा के स्तरों के अनुसार चालू और स्थिर दामों पर प्रतिछात्र शिक्षा व्यय (योजना, गैर–योजना और कुल), प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में नामांकन की प्रवृत्तियां तथा (वर्ष 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को लक्ष्य बनाकर) प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन के लक्ष्य तथा (पिछली संवृद्धि के आधार पर) माध्यमिक शिक्षा की संभावित संवृद्धि; नामांकन की प्रवृत्तियों के आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए संसाधनों की आवश्यकता के आकलन।

इस समय माध्यमिक और उच्च शिक्षा से संबंधित आंकड़े जमा करने का काम चल रहा है।

16. उच्च शिक्षा संस्थाओं में शैक्षिक प्रशासकों के विचार : कुछ लैंगिक प्रश्न

यह परियोजना अध्यन डॉ. जयलक्ष्मी इंदिरेसन, वरिष्ठ अध्येता, उच्च शिक्षा एकक कर रही हैं।

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं : शैक्षिक प्रशासकों की जीवन वृत्तियों के आरंभ और उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण, अपनी भूमिकाओं, दायित्वों और अपेक्षित पुरस्कारों के बारे में शैक्षिक प्रशासकों के विचारों को समझना तथा इसे भी कि उनके काम के रूझानों से किस प्रकार इनमें परिवर्तन आते हैं; व्यावसायिक परिवेश की समझ तथा आत्मविचार पर उसके प्रभाव का अध्ययन करना; और इन विचारों में पाए जानेवाले लैंगिक भेदों की छानबीन करना।

प्रबंधन में स्त्रियों की भूमिका की किसी भी छानबीन से अनेक प्रश्न जुड़े होते हैं। विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर स्त्रियों की संख्या बहुत कम हैं, इस बात को स्वीकार करते हुए यह अध्ययन निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता हैं : वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर अधिक स्त्रियों की जरूरत क्यों हैं; किसी प्रशासनिक पद तक किसी स्त्री के उत्थान को प्रभावित करनेवाले कारक कौन से हैं; शक्ति, मान्यता और पुरस्कार के अहम प्रबंधकीय आयामों पर तथा व्यावसायिक परिवेश से उनके संबंध पर शैक्षिक प्रशासिकाओं के विचार क्या हैं; तथा इस तरफ अधिक स्त्रियों को लाने और उनके कार्यकलाप को अधिक प्रभावशाली बनाने में इन बातों के निहितार्थ क्या हैं?

17. गंदी बस्तियों के बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के अध्ययन में प्रतिदर्शी सर्वेक्षण की तकनीकों के उपयोग पर परियोजना : दिल्ली और बंबई के केस अध्ययन

प्रो. श्रीप्रकाश, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष, शैक्षिक योजना एकक इस परियोजना के संचालक हैं।

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं : नामांकन की कमी, प्रतिधारण और विद्यालय त्याग तथा सामाजिक आर्थिक विकास से उनके परस्पर संबंधों का पता लगाने के लिए गंदी बस्तियों के बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना।

प्रश्नावली का विकास करके उसका क्षेत्र–परीक्षण किया जा चुका है, समष्टि को सूचीबद्ध कर लिया गया है और प्रतिदर्शन की विधि को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

नए अध्ययन

1. माध्यमिक शिक्षा में विद्यालयों की गुणवत्ता के परिदृश्य : चुनिंदा माध्यमिक विद्यालयें का अध्ययन

डॉ. (श्रीमती) सुदेश मुखोपाध्याय, इस परियोजना की निदेशिका है। इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं : माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता के परिदृश्य तैयार करना; विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत विद्यालयों की गुणवत्ता में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करना; और विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने के लिए हस्तक्षेप की नीतियां तैयार करना।

1993-94

यह अध्ययन अप्रैल 1993 में स्वीकृत किया गया था और 3 जनवरी 1994 को इसे वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई। फरवरी से अप्रैल तक के लिए एक अनुसंधान सहायक नियुक्त किया गया। इस काल में हुई प्रगति इस प्रकार है : (i) साहित्य का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है जिसके आधार पर 'माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता : विद्यालय प्रभाविता से प्रभावी विद्यालय तक' शीर्षक से एक आलेख लिखा गया है; इसे किसी उपयुक्त पत्रिका में प्रकाशित कराया जाएगा तथा शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में एक प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए बुनियादी आलेख के रूप में भी प्रयुक्त किया जाएगा; (ii) राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गांधीनगर और अजमेर का आरंभिक दौरा किया गया और अध्ययन के दायरे में आनेवाले विद्यालयों की सूची तैयार की जा रही है; और (iii) विद्यालय की गुणवत्ता के सूचकों की पहचान करने के लिए डेल्फी अध्ययन का काम प्रगति पर है।

2. उच्च शिक्षा संस्थाओं की छात्राओं को उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का आकलन, वरिष्ठ अध्येता, उच्च शिक्षा एकक

इस परियोजना की संचालिका डॉ. जयलक्ष्मी इंदिरेसन वरिष्ठ अध्येता, उच्च शिक्षा एकक है।

अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं : छात्राओं को छात्रावासों, कामन रूमों, शौचालयों और अन्य सुविधाओं के रूप में इस समय उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का गुणात्मक और परिमाणात्मक आकलन करना; मांग के सापेक्ष इन सुविधाओं की पर्याप्तता का आकलन करना; कमी का आकलन करना और अगले पांच से दस साल की आवश्यकता का प्रक्षेपण करना। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए दो अलग–अलग तरह की प्रश्नावलियां तैयार की गई हैं। देशभर के 500 महाविद्यालयों को प्रश्नावलियां भेजी गईं जिनमें से 240 ने उत्तर भेजे हैं। सभी आंकड़े संगणक में जमा किए गए हैं। तालिकाएं तैयार की जा रही हैं और रिपोर्ट लिखने का काम प्रगति पर है।

3. 'भारतीय विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र के अध्यापन और अनुसंधान की स्थिति पर परियोजना अध्ययन

संस्थान ने 'भारतीय विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र के अध्यापन और अनुसंधान की स्थिति' पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित एक लघु परियोजना का आरंभ किया है। इसकी लागत 20,000 रुपये और अवधि 2 माह है तथा इसके संचालक प्रो. श्रीप्रकाश, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष, शैक्षिक योजना एकक हैं। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है : (i) बुनियादी सुविधाओं, अध्यापनकर्मियों, अनुसंधान की क्षमताओं और सुविधाओं की कमियों और सीमाओं की पहचान करना; (ii) विषयवार दलों के कार्यों की समीक्षा करना, जिसमें संकाय की शक्तियों, कमजोरियों और विशेषीकरण तथा अध्यापकों और शोधछात्रों, दोनों के द्वारा अलग–अलग विभागों में किए जा रहे अनुसंधान का आकलन करना भी शामिल है; तथा (iii) विभिन्न विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र विभागों में अनुसंधान के स्तरों का आकलन करना ताकि पिछड़े विभागों को बुनियादी सुविधाओं और अध्यापकों से संबंधित सीमाओं पर काबू पाने में सहायता दी जा सके और वे अपने अनुसंधान कार्य को राष्ट्रीय औसत स्तर तक ला सकें।

अध्ययन का कार्य जारी हैं।

4. जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों में सेवाकालीन प्रशिक्षण के संदर्भ में योजना और प्रबंधन की प्रक्रियाओं का अध्ययन

इस परियोजना के संचालक डॉ. बी.के. पंडा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक है।

अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं : जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के आकार, प्रबंधन और नियंत्रण– वित्तीय, अकादमिक और प्रशासनिक; कार्यक्रम निर्धारण की प्रक्रिया; संस्थानों के अंदर और बाहर के अनुबंधन;

1993-94

सेवाकालीन कार्यक्रमों की प्रभाविता के बारे में संस्थानों के संकाय, प्रधानाचार्यों तथा औपचारिक, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा संस्थाओं में कार्यक्रमों के लाभार्थियों और लक्ष्यवर्गों के विचार; संस्थानों के सेवाकालीन अध्यापक–शिक्षा कार्यक्रमों की योजना और प्रबंधन के बारे में प्रकार्यात्मक ढांचे का विकास।

5. महाविद्यालय–प्रचार्यों की शक्तियां, स्थितियां और दायित्व

डॉ. जी.डी. शर्मा, वरिष्ठ अध्येता व अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एकक इस परियोजना के संचालक हैं।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : प्रचार्यों की भरती की विधियों और तौर–तरीकों की छानबीन; उनकी सेवा और कार्य की दशाएं; कानून, धाराओं और निगम ज्ञापन के द्वारा प्राचार्यों में निहित शक्तियां और अधिकार तथा उन्हें प्रदत्त दायित्व; पाठ्यचर्या–विकास, अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया की नियमितता का निर्धारण; प्रवर्तनकारी कार्यक्रमों को लागू करने, छात्रों और स्टाफ के विकास तथा गैर–अध्यापक स्टाफ समेत समस्त प्रबंधन, और बुनियादी ढांचे के विकास और प्रबंधन के बारे में प्राचार्यों के दायित्व; संचालन की विधियां; प्रबंधन मंडल और प्राचार्यों तथा प्राचार्यों और धनदाता संगठनों के आपसी संबंध; महाविद्यालय प्राचार्यों की स्थिति और दायित्व के बारे में उनके अपने विचार तथा कारगर ढंग से दायित्व के निर्वाह में आनेवाली समस्याओं का अध्ययन करना।

ऐसा महसूस किया जाता है कि प्राचार्य की परंपरागत भूमिका और सत्ता आज गंभीर तनाव के शिकार हैं। संस्थाओं की शैक्षिक संरचना, प्रक्रिया और आकार में बदलाव के साथ संचालन की व्यवस्था में और खासकर प्राचार्य की शक्तियों, अधिकार और दायित्व में परिवर्तन आवश्यक है।

प्रकाशन

अनुसंधानों के परिणामों का प्रसार भी स्वयं उन अनुसंधानों जितना ही महत्वपूर्ण है। अनुसंधान कार्यपत्रों और सामयिक आलेखों के रूप में अनुसंधान लेख प्रकाशित किए जाते है। विनिबंध और अनुलेखित पांडुलिपियां प्रसार की अन्य विधियां हैं। प्रकाशन एकक कार्यपत्रों और सामयिक आलेखों के अलावा अंग्रेजी और हिंदी में शैक्षिक योजना और प्रशासन की पत्रिकाओं तथा इन क्षेत्रों में पुस्तकों और अनुसंधान की रिपोर्टों का प्रकाशन करता है।

संस्थान द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में निम्नलिखित का प्रकाशन किया गया।

समूल्य

1. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन अरूणाचल प्रदेश : स्ट्रक्चर, प्रोसेसेज एंड प्रास्पेक्ट्स फार दि फ्यूचर, (एम. एम. कपूर, आर.पी.बढेरा और श्रीलेखा मजुमदार)

यह पुस्तक संस्थान द्वारा शैक्षिक प्रशासन के बारे में प्रकाशित की जाने वाली एक बड़ी शृंखला का पहला ग्रंथ है। यह शैक्षिक प्रशासन के देशव्यापी सर्वेक्षण के अंग के रूप में नीपा द्वारा राज्य में किए गए दूसरे शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण का परिणाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और उसके बाद के संशोधित रूपों की सिफारिशों के अनुसार शैक्षिक प्रशासन की प्रणाली में बहुप्रतीक्षित परिवर्तन लाने के लिए उसके मौजूदा रूप और कार्यकलाप की जानकारी जरूरी है। यह पुस्तक प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है, तथा मुख्य रूप से विद्यालय स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए संस्था से राज्य के स्तर तक शैक्षिक प्रशासन की वर्तमान स्थिति की जानकारी देती है। शिक्षा की स्थिति तथा उसके कानूनी आधार के बारे में सामान्य सूचनाएं देने के अलावा इसमें शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं, जैसे–

1993-94

शैक्षिक नीतियां और कार्यक्रम, संगठन और संरचनाओं, गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका, कार्मिक प्रबंधन, सूचना प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक योजना की प्रक्रिया, निरीक्षण और परिवेक्षण, अकादमिक सहायता प्रणाली आदि का संक्षेप में वर्णन किया गया है। प्रणाली के विभिन्न सोपानिक स्तरों के प्रशासन कर्मियों के कार्यकलापों की विस्तृत विवेचना की गई है। अध्यापकों के हस्तांतरण संबंधी एक प्रवर्तनकारी नीति का वर्णन पुस्तक की एक खास विशेषता है। रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश के शैक्षिक प्रशासन के भावी विकास के लिए तात्कालिक महत्व के भावी कार्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

2. **एजुकेशनल एडमिनिरट्रेशन इन पंजाब : स्ट्रक्चर, प्रोसेसेज एंड प्रास्पेक्ट्स फार दि फ्यूचर,** (एम.एम. कपूर, अमृत ढींगरा और आर.एस. त्यागी)

यह पुस्तक दूसरे अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण के तहत नीपा द्वारा हाल में पंजाब में किए गए सर्वेक्षण का परिणाम है। 15 अध्यायों पर आधारित इस पुस्तक में मुख्य रूप से विद्यालय शिक्षा के प्रशासन को ध्यान में रखते हुए संस्था से लेकर राज्य के स्तर तक शैक्षिक प्रशासन की मौजूदा स्थिति का वर्णन किया गया है। यह देश के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशासन संबंधी एक प्रकाशन शृंखला का अंग है तथा अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षाशास्त्रियों, शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों तथा शिक्षा के विकास में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ ग्रंथ है।

3. **एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन केरला : स्ट्रक्चर, प्रोसेसेज एंड प्रास्पेक्ट्स फार दि फ्यूचर,** (एम.एम. कपूर, टी.एच. श्रीधरन और जे.सी. गोयल)

यह पुस्तक देश के सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में किए गए दूसरे अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण पर आधारित शृंखला का अंग है। इसमें शिक्षा का संगठन और प्रशासन, शैक्षिक योजना, नीति और कार्यक्रमों, शैक्षिक वित्त, निरीक्षण और पर्यवेक्षण, संस्थागत योजना और प्रबंधन तथा शिक्षा के कानूनी आधार समेत शैक्षिक प्रशासन के सभी अहम पहलुओं का अध्ययन किया गया है। राज्य में शिक्षा के भावी विकास की संभावनाएं भी बतलाई गई है।

जहां तक शैक्षिक विकास का सवाल है, केरल की स्थिति ईर्ष्या–योग्य है। अनेक प्रकार से इसे 'अग्रणी' होने का सुयश प्राप्त है। यहां स्त्रियों और पुरुषों, दोनों में साक्षरता की दर सबसे अधिक है। भारत में पहला पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव पानेवाला एर्णाकुलम इसी राज्य में है। केरल में अवर प्राथमिक चरण में सकल नामांकन अनुपात 105.6 है। यहां शिक्षा के लिए संसाधनों का अच्छाखासा भाग आबंटित किया जाता है। यहां अध्यापक–छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। अध्यापकों में महिलाओं का भाग 60 प्रतिशत है। प्राथमिक चरण में शिक्षात्याग की दर देश में सबसे कम, मात्र तीन प्रतिशत है। फिर भी आंकड़ा–भंडार को और समृद्ध बनाने, अव्यावहारिक विद्यालयों की संख्या कम करने, शिक्षा में अंतर–जिला विषमताएं घटाने, संस्थागत योजना, पर्यवेक्षण और निरीक्षण, स्टाफ के विकास आदि कुछ क्षेत्रों में अभी और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

अमूल्य

4. **एक्सटर्नल एंड इंनटर्नल रिसोर्स मोबिलाइजेशन फार एजुकेशन फार आल,** (जे.बी.जी. तिलक)

यह परिचर्या–पत्र 'एक्सटर्नल एंड इनटर्नल रिसोर्स मोबिलाइजेशन फार एजुकेशन फार आल (पैनल II)' शीर्षक से राष्ट्रीय पत्र के रूप में शामिल करने के लिए तैयार किया गया था और इससे नई दिल्ली में दिसंबर 1993 में सभी के लिए शिक्षा पर नौ सघन जनसंख्या वाले देशों के शिखर–सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था।

1993-94

यह आलेख वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक संसाधनों के सापेक्ष संसाधनों की घरेलू उपलब्धता की छानबीन करता है। इस संदर्भ में यह संसाधनों की घरेलू आवश्यकता और उपरोक्त लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक संसाधनों के बीच की कमी (अगर हो तो) को पूरा करने के लिए बाहरी सहायता की संभावनाओं की भी पड़ताल करता है।

यह आलेख अनेक सूचकों का प्रयोग करते हुए विकासशील देशों में शिक्षाव्यय के प्रतिमान की भी छानबीन करता है। आलेख में स्पष्ट की गई कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं : (i) विकासशील देशों में से किसी में भी शिक्षा पर व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद के चार प्रतिशत से अधिक नहीं है जबकि विकसित देशों में यह छः प्रतिशत है; (ii) शिक्षा में भौतिक पूंजी के निर्माण पर जोर देने की आवश्यकता है; और (iii) वेतन से इतर मदों (जैसे पाठ्यपुस्तकों, सहायक अध्यापन–सामग्रियों आदि) में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।

आलेख में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख वित्तदाता के रूप में सरकार की भूमिका भी स्पष्ट की गई है।

शिक्षा के लिए बाहरी संसाधनों का विश्लेषण करते हुए यह आलेख कुछ अहम संगठनों, जैसे– द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों, विश्वबैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, यूनेस्को तथा उनके योगदानों की पहचान भी करता है। आलेख नौवें दशक से विकासशील देशों की शिक्षा के लिए प्राप्त होनेवाली बाहरी सहायता की प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है तथा इस दशक के अंतिम वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के पक्ष में आए स्पष्ट परिवर्तन को सामने लाता है।

आलेख का समापन कुछ नीतिगत प्रश्नों की विवेचना के साथ होता है। कुछ विवेचित प्रमुख प्रश्न इस प्रकार है :

(अ) हालांकि बाहरी सहायता बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है और शिक्षा के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है, मगर इससे ज्यादा की उम्मीद करना वांछित नहीं है।

(ब) बाहरी सहायता में सहायता की प्रकृति और प्रकार का फैसला करते समय देश की दशाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा संबद्ध राष्ट्र में क्षमता का निर्माण और दीर्घकालिक शैक्षिक विकास इसका उद्देश्य होना चाहिए।

(स) प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त बाहरी सहायता बढ़ाई जानी और जारी रखी जानी चाहिए।

5. सभी के लिए शिक्षा : सचित्र प्रस्तुतीकरण, (पी.एन. त्यागी)

यह प्रकाशन संस्थान द्वारा पहले प्रकाशित किए जा चुके 'एजुकेशन फार आल : ए ग्रैफिक प्रेजेंटेशन' का हिंदी अनुवाद है।

6. एजुकेशन फार आल : ए ग्रैफिक प्रेजेंटेशन, दूसरा संस्करण, (पी.एन. त्यागी)

'एजुकेशन फार आल : ग्रैफिक प्रेजेंटेशन' का यह दूसरा संस्करण एक संशोधित और परिवर्धित संस्करण है। इसकी रूपरेखा भारत और बाहर के नीति–विश्लेषणकर्ताओं, वरिष्ठ प्रशासकों और शोधकर्ताओं समेत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। यह 1991 की जनगणना से प्राप्त अंतिम तालिकाओं तथा शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संगृहित अधुनातन शैक्षिक आंकड़ों पर आधारित है।

यह दस्तावेज निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है :

(i) शिक्षा संस्थाओं, नामांकन, अध्यापकों और वित्त–व्यवस्था जैसे प्रमुख शैक्षिक सूचकों के

1993-94

व्यवहार की ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करना;

(ii) जनांकीय व्यवहार और खासकर आयु–सापेक्ष जनसंख्याओं के जनांकीय व्यवहार का वर्णन करना;

(iii) शैक्षिक विषमताओं की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना, खासकर बुनियादी ढांचे, अध्यापकीय और गैर–अध्यापकीय आगतों की व्यवस्था और परिणामों की गुणवत्ता में;

(iv) प्रारंभिक शिक्षा के अहम कार्यक्रमों के आगतों और उपलब्धियों के स्तर को प्रस्तुत करना।

इसमें शिक्षा के इन क्षेत्रों के सिलसिले में एक तुलनीय काल–श्रृंखला और दैशिक आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। प्रस्तुति के उद्देश्य से पुस्तक को सात भागों में बांटा गया हैं : (1) प्रशासनिक संरचना, (2) जनांकिकी, (3) साक्षरता, (4) संस्थाएं, (5) अध्यापक, (6) नामांकन, और (7) शिक्षा पर व्यय।

इसमें यथासंभव तुलनीय काल–श्रृंखलाएं तैयार करने का प्रयास किया गया है। कुछ दृष्टांतों में संपूर्ण काल–श्रृंखलाएं उपलब्ध नहीं हैं और इस कारण अनेक कालबिंदुओं पर तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रत्येक भाग के आरंभ में, उस भाग में दिए गए आरेखों और तालिकाओं के आधार पर एक सार–संक्षेप दिया गया है। बुनियादी आंकड़े और उनके साथ चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण इस दस्तावेज की प्रमुख विशेषताएं है।

प्रेस में

1-3. शैक्षिक प्रशासन संबंधी प्रकाशन–श्रृंखला में हरियाणा, मिजोरम और गोवा से संबंधित पुस्तकें (समूल्य)

4. **सोर्स बुक आन इनवायरनमेंटल एजुकेशन फार एलिमेंटरी टीचर एजुकेटर्स,** (कुसुम प्रेमी, एस. सी. नुना और प्रमिला मेनन)

जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन

संस्थान हर तीन माह पर इस पत्रिका का प्रकाशन करता है। साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष पत्रिका के निम्नलिखित अंक प्रकाशित किए गए :

(अ) **अंग्रेजी**

वर्ष छः, अंक 4, अक्टूबर 1992

वर्ष सात, अंक 1, जनवरी 1993

वर्ष सात, अंक 2, अप्रैल 1993

वर्ष सात, अंक 3, जुलाई 1993

(ब) **शैक्षिक योजना और प्रशासन**

वर्ष पांच, अंक 4, अक्टूबर 1991

वर्ष छः, अंक 1, जनवरी 1992

प्रेस में

(1) जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ष सात, अंक 4, अक्टूबर 1993

(2) शैक्षिक योजना और प्रशासन, वर्ष छः अंक 2, अप्रैल 1992 और वर्ष छः, अंक 3, जुलाई 1992

अनुलेखित प्रकाशन

संस्थान ने अनुसंधान अध्ययनों, सामयिक आलेखों और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सिलसिले में अनुलेखित प्रकाशनों की एक श्रृंखला भी प्रकाशित की

1993-94

अध्याय 4

पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र और अकादमिक सहायता प्रणाली

पुस्तकालय

संस्थान के पास शैक्षिक योजना, प्रशासन और अंतरशास्त्रीय विषयों पर एक सुसमृद्ध पुस्तकालय है। वर्षों के कालक्रम में यह शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों, विद्वानों, छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों को पूरे वर्ष पुस्तकालय और प्रलेखन संबंधी अबाध सुविधाएं प्रदान करके अधिकाधिक उनकी जरूरतें पूरी करता रहा है।

इस वर्ष 548 नई किताबें जमा की गईं और प्रलेखन केंद्र में 611 दस्तावेज जमा किए गए। पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र के पास इस समय 45,963 पुस्तकों का और साथ में सं.रा. संघ, यूनेस्को, आर्थिक सहयोग–विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनिसेफ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों का एक संग्रह भी है।

पत्रिकाएं

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में मुख्यतः शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंध और अन्य संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित 350 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं का क्रय किया जाता है। इन पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित तमाम महत्वपूर्ण लेखों की सूची तैयार की जाती है। इस वर्ष इन पत्रिकाओं से 3,425 लेखों की अनुक्रमाणिका तैयार की गई।

अखबारी कतरनें

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में पुस्तकों और पत्रिकाओं के अलावा शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित अखबारी कतरनों का एक विशेष संग्रह भी रखा जाता है। पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र के पास ऐसी 20 विषयवार फाइलें हैं।

अमुद्रित सामग्री

संस्थान का पुस्तकालय एक बहुमाध्यमी संसाधन केंद्र है। इसमें वीडियो कैसेट, आडियो कैसेट, फिल्में, माइक्रोफिल्में और माइक्रोफिचों का संग्रह किया जाता है। इस समय इसमें 6 फिल्में, 35 वीडियो कैसेट, 80 आडियो कैसेट, 54 माइक्रोफिल्में और 58 माइक्रोफिच मौजूद हैं।

पुस्तकों का वितरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के भागीदारों, संकाय तथा अन्य संस्थाओं को अंतर–पुस्तकालय ऋण के तहत कुल 75123 दस्तावेज जारी किए गए। पुस्तकालय में शोधार्थियों ने 1,20,280 दस्तावेजों का उपयोग किया।

सामयिक जानकारी सेवा

शैक्षिक पत्र-पत्रिकाएं : प्राप्त शीर्षक और उनकी विषय वस्तु किसी विशेष पखवाड़े के दौरान शिक्षा संबंधी :– पत्रिकाओं के अंतर्तत्वों के बारे में पाठकों को सामयिक जानकारी प्रदान करने के लिए पुस्तकालय ने 'पीरियाडिकल्स आन एजुकेशन : टाइटिल्स रिसिव्ड एंड देयर कांटेंट्स' शीर्षक से अपना पाक्षिक मीमियोग्राफ प्रकाशित करना जारी रखा।

1993-94

नीपा पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र प्राप्तियां

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में प्राप्त दस्तावेजों, रुचि के लेखों और नई प्राप्तियों के बारे मे संगणक से एक मासिक सूची भी तैयार की जाती रही।

चुनी हुई सूचनाओं का प्रचार-प्रसार

पुस्तकालय ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त नई सूचनाओं का संस्थान की अकादमिक एककों और अनुसंधान परियोजना दलों में प्रचार-प्रसार किया। उन्होंने अपनी रुचि के अनुरूप इन सूचनाओं का इस्तेमाल किया।

संदर्भ सूची

समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पुस्तकालय ने 103 संदर्भ सूचियां तैयार की।

नीपा प्रलेखन सेवाएं

शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और प्रबंध के क्षेत्र में कार्यरत, व्यक्तियों और विद्वानों दोनों के लिए नीपा प्रलेखन केंद्र में समसामयिक जानकारी सेवा की एक शृंखला तैयार की गई है।

इस शृंखला के अंतर्गत पहला अंक कार्मिक विकास पर केंद्रित था। दूसरा अंक 'शिक्षा पर जे.पी. नायक' पर आधारित है। इसमें जे.पी. नायक की पुस्तकें और आलेखों का विषय–सारांश प्रस्तुत किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष में नीपा अनुसंधान अध्ययन पर अंक निकाला गया।

प्रलेखन केंद्र

संस्थान के कार्यक्रमों और खासकर राज्यों और संघीय क्षेत्रों की जरूरतों से जुड़े कार्यक्रमों के वास्ते सूचनाओं का एक कारगर आधार प्रदान करने के लिए पुस्तकालय का प्रलेखन केंद्र शैक्षिक योजना और प्रशासन पर केंद्र, राज्यों और संघीय क्षेत्रों, शिक्षा विभागों, जिला अधिकारियों और शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रकाशित संदर्भ सामग्रियों का संकलन करता है। केंद्र का खास जोर सूचनाओं के संकलन, भंडारण और वितरण पर है ताकि संस्थान सूचनाओं के निकासीघर की भूमिका निभा सके।

इनमें राज्यों के गजेटियर, राज्यों की जनगणना की हस्तपुस्तिकाएं, शैक्षिक सर्वेक्षण, राज्यों की योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, बजट, राज्यों के विश्वविद्यालयों की हस्तपुस्तिकाएं, बुनियादी स्रोत ग्रंथ और संदर्भसूचियां, अखबारी कतरनें, राज्यों की शैक्षिक नियमावलियां, कानून, नियम–कायदे, तकनीकी–आर्थिक और प्रतिदर्शी सर्वेक्षण, जिलों के गजेटियर, जिलों की जनगणना की हस्तपुस्तिकाएं, वार्षिक योजनाएं, शैक्षिक योजनाएं, जिला ऋण–योजनाएं, प्रमुख बैंकों की रिपोर्टें जिला प्रतिदर्शी सर्वेक्षण, जिला शैक्षिक सर्वेक्षण, जिला सांख्यिकी हस्तपुस्तिकाएं, ग्राम और प्रखंड स्तर की योजनाएं और अध्ययन, अनुसंधानों और परियोजनाओं की रिपोर्टें, संसाधन अन्वेषण अध्ययन, तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षण, नीपा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्टें, नीपा के अनुसंधान अध्ययन, नीपा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भागीदारों द्वारा प्रस्तुत लघु शोध–प्रबंध शामिल है।

प्रलेखन केंद्र शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी प्रवर्तनकारी अनुभवों और नई उपलब्धियों के बारे में निम्न विधियों से सूचनाओं का प्रसार करता है :

संगणक केंद्र

संस्थान के पास एक सुसमृद्ध संगणक केंद्र है जो विभिन्न प्रशिक्षण, अनुसंधान और अन्य गतिविधियों को सहायता प्रदान करता है।

इस वर्ष संगणकों का एक नेटवर्क कायम करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए सुपर जीनियस पी सी/486-एस एक्स और साथ में नावेल नेटवेयर (वर्जन 3.12) साफ्टवेयर हासिल किए गए। आरंभ में संगणक केंद्र (प्रशिक्षण अनुभाग), पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र, प्रशासन, लेखा, 'कोप' परियोजना आदि को 25 नोड उपलब्ध कराए

गए हैं।

प्रकाशन के वेंचुरा साफ्टवेयर से युक्त डेस्कटाप प्रकाशन प्रणाली संस्थान के अपने प्रकाशन-कार्य की जरूरतें पूरा करती हैं। इस प्रणाली के कार्यों को और सुदृढ़ करने के लिए डेस्कटाप प्रकाशन की मौजूदा इकाई में सुपर जीनियस पी सी/486-एस एक्स और साथ में 600 डी.पी. आई. वाले लेसर प्रिंटर का इजाफा किया गया। संगणक केंद्र में निजी संगणकों पर आधारित नवीनतम साफ्टवेयर पैकेज तथा साथ में लोटस 1-2-3 (रिला. 3), डी–बेस IV, एस.पी.एस.एस. पी.सी. + (वर्जन 4), साफ्टकैल्क, साफ्टवर्ड, साफ्टबेस और वर्डस्टार (वर्जन 6) जैसे मैनुअल भी हैं। प्रोग्राम के कार्यों के लिए कोबोल, फोरट्रान, पास्कल और 'सी' कंपाइलर्स का इस्तेमाल किया जाता हैं। उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त अनेक साफ्टवेयर भी प्राप्त किए गए हैं और ये शैक्षिक और संबद्ध आंकड़ों के परिणात्मक विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

मानचित्रण कक्ष

मानचित्रण कक्ष प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए चित्रांकन की सेवाएं प्रदान करता है। इस कक्ष ने चित्रों, ग्राफों, चार्टों, तालिकाओं और पारदर्शियों के द्वारा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं में चित्रात्मक प्रस्तुति के लिए, आंकड़ों और सूचनाओं की प्रस्तुति की गई विधियों का विकास किया हैं इस कक्ष ने 'सबके लिए शिक्षा : सचित्र प्रस्तुति' का दूसरा संस्करण भी प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ पिछले 40 वर्षों के शैक्षिक आंकड़े प्रस्तुत करता है। अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और केरल के शैक्षिक प्रशासनों के प्रकाशनों में भी इस कक्ष ने विभिन्न चित्रात्मक प्रस्तुतियों का योगदान किया है।

हिंदी कक्ष

संस्थान का हिंदी कक्ष हिंदी में विभिन्न प्रकाशनों को प्रस्तुत करने में ही सहायता नहीं देता बल्कि सरकार की राजभाषा नीति को लागू करनेवाले अभिकरण का भी काम करता हैं। इस वर्ष राजभाषा क्रियान्वयन समिति की चार बैठकें राजभाषा कानून के विभिन्न प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए की गईं। इस समिति की सिफारिश पर हिंदी आशुलिपि और टंकण का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। हिंदी दिवस का आयोजन भी किया गया।

इस वर्ष हिंदी में पत्रिका के 2 अंक प्रकाशित किए गए। श्री पी.एन. त्यागी कृत 'सबके लिए शिक्षा : सचित्र प्रस्तुतीकरण' नामक पुस्तक भी इस कक्ष के द्वारा प्रकाशित की गई।

1993-94

अध्याय 5

संगठन, प्रशासन और वित्त

संगठनात्मक ढांचा

नीपा एक स्वायत्त निकाय है जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता–अनुदान प्राप्त होता है। इसकी एक परिषद, एक कार्यकारी समिति, एक वित्त समिति और एक योजना व कार्यक्रम समिति है जो संस्थान के प्रमुख निकाय है। संस्थान का निदेशक उसका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसकी सहायता के लिए एक संयुक्त निदेशक होता है। कुलसचिव कार्यालय का प्रमुख होता है और पूरे प्रशासन का प्रभारी होता है।

परिषद

संस्थान का प्रमुख निकाय उसकी परिषद है जिसका प्रमुख एक अध्यक्ष होता है। उसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीपा का निदेशक परिषद का उपाध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक शिक्षा प्रणालियों के कार्यपालक तथा यशस्वी शिक्षाशास्त्री परिषद के सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, भारत सरकार के चार सचिव (शिक्षा, वित्त, कार्मिक और योजना आयोग), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक, राज्यों और संघीय क्षेत्रों के छः शिक्षा सचिव और छः शिक्षा निदेशक, छः यशस्वी शिक्षाशास्त्री, कार्यकारी समिति के सभी सदस्य और नीपा संकाय के तीन सदस्य परिषद के सदस्य होते हैं। नीपा का कुलसचिव परिषद के सचिव का काम करता है।

संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना तथा उसके कार्यकलाप पर आम निगरानी रखना परिषद का प्रमुख कार्य है।

31 मार्च 1994 के रोज परिषद के सदस्यों की सूची परिशिष्ट । में दी गई है।

कार्यकारी समिति

संस्थान का निदेशक इसका पदेन होता है। सचिवों द्वारा नामांकित व्यक्ति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग); वित्त और योजना आयोग; किसी राज्य का एक शिक्षा सचिव; एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री; किसी राज्य सरकार का एक निदेशक तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन में सक्रिय रूप से संलग्न राज्य शिक्षा संस्थान का एक निदेशक; नीपा का संयुक्त निदेश, नीपा की परिषद् में शामिल तीन में से दो संकाय सदस्य भी कार्यकारी समिति के सदस्य होते हैं। नीपा का कुलसचिव कार्यकारी समिति के सचिव का काम करता है।

कार्यकारी समिति परिषद के मामलों और धन के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है तथा उसे परिषद की सभी शक्तियों का व्यवहार करने के अधिकार प्राप्त है। 31 मार्च 1994 के रोज कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट ।। में दी गई है।

वित्त समिति

वित्त समिति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संस्थान के निदेशक की पदेन अध्यक्षता में इनमें पांच

1993-94

सदस्य होते हैं। इनमें वित्तीय सलाहकार के अलावा परिषद के ऐसे पांच सदस्य शामिल हैं जिन्हें परिषद का अध्यक्ष नामित करे। नीपा का कुलसचिव वित्त समिति का सचिव होता है।

वित्त समिति खातों और बजट अनुमानों की छानबीन करती है तथा नए खर्चों और अन्य वित्तीय मामलों पर प्रस्तावों की सिफारिश करती है। 31 मार्च 1994 के रोज वित्त समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट III में दी गई है।

योजना और कार्यक्रम समिति

संस्थान के निदेशक (पदेन अध्यक्ष), संयुक्त निदेशक, अकादमिक एककों के अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), योजना आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक-एक प्रतिनिधि, किसी एक विवश्वविद्यालय का अध्यक्ष (परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित), राज्य सरकारों के दो शिक्षा सचिव और दो शिक्षा निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित), तथा परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित छः शिक्षाशास्त्री/समाजवैज्ञानिक/प्रबंध विशेषज्ञ (जिनमें से दो महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा से, एक अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा से और एक अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़े हुए हों) योजना और कार्यक्रम समिति के सदस्य होते हैं।

31 मार्च 1994 के रोज इस समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट IV में दी गई है।

योजना और कार्यक्रम समिति से आशा की जाती है कि वह संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों को स्वीकृति देगी, उन्हें अंतिम रूप देगी और उनकी समीक्षा करेगी; संस्थान के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य और योजनाएं विकसित करेगी; संकाय द्वारा नियोजित अनुसंधान, प्रशिक्षण, और सलाहकार कार्यक्रमों को हर साल समेकित करेगी, उनका अध्ययन करेगी, तथा कमियों और प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करेगी।

अकादमिक एकक

संस्थान का संकाय 8 अकादमिक एककों में विभाजित है। ये इस प्रकार हैं :

शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक नीति, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रादेशिक प्रणालियां, अंतर्राष्ट्रीय।

इन एककों के दृष्टिकोणों और अकादमिक प्राथमिकताओं का वर्णन अध्याय 1 में किया गया है।

हर अकादमिक एकक एक वरिष्ठ अध्येता के अंतर्गत हैं, सिवाय शैक्षिक नीति एकक के जो एक अध्येता की अध्यक्षता में है।

ये अकादमिक एकक पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान के विभिन्न कार्यक्रम तैयार और लागू करते हैं तथा अपने–अपने विशेष क्षेत्रों में परामर्शकारी और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करते हैं।

कार्यबल और समितियां

संस्थान के निदेशक द्वारा समय–समय पर विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए विशेष कार्यबलों और समितियों का गठन किया जाता है।

विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में सलाह देने तथा उनकी प्रगति पर निगरानी रखने के लिए परियोजना सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है।

अध्ययनों के लिए सहायता–योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर एक अनुसंधान अध्ययन सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। संस्थान के निदेशक इसके अध्यक्ष होते है तथा इसमें दूसरों के अलावा अकादमिक एककों के प्रमुख भी सदस्य होते हैं। कुलसचिव इसका सदस्य–सचिव होता है।

1993-94

प्रशासन और वित्त

प्रशासनिक ढांचा तीन प्रभागों और दो कक्षों पर आधारित है— अकादमिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन, प्रशिक्षण कक्ष और समन्वय कक्ष। अकादमिक प्रशासन और समन्वय कक्ष सीधे कुलसचिव को अपनी रिपोर्ट देते हैं। कार्मिक और सामान्य प्रशासन के प्रभाग और प्रशिक्षण कक्ष पर अकादमिक अधिकारी निगरानी रखता है जो कुलसचिव के अंतर्गत होता हैं।

वित्त अधिकारी वित्त और लेखा प्रभाग का प्रभारी होता है।

पद	संख्या
संकाय	34
अकादमिक सहायता	27
प्रशासन और वित्त	36
सचिवालय और तकनीकी स्टाफ	38
समूह घ	45
योग	180

31 मार्च 1994 के रोज संस्थान की कुल स्टाफ संख्या 180 थी। संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों की संख्या ऊपर दी गई है।

स्टाफ परिवर्तन

डॉ. एम. मुखोपाध्याय (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक प्रशासन एकक) प्रतिनियुक्ति के आधार पर 29.01.1993 से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।

श्री एस. गोपाल (सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) 01.06.1993 से नीपा के कुलसचिव हैं।

श्रीमती अंजना मंगलागिरि (अध्येता) को यूनिसेफ की सहायक परियोजना अधिकारी (शिक्षा) का कार्यभार संभालने के लिए 01.10.1993 को दो वर्षों के लिए कार्यमुक्त किया गया।

डा. एस.बी. राय, हिंदी संपादक 31-1-1994 को सेवानिवृत्त हुए!

श्री एस.आर. चौधरी (प्रभाग अधिकारी) प्रतिनियुक्ति के आधार पर 28.02.1994 से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

डॉ. (श्रीमती) सुधाराव (अध्येता) 29.03.1994 से दो वर्षों के लिए अखिल–भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।

विदेश यात्राएं

डॉ. आर. गोविंद (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष) 14.01.1993 से लेकर 13.01.1995 तक विशेष अवकाश पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस में आवासी छात्रवृत्ति पाकर कार्यरत रहे।

डॉ. प्रमिला मेनन सह–अध्येता ने 25 अगस्त से 2 सितंबर, 1993 के दौरान मनीला में बेसिक शिक्षा के विकास के लिए विकेंद्रीकरण और भागीदारी विषय पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।

1993-94

डॉ. एन.वी. वर्गीज (अध्येता) ने 20 अक्टूबर से 5 नवंबर, 1993 तक बैंकाक में आयोजित उपक्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

डॉ. जे.बी.जी. तिलक (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक वित्त एकक) ने 28.02.1994 से लेकर 02.03.1994 तक विकास अध्यन संस्थान, ससेक्स, इंग्लैंड द्वारा वित्त व्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।

श्री बलदेव महाजन (संयुक्त निदेशक, नीपा) ने 1-4 मार्च 1994 के दौरान टगैटे सिटी, फिलीपीन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 44वें सत्र की तैयारी के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया।

श्रद्धांजलि

श्री एम.एम. कपूर (जन्म : 23.09.1945), वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, प्रादेशिक प्रणाली एकक, तीन–चार दिनों तक तेज बुखार से ग्रस्त रहने के बाद 12.12.1993 को एकाएक चल बसे। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान (यूनेस्को), पेरिस से शैक्षिक योजना में उन्नत प्रशिक्षण पाने के बाद उन्होंने शैक्षिक योजना और प्रबंध के विशेष क्षेत्रों, खासकर विद्यालय–मानचित्रण और व्यष्टिस्तरीय योजना में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। राज्य और राष्ट्र स्तर की अनेक शिक्षा समितियों और आयोगों से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहने के अलावा वे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय सहायता अभिकरण (सीडा), और अन्य संगठनों के शैक्षिक योजना और प्रबंध परामर्शदाता भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनेक अनुसंधानों और प्रकाशनों को व्यापक रूप से सराहा गया है।

उनके निधन के साथ नीपा में अपने संकाय का एक सक्रिय सदस्य खो दिया है।

परिसर सुविधाएं

संस्थान के पास एक चारमंजिला कार्यालय भवन, 48 सुसज्जित कमरों वाला सातमंजिला छात्रावास और एक आवासीय परिसर है जिसमें निदेशक के आवास के आलावा टाइप I के 16 तथा टाइप II, III, IV और V के 8-8 क्वार्टर हैं।

इस समय छात्रावास भवन में वार्डेन का आवास, अतिथि संकाय के निवास की सुविधा, अतिरिक्त खंडों को शामिल करने तथा भोजन कक्ष का विस्तार करने आदि के लिए उसके विस्तार और उन्नयन का काम पूरे जोरों पर है और जल्दी ही इसके पूरा हो जाने की आशा है।

वित्त

इस वर्ष संस्थान को 140.52 लाख रुपये (योजनेतर 95.52 लाख, योजना 45.00 लाख रुपये) का अनुदान प्राप्त हुआ जबकि वर्ष 1992-93 में 166 00 लाख (योजनेतर 93.00 लाख और योजना 73.00 लाख) रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। वर्ष के आरंभ में संस्थान के पास बकाया रकम 35.01 लाख (योजनेतर 3.48 लाख और योजना 31.53 लाख) रुपये थी। इस वर्ष कार्यालय और छात्रावास से 21.87 लाख रुपये की रकम प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल प्राप्ति 197.40 लाख रही। सरकारी अनुदान में से इस वर्ष 196.99 लाख रुपये (योजनेत्तर 120.40 लाख और योजना 76.53 लाख रुपये) का व्यय हुआ जबकि 1992-93 के दौरान यह व्यय 178.69 लाख रुपये का था।

संस्थान के पास बकाया रकम 41.77 लाख रुपये थी, जबकि दूसरे संगठनों से प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों के लिए इस वर्ष 37.76 लाख रुपये खर्च किए गए। इस वर्ष प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों पर 63.75 लाख रुपये खर्च किए गए।

1993-94

इस वर्ष सरकारी अनुदान में से होनेवाला कुल (योजनेतर और योजना) व्यय 196.99 लाख रुपये रहा जबकि 1992-93 में यह व्यय 178.69 लाख रुपये का था। इसके अलावा अन्य संगठनों से धन प्राप्त करनेवाले कार्यक्रमों और अध्ययनों पर 63.75 लाख रुपये खर्च किए गए। इस प्रकार इस वर्ष सरकारी अनुदानों तथा प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों से प्राप्त धन, दोनों में से मिलाकर कुल 260.74 लाख रुपये खर्च किए गए जबकि 1992-93 में 215.10 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

1993-94

अनुबंध-I

वर्ष 1993-94 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशिवरों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों की सूची

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि तथा अवधि	भागीदारों की संख्या
1	2	3	4
I.	**डिप्लोमा कार्यक्रम**		
	राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम		
1.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में तेरहवां डिप्लोमा (चरण-II) (जारी है) (विद्यालय और अनौपचारिक एकक)	2 फरवरी से 3 मार्च 1993 (30 दिन)*	25
	चरण III	19-23 जुलाई 1993 (5 दिन)	
2.	जिला शिक्षा अधिकारियों/जि.शि.प्र.सं. के संकाय सदस्यों और दूसरे कार्मिकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में चौदहवां डिप्लोमा (चरण I-II) (विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	1 नवंबर 1993 से 28 अप्रैल 1994 (151 दिन)	15
	2	186	40
	अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम		
3.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में नौवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (चरण I-II) (जारी है) (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	3 फरवरी से 2 अगस्त 1993 (124 दिन)*	6

1993-94

1	2	3	4
4.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में दसवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (चरण I) (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	14 फरवरी से 13 मई 1994 (46 दिन)	7
योग	2	170	13

II. विषयगत कार्यक्रम

सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन

5.	रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए योजना और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक प्रशासन एकक)	24 मई से 4 जून 1993 (12 दिन)	22
6.	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, आंध्रप्रदेश के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित-हैदराबाद) (शैक्षिक प्रशासन एकक)	7-10 जून 1993 (4 दिन)	15
7.	केंद्रीय आणविक उर्जा विद्यालयों और जूनियर कालेजों के उप-प्राचार्यों के लिए 'शिक्षा का उत्कृष्ट प्रबंधन' विषय पर कार्यशाला (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	8-12 नवंबर 1993 (5 दिन)	26
8.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंधन पर परामर्शकारी कार्यशाला (क्षेत्र आधारित-पोर्टब्लेयर) (शैक्षिक नीति और प्रादेशिक प्रणाली एकक)	20-26 नवंबर 1993 (7 दिन)	15
9.	सांस्थानिक मूल्यांकन पर तकनीकी कार्यशाला (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	17-19 जनवरी 1994 (3 दिन)	20

1993-94

1	2	3	4
10.	दिल्ली के सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित कार्यशाला (शैक्षिक प्रशासन एकक)	21-24 फरवरी 1994 (4 दिन)	14
	6	35	112

जिला और क्षेत्र स्तरीय शैक्षिक योजना

11.	पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत शिक्षा का प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (यूनीसेफ द्वारा प्रायोजित) (शैक्षिक नीति एकक)	3-4 मई 1993 (2 दिन)	26
12.	पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत महिला विकास की योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	9-10 अगस्त 1993 (3 दिन)	12
13.	सामाजिक सुरक्षा कवच के विशेष संदर्भ में विकेंद्रीकृत शैक्षिक योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	16-20 अगस्त 1993 (5 दिन)	17
14.	जिला स्तरीय शैक्षिक योजना पर कार्यशाला (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	30 अगस्त से 3 सितंबर 1993 (5 दिन)	22
15.	राजस्थान में जिला स्तर पर शैक्षिक विकास की योजनाओं की तैयारी के लिए कार्यशाला (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	7-11 सितंबर 1993 (5 दिन)	4
16.	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, कर्नाटक के क्षेत्रीय स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सहित कार्यशाला (क्षेत्र आधारित-बैंगलोर) (विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	26-30 अक्टूबर 1993 (5 दिन)	41

1993-94

1	2	3	4
17.	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् कर्नाटक के क्षेत्रीय स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सहित कार्यशाला (क्षेत्र-आधारित बैंगलोर) (विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	5-9 नवंबर 1993 (5 दिन)	40
18.	राज्य वित्त व्यवस्था संबंधी अध्ययनों पर कार्यशाला (सामाजिक सुरक्षा कवच : जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना) (शैक्षिक वित्त एकक)	3-6 जनवरी 1994 (4 दिन)	8
19.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में दूसरा प्रबंधन विकास कार्यक्रम (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	7-11 फरवरी 1994 (5 दिन)	18
20.	लक्षद्वीप के क्षेत्र स्तर के अधिकारियों के प्रमुखों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित-कवारत्ती) (शैक्षिक नीति और प्रादेशिक प्रणाली एकक)	9-12 फरवरी 1994 (4 दिन)	17
21.	जि. प्रा. शिक्षा. परियोजना वाले राज्यों द्वारा तैयार जिला स्तरीय योजनाओं के संशोधन के लिए कार्यशाला (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	24-28 फरवरी 1994 (5 दिन)	27
22.	मेघालय के निरीक्षण अधिकारियों के लिए निरीक्षण और पर्यवेक्षण पर कार्यशाला (क्षेत्र आधारित) (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	17-21 अगस्त 1993 (5 दिन)	17
	12	**53**	**249**
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंधन			
23.	जि.शि.प्र. संस्थानों के योजना और प्रबंधन विभाग के संकाय सदस्यों के लिए सातवां प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	13 सितंबर से 1 अक्टूबर 1993 (19 दिन)	37
योग	1	**19**	**37**

1993-94

1	2	3	4
	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के पुस्तकालय का प्रबंधन		
24.	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों की योजना और प्रबंधन (पुस्तकालय और प्रलेखन एकक)	27 जनवरी से 8 फरवरी 1994 (13 दिन)	21
योग	**1**	**13**	**21**
	अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता		
25.	अनौपचारिक शिक्षा के कार्मिकों के साथ अनौपचारिक शिक्षा की योजना पर बैठक	16-17 मई 1993 (2 दिन)	18
26.	प्रौढ़ और सतत् शिक्षा की प्रभावी योजना और प्रबंधन के लिए एस.आर.सी. के निदेशकों और कार्यक्रम संयोजकों की बैठक (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	12-13 अगस्त 1993 (2 दिन)	51
	2	**4**	**69**
	उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंधन		
27.	आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े 100 जिलों के महाविद्यालयों के विकास के लिए उपर्युक्त योजना पर अभिविन्यास कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	28 जून से 3 जुलाई 1993 (6 दिन)	22
28.	अकादमिक कालेजों में गुणवत्ता की सुनिश्चितता और समावेश पर कार्यशाला (उच्च शिक्षा एकक)	6-7 जुलाई 1993 (2 दिन)	7
29.	परियोजना कार्य के द्वारा उच्च शिक्षा की प्रासंगिकता का कार्यान्वयन (क्षेत्र आधारित-भुवनेश्वर) (उच्च शिक्षा एकक)	31 जुलाई 1993 (1 दिन)	15

1993-94

1	2	3	4
30.	अकादमिक स्टाफ कालेजों की योजना और प्रशासन-अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशकों की बैठक (उच्च शिक्षा एकक)	23-24 अगस्त 1993 (2 दिन)	44
31.	कालेजों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	6-24 सितंबर 1993 (19 दिन)	64
32.	सांस्थानिक मूल्यांकन और संस्थाओं का श्रेणीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला (उच्च शिक्षा एकक)	22-24 सितंबर 1993 (3 दिन)	64
33.	विश्वविद्यालयी वित्तीय प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक वित्त एकक)	6-10 दिसंबर 1993 (5 दिन)	22
34.	कालेजों के प्राचार्यों के लिए योजना और प्रशासन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	17 जनवरी से 4 फरवरी 1994 (19 दिन)	37
35.	गोआ के कालेज प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित) (उच्च शिक्षा एकक)	27-29 जनवरी 1994 (3 दिन)	20
	9	60	295

अल्पसंख्यकों और महिलाओ के लिए शिक्षा की योजना और प्रबंधन

36.	सांस्थानिक स्तर पर नीतिगत कार्यान्वयन : अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रबंधित संस्थानों के प्रमुखों के लिए योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित - दरभंगा) (शैक्षिक नीति एकक)	15-21 मई 1993 (7 दिन)	14
	1	7	14

1993-94

1	2	3	4
	जनजातीय और सुविधावंचित वर्गों के लिए शिक्षा		
37.	विकलांगों की शिक्षा की योजना संबंधी सुविधाओं के लिए समिश्रित क्षेत्र माध्यम प्रशिक्षण कार्यशाला (विद्यालय और (अनौपचारिक शिक्षा एकक)	13-16 जुलाई 1993 (4 दिन)	21
	1	**4**	**21**
	शिक्षा में वित्त की उपयोगिता		
38.	शिक्षा के लिए राज्य वित्त की व्यवस्था के अध्ययनों की तैयारी के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक वित्त एकक)	18 जून 1993 (1 दिन)	8
	1	**1**	**8**
	प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण और व्यष्टि स्तरीय योजना		
39.	राज्य और जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण की योजना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	26 अक्तूबर से 5 नवंबर, 1993 (11 दिन)	9
40.	सामुदायिक भागीदारी और व्यष्टि स्तरीय योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक नीति एकक)	21-25 फरवरी 1994 (5 दिन)	22
	2	**16**	**31**

1993-94

1	2	3	4
	जनसांख्यिकी दबाव		
41.	प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के विशेष संदर्भ में शिक्षा पर जनसांख्यिकी दबाव विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	10-14 जनवरी 1994 (5 दिन)	17
	1	5	17
	शैक्षिक योजना और प्रबंधन के लिए संगणक अनुप्रयोग		
42.	कोप परियोजना के संचालन में प्रशिक्षण (कोप परियोजना)	20-29 मई 1993 (10 दिन)	4
43.	ए.आई.इ.पी. कार्मिकों के लिए कोप परियोजना का प्रशिक्षण (कोप परियोजना)	16-20 अगस्त 1993 (5 दिन)	22
44.	शैक्षिक योजना और प्रबंधन के लिए संगणक अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	22 नवंबर से 3 दिसंबर, 1993 (12 दिन)	15
	3	27	41
	परिमाणात्मक तकनीक, आंकड़ा-आधार और संकेतक		
45.	शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण और शैक्षिक संकेतकों में संशोधन के लिए विशेषज्ञों की राष्ट्रीय कार्यशाला (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	13-15 अक्तूबर 1993 (3 दिन)	25
46.	शैक्षिक योजना में परिमाणात्मक तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	31 जनवरी से 11 फरवरी 1994 (12 दिन)	10

1993-94

1	2	3	4
47.	शैक्षिक अनुसंधान का आंकड़ा-आधार (अंतर्राष्ट्रीय एकक्-सहयोग योजना, प्रादेशिक प्रणाली और उच्च शिक्षा एकक)	1 फरवरी 1994 (1 दिन)	25
	3	**16**	**60**
III. अन्य			
48.	अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद के सहयोग से तकनीकी शिक्षा की भावी योजना पर शीर्ष समूह की बैठक (उच्च शिक्षा एकक)	6 सितंबर 1993 (1 दिन)	22
49.	बेसिक शिक्षा के लिए शैक्षिक सुधार कार्यक्रमों में योजना और प्रबंधन पर कार्यशाला (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	20-22 सितंबर 1993 (3 दिन)	43
50.	राष्ट्रमंडल प्रवसन कार्यक्रम (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	1 फरवरी 1994 (1 दिन)	6
51.	राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, श्रीलंका के संकाय सदस्यों के लिए शिक्षा में अनुसंधान प्रणाली पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (उच्च शिक्षा और शैक्षिक नीति एकक)	31 मार्च 1994 (1 दिन)	6
	4	**6**	**77**
सूचना प्रणाली का प्रबंधन			
52.	सूचना प्रणाली का प्रबंधन वि.प्रा.शि. फा. के राज्यों में इ.एम.आइ.एस के विकास के लिए कार्य शिवर (वि. और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	21-22 फरवरी 1994 (2 दिन)	8
	1	**2**	**8**

1993-94

1	2	3	4
अन्य कार्यक्रम इ. एम. आई. एस.			
53.	शिक्षा के क्षेत्र में एन.आई.सी.एन. इ.टी. की भूमिका पर संगोष्ठी (विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	6 फरवरी 1994 (1 दिन)	40
	1	1	40
कुल योग	53	625	1153

*पहले से जारी दो डिप्लोमा कार्यक्रम (एक राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम और एक अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम)

1993-94

अनुबंध-II

संकाय का अकादमिक योगदान

डॉ. जी. डी. शर्मा

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

क्वालिटी एसुरेंस इन चेंजिंग वर्ल्ड, हायर एजुकेशन एट क्रासरोड, विश्व सम्मेलन, कनाडा में प्रो. एस. के. खन्ना के साथ

"इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन : प्रिपेयरिंग फार द ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचुरी, काउंसिल आफ बोर्ड्स आफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया" द्वारा, योजना और प्रबंध विशेषांक में प्रकाशित, 6-8 नवंबर, 1993

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

आंध्रप्रदेश उच्च शिक्षा राज्य परिषद के सलाहकार समिति के सदस्य

स्वायत्त कालेजों की समीक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के सदस्य

अकादमिक स्टाफ कालेजों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति के सदस्य

स्वायत्त कालेजों पर मद्रास विश्वविद्यालय समीक्षा समिति के सदस्य

अन्य अकादमिक गतिविधियां

"इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन : फार द ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचुरी" काउंसिल फार बोर्ड्स आफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया द्वारा प्रीतमपुरा नई दिल्ली में दिनांक 6-8 नवंबर के दौरान आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित प्राचार्यों के दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया, 5-6 नवंबर 1993

तमिलनाडु राज्य के ए. एस. जी. कला, वाणिज्य और स्वायत्त कालेजो के प्राचार्यों के लिए आयोजित तीन दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया, 4-6 दिसंबर 1993

गोवा में आयोजित आई. सी. एफ. संगोष्ठी में भाग लिया (द्वितीय वार्षिक), 3-4 जनवरी 1994

गोवा विश्वविद्यालय के कालेजों के प्राचार्यो के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, 27-29 जनवरी 1994

पी. एच. डी. हाऊस में उद्योग, शिक्षा और तकनीकी सहयोग पर आयोजित, प्रथम बैठक में भाग लिया, 21 जनवरी 1994

फरीदाबाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विविध क्षेत्रों पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया, 4 फरवरी 1994

मद्रास विश्वविद्यालय में 'स्वायत्त कालेजों की स्थाई समिति' में भागीदारी, 21 फरवरी 1994

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया, 16 मार्च 1994

1993-94

के. जी. विरमानी

परामर्श और अकादमिक सहयोग

सदस्य, शासी परिषद, दिल्ली, एस. सी. ई. आर. टी.

सदस्य, कार्यकारिणी परिषद्, दिल्ली, एस. सी. ई. आर. टी.

सदस्य, एस. सी. ई. आर. टी., दिल्ली, वित्त और स्थापना की स्थाई समिति,

अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, केंद्रीय विद्यालय, पुष्प विहार, नई दिल्ली

विभिन्न चयन समितियों के सदस्य

अन्य अकादमिक गतिविधियां

कई शैक्षिक व सामान्य प्रबंध संस्थानों का संकाय सदस्य के रूप में दौरा किया

श्री प्रकाश

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

"एक्सपेंडिचर आन एजुकेशन : थ्योरी, माडल्स एंड ग्रोथ", नीपा, नई दिल्ली, 1994

"लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी एंड रिलेवंस ऑफ नेहरू-महालनवीस स्ट्रेटजी ऑफ डवलपमेंट न्यू *इकॉनमिक पालिसी ऑफ इंडिया,* अजित कुमार सिन्हा द्वारा संपादित

"यूनिवर्सेलाइजेशन ऑफ इलिमेंटरी एजुकेशन : प्रास्पकेक्टस एंड प्राब्लम्स" *जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज,* जिल्द VI, अंक 3

"एजुकेशनल प्राइस डिफलेटर्स" *जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज,* जिल्द VI, अंक 4

"डैमोग्राफिक ट्रांज़ीशन इन इंडिया एंड इट्स इंपलिकेशन फार एजुकेशन," *पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन,* जिल्द 8, अंक 3-4

"स्टडी आन डवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर प्रोडक्टविटी-ओरिएंटेड एजुकेशनल स्ट्रक्चर", आइ. ए. एम. आर. ओकेजनल पेपर'

"शैक्षिक मांग : प्रत्यय और फलन", *कौटिल्य वार्ता,* जिल्द XIII

जया इंदिरसेन

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

"रोल ऑफ कालेज प्रिंसिपल इन फैकल्टी डवलपमेंट", *लैंडमार्क्स इन मैनेजमेंट* बी. एल. माथुर (सं), अरिहंत पब्लिशिंग हाऊस, 1993

"रिसर्च इन एजुकेशनल मैनेजमेंट : सम चैलेन्जेज", *यूनिवर्सिटी न्यूज़,* जिल्द XXXI, जुलाई 5, 1993

वूमैन स्टडी सेंटर्स् : रेहटोरिक वर्सज रियेलिटी, यूनिवर्सिटी न्यूज जिल्द XXXII, 3 जनवरी 1994

प्रशिक्षण सामग्री

"एम्पावरमेंट ऑफ वूमैन" पर माड्यूल

"स्वात अनलिसिस फार ओर्गेनाइसेशनल डायगनोसिस" पर माड्यूल

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

भारत में विदेशी छात्रों की शिक्षा, एजुकेशनल कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, परामर्शदाता

संयोजक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - महिला अध्ययन केंद्रों के लिए समीक्षा समिति

1993-94

कालेजों में पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण मंत्रालय, परामर्शदाता

कालेज परिसरों में उठाए जाने वाले नवाचारी कदमों की विधिता पर फोर्ड फाउंडेशन को परामर्श

अन्य अकादमिक गतिविधियां

ग्रामीण सूचना विज्ञान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, उदंग, टी.टी. टी.आई., कलकत्ता, 18-19 मई, 1993

"रिसर्च इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, : सम चैलेंजेज" अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान संघ के छठे वार्षिक सम्मेलन में मुख्य भाषण, मंगलौर, 25-27 मई 1993

महिलाओं के लिए दूरसंचार और इलैक्ट्रानिक्स पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, फिक्की महिला संघ, 27 अगस्त, 1993

उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता की ओर, कालीकट विश्वविद्यालय, 14-16 सितंबर, 1993

अखिल भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संघ का रजत जयंती सम्मेलन, 28 अक्टूबर 1993

महिला और विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 10 दिसंबर 1993

तिलक, जे. बी. जी.

प्रकाशन : पुस्तकें, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

एजुकेशन फॉर डवलपमेंट इन एशिया, (यूनेस्को - आइ. आइ. इ. पी. प्रायोजित अध्ययन) नई दिल्ली/थाउजैंड ओक्स/लंदन : सेज पब्लिकेशंस, 1994

रिसोर्स रिक्वार्यमेंट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंपलिकेशंस फॉर द टेंथ फाइनेंस कमीशन (ड्राफ्ट रिपोर्ट (भाग-I) भारत सरकार के लिए तैयार) नीपा, नई दिल्ली, 1994

"द पेस्ट्स आर हेयर टू स्टे : द कैपिटेशन फी इन डिज़गाइस" *इकानमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली* 29 (7) (12 फरवरी, 1994) : पृ. 348-50

"ट्रेनिंग कास्ट्स : मिज़रमेंट", *द इंटरनेशनल इनसाइक्लोपिडिया ऑफ एजुकेशन,* दूसरा संस्करण (आक्सफोर्ड : पर्गामोन प्रेस, 1994) पृ. 6420-25

"इंडियन सबकांटीनेंट : एडल्ट एजुकेशन", *द इंटरनेशनल इनसाईक्लोपिडिया ऑफ एजुकेशन,* दूसरा संस्करण (आक्सफोर्ड : पर्गामोन प्रेस, 1994) पृ. 2753-59

"साउथ एशियन पर्सपेक्टिव्स" (आन आल्टरनेटिव मोड्स ऑफ फाइनेनसिंग, गवर्निंग एण्ड मैनेजिंग एजुकेशनल सिस्टम्स्) *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च,* 21 (8) (1984) पृ. 791-98

"कास्ट रिकवरी एप्रोचेज इन एजुकेशन" विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के वित्तयन संबंधी वैकल्पिक विधियों के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर आयोजित कार्यशाला में प्रस्तुत, ससेक्स, इंग्लैंड : विकास अध्ययन संस्थान (28 फरवरी से 2 मार्च 1994) (मिमियोग्राफ)

"स्ट्रेंथनिंग द रिसोर्स बेस फार एजुकेशन इन इंडिया", *योजना* 38 (1-2) 26 जनवरी 1994 (गणतंत्र दिवस विशेषांक) : 55-59

"एक्सटर्नल फॉइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन" समीक्षा लेख, *जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन* 8 (1) (जनवरी 1994) : 81-86.

एक्सटर्नल एण्ड इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर एजुकेशन फॉर आल, परिचर्चा पेपर, नौ अधिसंख्यक आबादी वाले देशों का समी के लिए शिक्षा सम्मेलन, नई दिल्ली, दिसंबर 1993 (इसका सारांश *पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन* 10 (2) अप्रैल 1994 : 93-96 में प्रकाशित)

"फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया : प्रिंसिपुल्स, प्रैक्टिस एण्ड पालिसी इसूज" *हायर एजुकेशन* 26 (1) (जुलाई 1993) (भारत में उच्च शिक्षा का संप्रेक्ष्य पर विशेषांक) 43-67 (इस लेख का संशोधित संस्करण "फायनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया" शीर्षक से *हायर*

1993-94

एजुकेशन रिफ़ार्मर्स इन इंडिया : एक्सपिरिएंस एण्ड पर्सपेक्टिव्स सं. एस. चिटनीस और पी. जी. आल्टबाख, नई दिल्ली : सेज पब्लिकेशंस, 1993 पृ. 41-83 में प्रकाशित)

"ईस्ट एशिया इन वूमेन्स एजुकेशन इन द डवलपिंग कांट्रीज : बैरियर्स, बेनीफिट्स एण्ड पालिसीज, ए. एम. किंग, एम. ए. हिल (सं.) बार्ल्टीयोर : जॉन हापकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस, विश्व बैंक के लिए, 1993, पृ. 247-84

"सब्सीडीज इन हायर एजुकेशन", *इकानमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली,* 28 (24) (12 जून 1993) : 1259-60

"कास्ट्स एण्ड फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया : ए रिव्यू ऑफ इसूज, ट्रेंड्स एण्ड प्राब्लम्स", मानव विकास की रणनीतियां और वित्तयन नामक परियोजना के लिए परिचर्चा आलेख, तिरूवअनंतपुरम, विकास अध्ययन केंद्र, जून 1993 (मिमियोग्राफ)

"इलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया दि 1980-90 : प्राब्लम्स एण्ड पर्सपेक्टिव्स," सामाजिक सुरक्षा कवच कार्यक्रम की प्रभाविता और इसके लिए धन की व्यवस्था नामक अनुसंधान परियोजना के लिए मुख्य आलेख, नई दिल्ली : राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, जून 1993 (मिमियोग्राफ)

"इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन कास्ट्स एण्ड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन : सम टेंटेटिव कंपैरीजंस बिटवीन डवलप्ड एण्ड डवलपिंग कांट्रीज", *हायर एजुकेशन रिव्यू,* 25 (3) (ग्रीष्म 1993) 7-35

"एजुकेशन एण्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टीविटी इन एशिया : ए रिव्यू", *इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकानमिक्स,* 48 (2) (अप्रैल-जून 1993) : 187-200

"एजुकेशन, पावर्टी एण्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन एशिया," *मार्जिन : क्वार्टरली जर्नल ऑफ नेशनल काउन्सिल ऑफ एपलाइड इकानमिक रिसर्च,* 25 (2) (भाग 2) (मार्च - अप्रैल 1993) : 61-78

ए सेलेक्ट बिबिलयोग्राफी, जे.पी. नायक, *प्रास्पेक्ट्स 1993* (प्रेस में)

"फायनेंसिंग हायर एजुकेशन इन श्रीलंका", लंका प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए श्रीलंका मिशन की रिपोर्ट हेतु मुख्य आलेख, नई दिल्ली, एजुकेशनल कांसलटैंट्स इंडिया लिमिटेड, नवंबर 1993

"प्रास्पेक्ट्स आफ इनवेस्टमेंट इन सोशल डवलपमेंट ड्यूरिंग द फेज ऑफ इंटरनेशनली फंडेड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स', *जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन,* 16 (4) (मानसून - 1993) : 519-38

पुस्तक समीक्षाएं

इनवेस्टिंग इन द फ्यूचर : एन इंटरनेशनल कंपैरीजन आफ गवर्नमेंट फंडिंग आफ एकेडमिक एण्ड रिलेटेड रीसर्च (जे. इरविन और अन्य) जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 8 (1) (जनवरी 1994) 143-45

इकानमिक्स ऑफ बिइंग पुअर (टी. डब्ल्यू : शुल्ज) जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन 7 (4) (अक्टूबर 1993) : 518-19

ह्यूमन रिसोर्स पालिसी एण्ड इकानमिक डवलपमेंट (एशियन डवलपमेंट बैंक) जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन 7 (3) (जुलाई 1993) : 383-186

कास्ट, क्लास एण्ड एजुकेशन (आर. कौल); फायनेंसिंग हायर एजुकेशन (इ.टी.मैथ्यू) और *प्राइवेटाइजेशन एण्ड प्रिवीलेज इन एजुकेशन (जी. बालफोर्ड)* जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन 7 (2) (अप्रैल 1993) : 267-71

1993-94

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

सदस्य, छठवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, नई दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, 1993

सदस्य, विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण स्टाफ के प्रशिक्षण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति, ककातिया विश्वविद्यालय, 1993

सदस्य, शिक्षा के लिए राज्य द्वारा वित्त व्यवस्था के अध्ययन के लिए गठित राष्ट्रीय मुख्य दल और मुख्य समूह, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजनाएं (सामाजिक सुरक्षा कवच कार्यक्रम), नई दिल्ली : भारत सरकार, 1993

सदस्य, उच्च शिक्षा राष्ट्रीय समूह, नई दिल्ली : राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान, राजीवगांधी पीठ, नई दिल्ली, 1993

सदस्य, विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रवेश और शुल्क संबंधी ढांचागत सुधार के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति, नई दिल्ली 1993-94

सदस्य, उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता पर गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति, नई दिल्ली 1993

सदस्य, शासी निकाय, मैत्रेयी कालेज, (दिल्ली विश्वविद्यालय) 1993-

सदस्य, शासी निकाय, इंदिरा गांधी भौतिक विज्ञान और खेल विज्ञान संस्थान (दिल्ली विश्वविद्यालय) 1993-

सदस्य, शासी निकाय, राष्ट्रीय खुला विद्यालय, 1993-

सदस्य, अवैतनिक निदेशक मंडल, शिक्षा और अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, विशाखापट्टनम, 1993-

अन्य अकादमिक गतिविधियां

विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्तयन की वैकल्पिक विधियों के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर आयोजित कार्यशाला, ससेक्स, इंग्लैंड : विकास अध्ययन संस्थान (28 फरवरी से 2 मार्च 1994)

खुला विश्वविद्यालय प्रणाली और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नासिक : यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय (16-19 फरवरी 1994)

अधिसंख्यक आबादी वाले देशों का सभी के लिए शिक्षा सम्मेलन (यूनेस्को, यूनीसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए. और भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित (नई दिल्ली, 13-16 दिसंबर 1993) {इस सम्मेलन के लिए परिचर्चा पेपर तैयार किया और "सभी के लिए शिक्षा के वास्ते बाह्य और आंतरिक संसाधनों की व्यवस्था" विषय पर पैनल 2 के परिचर्चा सत्र की रिपोर्टिंग की।}

"भारत में शैक्षिक वित्त का मूल्यांकन" विषय पर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बैंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भागीदारी (28-30 सितंबर 1993)

शोध निर्देशक : एजुकेशन एण्ड प्रॉडक्टीविटी इन इजीप्ट (इ. एमेट) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली (1993) द्वारा उपाधि अलंकरण

शोध निर्देशक : "एजुकेशन एण्ड इकानमिक डवलपमेंट इन उड़ीसा" (ए. दास) उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (अध्ययन जारी है)

आलेख परीक्षक : जर्नल ऑफ क्वांटिटेटिव इकॉनमिक्स (1993), इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकानमिक्स (1993), कंपरेटिव एजुकेशन रिव्यू (1993)

शोध परीक्षक (पी.एच.डी.) : मद्रास विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय

कुसुम के. प्रेमी

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

'सोर्स बुक आन एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर एलिमेंटरी

1993-94

टीचर एजुकेटर्स : सह–संपादक नीपा द्वारा यूनेस्को के सहयोग से, 1994

"प्रोटेक्टिव डिस्क्रीमिनेशन एण्ड रीजनल डिसपैरीटीज इन ट्राइबड एजुकेशन" *रीजनल डिसपैरीटीज़ इन एजुकेशनल डवलपमेंट* में, एस. सी. नुना, (सं) नई दिल्ली, साउथ एशियन प्रकाशन, 1993

व्हाई नॉट एजुकेट गर्ल्स' *सेल्फ़-रिलायंट वूमेन* सीरीज़ में, यूनेस्को, बैंकाक, 1994

प्रशिक्षण सामग्री

"पंचायती राज और शिक्षा : कुछ पिछले अनुभव" पंचायती राज पर संगोष्ठी

"दूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा : अंडमान और निकोबार कार्यक्रम के लिए योजना और प्रबंधन के आयाम

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

केरल के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला योजना पर राष्ट्रीय मुख्य दल की सदस्या

आदिवासी शिक्षा राष्ट्रीय मुख्य दल की सदस्या तथा जिला योजनाओं की तैयारी और मूल्यांकन में सहयोग

डी.पी.ई.पी. राज्यों के लिए राज्य शैक्षिक योजना और प्रबंध संस्थानों की स्थापना के लिए मार्गदर्शिका का विकास

राज्यों में एस.आई.ई.एम.टी. के संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार किया

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन को शैक्षिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण नीति और रूपरेखा तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान किया

अन्य अकादमिक गतिविधियां

महिलाओं के लिए शिक्षा प्रविधि और विकास पर आयोजित संगोष्ठी, एन.सी.ई.आर.टी. (29 मार्च से 3 अप्रैल 1993), महिलाओं के शैक्षिक विकास के संकेतकों का प्रस्तुतीकरण

शिक्षा मे लिंगीय मुद्दे पर भारतीय शैक्षिक योजनाकार और प्रशासक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम (6-7 दिसंबर 1993)

गुड़गांव में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित, 'कार्ययोजना के संचालन' पर कार्यशाला, हरियाणा (12 दिसंबर 1993), में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा पर आयोजित परिचर्चा का मार्गदर्शन किया

डी.पी.ई.पी. के लिए राष्ट्रीय कोर के विकास पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एन. सी. ई. आर. टी. में आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया, 17 जनवरी, 1994

राम स्वरूप शर्मा

प्रशिक्षण सामग्री

निरीक्षण और पर्यवेक्षण की आधुनिक व्यावहारिक तकनीकों पर शिलांग में निरीक्षण और पर्यवेक्षण पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में आलेख प्रस्तुत किया, मेघालय, (दिनांक 17.8.93 से 21.8.93)

प्राथमिक विद्यालयों में सांस्थानिक मूल्यांकन पर आयोजित तकनीकी कार्यशाला में, आलेख प्रस्तुत किया नीपा, नई दिल्ली, 17 जनवरी 1994

अन्य अकादमिक गतिविधियां

शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया, 20.4.93

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से जिला योजना कार्यक्रम पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया, 30.4.93 से 1.5.93

पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत महिलाओं के विकास पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया (9-11 अगस्त 1993)

1993-94

दिल्ली राज्य में जि. शि. प्र. सं. के प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और नीतिगत मामलों के निर्माण के लिए परीक्षा सलाहकार समिति, एस.सी.ई.आर.टी. दिल्ली की बैठक में भाग लिया।

''सभी के लिए शिक्षा' शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण आगत के रूप में, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली में 'सभी के लिए शिक्षा' में लिंगीय मुद्दों पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया (6-7 दिसंबर 1993)

एन.वी.वर्गीज

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

''क्वालिटी आफ प्राइमरी स्कूलिंग इन इंडिया : ए केस स्टडी ऑफ मध्य प्रदेश (आर. गोविंदा के साथ, पेरिस, आई.आई.ई.पी. 1993

''प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया : प्रिजंपशन एंड प्रोविज़ंस' *प्राईवेट इनिशिएटिव एंड पब्लिक पालिसी इन एजुकेशन* में, आर.पी.सिंह (सं), नई दिल्ली, फडरेशन ऑफ मैनेजमेंट आफ एजुकेशनल इंस्टीटयूशनल 1993, पृ. 50-75

''टोटल लिटरेसी कंपेन इन इंडिया : ए. स्टडी आफ देयर ओरगेनाइजेशन एंड कॉस्ट इफैक्टिवनेस'' मानव विकास की रणनीतियां और वित्त, शीर्षक परियोजना के लिए सर्वेक्षण आलेख, त्रिवेंद्रम, विकास अध्ययन केंद्र, 1993

क्वालिटी ऑफ प्राईमरी एजुकेशन : द इंडियन एफर्ट्स'' प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता के संचालन में अनुसंधान अध्ययन पर आयोजित कार्यशाला में आलेख प्रस्तुत किया, बैंकाक, 20 अक्टूबर से 5 नवंबर, 1993

''बेसलाइन मूल्यांकन अध्ययन : केरल'' (प्रारंभिक विश्लेषण) डी.पी.ई.पी. कार्यशाला में परियोजना के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट, एन.सी.ई.आर.टी., 24-25 जनवरी 1994

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत, जिला योजना राष्ट्रीय कोर दल के सदस्य रूप में केंद्र और राज्य सरकारों को जिला योजना तैयार करने में सहायता प्रदान की। इसमें (i) मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना (ii) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर बैठकों में भाग लेना (iii) राष्ट्रीय स्तर पर बैठकों/कार्यशालाओं का आयोजन करना (iv) जिला योजनाओं का मूल्यांकन करना शामिल है।

अन्य अकादमिक गतिविधियां

शिक्षा के 'अभिगम और वित्त' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया और आलेख प्रस्तुत किया, बंगलौर, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन केंद्र, 28-30 सितंबर, 1993

'प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता के संचालन अध्ययन' विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और आलेख प्रस्तुत किया, 20 अक्टुबर से 5 नवंबर, 1993

एस. सी. नूना

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

अबार्शन इन इंडिया : एन ओवरव्यू, 1994

सोर्स बुक आन इनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर एलिमेंटरी टीचर्स एजुकेशंस, सह–संपादक, नीपा, यूनेस्को, यू.एन.ई.पी., 1994

इलिमेंटरी एजुकेशन इन इंडिया : एन एनोटेटेड बिबलियोग्राफी, सेंटर फॉर डवलपमेंटल इनिशिएटिव यूनीसेफ, नई दिल्ली, 1993

सेल्फ लर्निंग ट्रेनिंग माड्यूल' आन सेक्स्यूली ट्रांसमिटेड डीजीजेज़, सेंटर फार डवलपमेंट इनिशिएटिव-डब्ल्यू.एच.ओ., नई दिल्ली, 1993

1993-94

प्रशिक्षण सामग्री

"पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत शिक्षा का प्रबंधन : एक संप्रेक्ष्य" यूनिसेफ द्वारा पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत 'शिक्षा का प्रबंध' विषय पर आयोजित कार्यशाला, नई दिल्ली

"पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत महिलाओं के विकास की योजना', महिला विकास की योजना पर कार्यशाला, नई दिल्ली

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

अध्यक्ष सेंटर फॉर डवलपमेंटल इनिशिएटिव, नई दिल्ली

सह-अध्यक्ष, एन.ए.जी.आई. कमीशन आन ज्योग्राफी आफ एजुकेशन, नई दिल्ली

स्थायी अतिथि, केब (CABE) कमेटी आन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर पंचायती राज

अन्य अकादमिक गतिविधियां

पंचायती राज पर राष्ट्रीय सम्मेलन, संसद सदस्य और विधायकगण, पार्लियामेंट अनेक्सी, नई दिल्ली

अभिप्रेरित गर्भपात में प्रसव चिकित्सा सेवा प्रणाली पर सम्मेलन, आगरा

पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत लिंगीय, चेतना पर कार्यशाला नई दिल्ली

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना विषय पर कार्यशाला, भारतीय शिक्षा संस्थान, पूणे

के. सुजाता

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

एजुकेशनल डवलपमेंट एमंग ट्राइब्स इन सब-प्लान एरियाज इन आंध्र प्रदेश (प्रेस में) साउथ एशियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1994

"एसपिरेशंस एंड एटिट्यूड टूवर्डस एजुकेशन एमंग ट्राइब्स" इंडियन जर्नल ऑफ एडल्ट एजुकेशन, जिल्द 54, अंक 1, 1993

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

आंध्रप्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना के मूल्यांकन के लिए ब्रिटिश परिषद (ओ.डी.ए.) को परामर्श, 6-21 सितंबर, 1993

डी.पी.ई.पी. के लिए आदिवासी शिक्षा पर राष्ट्रीय कोर दल की सदस्या

डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत जिला स्तर पर आदिवासी शिक्षा की योजना और प्रबंधन के लिए आदिवासी शिक्षा के घटक तैयार किए

अन्य अकादमिक गतिविधियां

अल्प अवधि की शिक्षावृत्ति पर आदिवासी अध्ययन विभाग, न्यू इंगलैंड विश्वविद्यालय का दौरा, 20 अक्टूबर से 20 दिसंबर 1993, इस दौरान आस्ट्रेलियन आदिवासियों तथा भारतीय आदिवासियों के लिए शिक्षा नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया

सुदेश मुखोपाध्याय

पुस्तकें, प्रकाशन अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

"रीजनल डिस्पैरीटीज़ इन स्पेशल एजुकेशन" : *रीजनल डिसपैरीटीज़ इन एजुकेशनल डवलपमेंट,* एस.सी.नुना; नई दिल्ली : साऊथ एशियन पब्लिशिर्स, 1993

फोर्थ इयरबुक, एजुकेशनल टैक्नोलोजी (सं.) : नई दिल्ली

"एजुकेटिंग द हैंडिकेप्ड वूमैन", महिला विकास और शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में आलेख प्रस्तुत किया, नई दिल्ली, नीपा, 7-10 दिसंबर, 1992, *पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन* के लिए स्वीकृत, अक्तूबर, 1993

1993-94

"कंपोजिट एरिया अप्रोच एज़ फैसिलिटेटिंग फॉर कम्यूनिटी बेस रिहैबलाइजेशन (सी.बी.आर.) स्ट्रेटीजीज", *जर्नल ऑफ डिसएबिलिटी एंड रिहैबलाइसेशन,* जिल्द VI (2) जुलाई से दिसंबर, 1992

अन्य अकादमिक गतिविधियां

'महिला और विकास' पर भारत-कनाडा संस्थान से शिक्षा छात्रवृत्ति प्राप्त की, सितंबर-दिसंबर, 1993, यूनिवर्सिटी ऑफ मनीटोना, कनाडा

ग्रामीण सूचना विज्ञान पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया, उदंग, 17-18 मई 1993 डी.ओ.ई. और ए.आई.ए.ई.टी. द्वारा प्रायोजित

ए. सी. मेहता

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

"एजुकेशन फॉर आल इन इंडिया - माइथ एंड रियालटीज़", *जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज,* आई.आई.ई., पूणे अक्टूबर-दिसंबर 1992, जिल्द VI, अंक 3

"यूज ऑफ सैंपल सर्वे टैकनीक्स इन एजुकेशनल स्टैस्टिक्स" यूनेस्को द्वारा आयोजित परियोजना पर आधारित अध्ययन, (सह-लेखन), दिसंबर, 1993 में प्रकाशित, यूनेस्को, पेरिस

प्रशिक्षण सामग्री

- नामांकन प्रक्षेपण और भारत में 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य
- कार्यक्षमता और उसके अन्योन्य संबंध : राज्यवार विशलेषण
- भारत में शिक्षा व्यवस्था की दक्षता
- भारत में शैक्षिक और जनसांख्यिकी परिदर्श पर नोट
- भारत में विद्यालय स्तर पर आयु सीमा को पार करने वाले और आयु सीमा के अंदर आने वाले छात्रों के आकलन का सर्वेक्षण
- संगणक पर परिमाणात्मक तकनीकों के प्रयोग और जनसांख्यिकी व शैक्षिक प्रक्षेपण पर व्यावहारिक अभ्यास पर सैट
- डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम के संदर्भ में नामांकन प्रक्षेपण
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के जनसांख्यिकीय दबाव के प्रक्षेपण के वास्ते प्रादेशिक स्तर पर जनसांख्यिकीय प्रक्षेपण

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

सदस्य, डी.पी.इ.पी. कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय मुख्य दल

अन्य अकादमिक गतिविधियां

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या भूगोल द्वारा ज.ने. विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में "प्रादेशिक स्तर पर जनसांख्यिकीय प्रक्षेपण" विषय आलेख प्रस्तुत किया 20-24 दिसंबर 1993

रंजना श्रीवास्तव

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

"शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्शन सर्वेक्षण तकनीक, यूनेस्को, पेरिस, 1993

प्रशिक्षण सामग्री

"जिला और राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की योजना'

"शैक्षिक योजना की प्रक्रियाएं और समस्याएं" आई.डी.ई.पी.ए. पाठ्यक्रम 206

1993-94

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

त्रिपुरा में शैक्षिक योजना और प्रशासन

"पॉलिसी स्टडीज़ इन एजुकेशन" पत्राचार अध्ययन केंद्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित।

राष्ट्रीय कोर दल की सदस्या और पूर्व मूल्यांकन आयोग, इत्यादि के रूप में विभिन्न राज्यों की डी.पी.ई.पी. परियोजनाओं के मूल्यांकन और तैयारी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को परामर्शकारी और सलाहकारी सेवाएं प्रदान की।

प्रमिला मेनन

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

सोर्स बुक आन इनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर इलिमेंटरी टीचर एजुकेटर्स (सह.सं.), नीपा, नई दिल्ली, 1993

"संरक्षण भागीदारी और शिक्षा के लिए सामुदायिक सहायता" नामक पुस्तक के लिए अध्याय तैयार किया।

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

सदस्या, विद्यालय प्रभाविकता, प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के लिए राष्ट्रीय कोर दल

वी.ई.सी (VEC) द्वारा सामुदायिक भागीदारी के सांस्थानीकरण के लिए टिप्पणी तैयार की।

अन्य अकादमिक गतिविधियां

शैक्षिक विकास और विकेंद्रीकरण पर आई.आई.ई.पी./डी. एस.ई./आई.डी.आर.सी. द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया, मनीला, 25 अगस्त से 1 सितंबर 1993

आई.डी.आर.सी. में विकेंद्रीकृत नीति निर्माण और अभिशासन पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया, नई दिल्ली 5 जुलाई 1993

एस.एम.आई.ए.ज़ैदी

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्शन सर्वेक्षण तकनीक (सह लेखक)

'उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का विकास', *जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन*, जिल्द 16, अंक 4, मानसून, 1993

"लिंगीय पूर्वाग्रह के विरुद्ध आंदोलन" (इंदिरा कुलश्रेष्ठ) पुस्तक समीक्षा, *जर्नल ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन*, जिल्द VIII, अंक 1, जनवरी 1994

"आधारभूत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानों का प्रबंधन", मई 1993

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

सदस्य, डी.पी.ई.पी. के लिए जिला योजना के वास्ते राष्ट्रीय कोर दल

अन्य अकादमिक गतिविधियां

पंचायती राज के अंतर्गत 'शिक्षा का प्रबंधन' पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया, नीपा, 3-4 मई, नई दिल्ली

वाई. जोसेफिन

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

"इंटिग्रेटेड अप्रोच फॉर ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज", *इंटरनेशनल एजुकेटर्स*, जिल्द 8, अंक 2 और 3, 1993

प्रशिक्षण सामग्री

दिल्ली के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा के लिए अनुदान सहायता

नवोदय विद्यालयों के संसाधनों का उपयोग

अन्य अकादमिक गतिविधियां

पंचायती राज के अंतर्गत शिक्षा का प्रबंधन पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया, 3-4 मई, 1993

1993-94

परिशिष्ट-I

नीपा परिषद के सदस्य
(31 मार्च 1994)

अध्यक्ष

श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

पदेन सदस्य

श्री बलदेव महाजन	संयुक्त निदेशक, नीपा नई दिल्ली
प्रो. जी. राम रेड्डी	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
श्री एस. वी. गिरि	शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
सुश्री एस. चौहान	वित्त सलाहकार, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
श्रीमती किरण अग्रवाल	अतिरिक्त सचिव, जन शिकायत और प्रशासनिक सुधार विभाग, कमरा सं. 514, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
श्री आर.सी.त्रिपाठी	सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
डॉ. ए. के. शर्मा	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

1993-94

शिक्षा सचिव

श्री के. एम. चड्ढा	शिक्षा सचिव, नागालैंड सरकार, सिविल सचिवालय, कोहिमा - 797001
श्री एन के. अग्रवाल	सचिव (मानव संसाधन विकास विभाग), बिहार सरकार, नया सचिवालय पटना-800015
श्री पी. सी. नेगी	आयुक्त और सचिव, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002
श्री एच. मिश्रा	सचिव (उच्च शिक्षा), मध्य प्रदेश सरकार, बल्लभ भवन, भोपाल-462004
श्री जे. एस. सरमा	सचिव, शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद-500022
श्री बी. वी. सेल्वराज	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, गोबर्ट एवेन्यू, पांडिचेरी-605001

शिक्षा निदेशक / डी.पी.आई.

श्री आर. हरण थांगा	विद्यालय निदेशक, मिजोरम सरकार, आइजोल-790001
श्रीमती गौरी नाग	शिक्षा निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, विकास भवन, साल्त लेक, कलकत्ता-700091
श्री बी. पी. खंडेलवाल	शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, 18 पार्क रोड, लखनऊ-226001 (केंप आफिस - मुख्यालय, इलाहाबाद)
डॉ. ओम प्रकाश	महाविद्यालय शिक्षा निदेशक, एस. बी. 161, गांधी नगर, राजस्थान सरकार, जयपुर-302015
श्री के. सिवाराज विजयन	निदेशक (जन शिक्षा) जगाथी, आयुक्त राजकीय परीक्षाएं, तिरूवंतापूरम-695014
श्री जेड. आई. खान	शिक्षा निदेशक, लक्षद्वीप (संघशासित प्रदेश), कवारत्ती-682555

विख्यात शिक्षाविद्

डॉ. पी. सी. जोशी	(भूतपूर्व निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान) फ्लैट नं. 109, साक्षरा अपार्टमेंट्स, ए-3 पश्चिम विहार, नई दिल्ली

1993-94

प्रो. बिपिन चंद्र	ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई महरोली रोड, नई दिल्ली
प्रो. प्रभात पटनायक	आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई महरौली रोड, नई दिल्ली
प्रो. पोरोमेश आचार्य	भारतीय प्रबंध संस्थान, डायमंड हार्बर मार्ग, जोका, पोस्ट बाक्स नं. 16757, अलीपुर पो. आफिस, कलकत्ता-700027
प्रो. कृष्ण कुमार	शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
श्री एम. पी. परमेश्वरन	केरल शास्त्र साहित्य परिषद्, तिरूवंतापुरम, केरला

नीपा के संकाय सदस्य

डॉ. के. जी. विरमानी	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय एकक
डॉ. (श्रीमती) कुसुम के. प्रेमी	अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक नीति एकक
श्री अरुण सी. मेहता	सह-अध्येता, शैक्षिक योजना एकक

कार्यकारी समिति के सदस्य (उपरोक्त में शामिल नहीं)

श्री दीपक गुप्ता	संयुक्त सचिव (योजना), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन, नई दिल्ली
श्री एल. पांडेय	निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा निदेशालय, निशात गंज, लखनऊ
थिरु आर. कानन	निदेशक, शिक्षक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण, कालेज रोड, मद्रास- 600006

सचिव

श्री एस. गोपाल	कुलसचिव, नीपा, नई दिल्ली

1993-94

परिशिष्ट-II

कार्यकारी समिति के सदस्य

(31 मार्च 1994)

1. निदेशक — अध्यक्ष
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
   प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

2. श्री बलदेव महाजन
   संयुक्त निदेशक (नीपा)
   नई दिल्ली

3. श्री दीपक गुप्ता
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन
   नई दिल्ली

4. सुश्री एस. चौहान
   वित्त सलाहकार
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   शास्त्री भवन
   नई दिल्ली

5. श्री आर. सी. त्रिपाठी
   सलाहकार (शिक्षा)
   योजना आयोग
   योजना भवन
   नई दिल्ली

6. श्री पी. एस. नेगी
आयुक्त तथा सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002

7. श्री एल. पी. पांडेय
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)
उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा निदेशालय
निशातगंज
लखनऊ

8. थिरु आर. कानन
निदेशक
शिक्षक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण
कालेज मार्ग
मद्रास

9. प्रो. कृष्णकुमार
शिक्षा विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

10. डॉ. के. जी. विरमानी
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
अंतर्राष्ट्रीय एकक
नीपा, नई दिल्ली

11. डॉ. (श्रीमती) कुसुम के. प्रेमी
अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक नीति एकक
नीपा, नई दिल्ली

12. कुलसचिव — सचिव
नीपा, नई दिल्ली

1993-94

परिशिष्ट-III

वित्त समिति के सदस्य

(31 मार्च 1994)

1. निदेशक — अध्यक्ष
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
   प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

2. श्री बलदेव महाजन
   संयुक्त निदेशक (नीपा)
   नई दिल्ली

3. श्री दीपक गुप्ता
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन
   नई दिल्ली

4. सुश्री एस. चौहान
   वित्त सलाहकार
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन
   नई दिल्ली

5. श्री के. एम. चड्ढा
   शिक्षा सचिव
   सीविल सचिवालय
   नागालैंड सरकार, कोहिमा-797001

6. कुलसचिव — सचिव
   नीपा, नई दिल्ली

1993-94

परिशिष्ट-IV

योजना और कार्यक्रम समिति के सदस्य

(31 मार्च 1994)

1. निदेशक — अध्यक्ष
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
   प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

2. श्री बलदेव महाजन
   संयुक्त निदेशक (नीपा)
   नई दिल्ली

3. श्री दीपक गुप्ता
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग,
   शास्त्री भवन
   नई दिल्ली

4 श्री आर. सी. त्रिपाठी
   सलाहकार (शिक्षा)
   योजना आयोग
   योजना भवन
   नई दिल्ली

5. श्री डी. के. खन्ना
   सचिव
   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
   बहादुरशाह जफर मार्ग
   नई दिल्ली

1993-94

6. श्री एच. मिश्रा
प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा)
मध्य प्रदेश सरकार
वल्लभ भवन
भोपाल-462004

7. श्री के. के. विजयकुमार
सचिव
सामान्य शिक्षा विभाग
केरल सरकार
तिरूवनंतपुरम-650001

8. श्रीमती अनुराधा गुप्ता
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा सरकार
30, बे बिल्डिंग, सैक्टर-17
चंडीगढ़-160017

9. श्री के. पी. सोडवाने
निदेशक उच्च शिक्षा
महाराष्ट्र सरकार
17-अंबेडकर रोड
पुणे-411001

10. डॉ. सनत कुमार बिसवास
नाभिकीय वैज्ञानिक
एफ-19, पुरानी बालीगंज रोड
कलकत्ता

11. डॉ. सत्यपाल रूहेला
डीन (शिक्षा संकाय)
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
जामिया नगर
नई दिल्ली

1993-94

12. श्री शकील अहमद
    कुलपति
    बिहार विश्वविद्यालय
    मुज्जफरपुर

13. डॉ. (श्रीमती) गार्गी
    भूतपूर्व कुलपति
    बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
    झांसी - 284001
    उत्तर प्रदेश

14. डॉ (श्रीमती) आर. डेबी
    प्रोफेसर (शिक्षा)
    गुवाहाटी विश्वविद्यालय
    पोस्ट आफिस, गोपीनाथ बोर्डोलोई नगर
    गुवाहाटी-781014 (असम)

15. डॉ. राजेंद्र जैन
    अध्यक्ष
    अंतर्राष्ट्रीय विधि परिसंघ
    शाखा इंदौर
    उज्जैन

16. डॉ. जी. डी. शर्मा
    वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
    उच्च शिक्षा एकक
    नीपा
    नई दिल्ली

17. डॉ. के. जी. विरमानी
    वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
    अंतर्राष्ट्रीय एकक
    नीपा
    नई दिल्ली

1993-94

18. प्रो. श्रीप्रकाश
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक योजना एकक
नीपा
नई दिल्ली

19. डॉ. जया इंदिरेसन
वरिष्ठ अध्येता
उच्च शिक्षा एकक
नीपा
नई दिल्ली

20. डॉ. जे. बी. जी. तिलक
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक वित्त एकक
नीपा
नई दिल्ली

21. डॉ. (श्रीमती) कुसुम के. प्रेमी
अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक नीति एकक
नीपा
नई दिल्ली

22. डॉ. आर. एस. शर्मा
अध्येता और प्रभारी
प्रादेशिक प्रणाली एकक
नीपा
नई दिल्ली

23. डॉ (श्रीमती) सुषमा भागिया
अध्येता और प्रभारी
विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक
नीपा
नई दिल्ली

1993-94

24. सुश्री के. सुजाता
    अध्येता
    शैक्षिक प्रशासन एकक
    नीपा
    नई दिल्ली

25. कुलसचिव — सचिव
    नीपा, नई दिल्ली

1993-94

परिशिष्ट-V

संकाय और प्रशासनिक स्टाफ

(31 मार्च 1994)

बलदेव महाजन, संयुक्त निदेशक

शैक्षिक योजना एकक

श्रीप्रकाश, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
अरुण सी. मेहता, सह-अध्येता
रंजना श्रीवास्तव, सह-अध्येता
एस.एम.आई.ए.ज़ैदी, सह-अध्येता

शैक्षिक प्रशासन एकक

सी. मेहता, अध्येता (अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित)
के. सुजाता, अध्येता और प्रभारी
वाई. जोसेफिन, सह-अध्येता
मंजू नरूला, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक वित्त एकक

जे. बी. जी. तिलक, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
ए. नरेंद्र रेड्डी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक नीति एकक

कुसुम के. प्रेमी, अध्येता और अध्यक्ष
प्रमिला मेनन, सह-अध्येता
नलिनी जुनेजा, सह-अध्येता
एम. मलिक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

1993-94

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक

सुषमा भागिया, अध्येता और प्रभारी
वाई. पी. अग्रवाल, अध्येता
सुदेश मुखोपाध्याय, अध्येता
रश्मी दीवान, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
वी. पी. एस. राजू, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

उच्च शिक्षा एकक

जी. डी. शर्मा, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
जया इंदिरेसन, वरिष्ठ अध्येता
कौसर विजारत, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

प्रादेशिक प्रणाली एकक

आर. एस. शर्मा, अध्येता और अध्यक्ष
एन. वी. वर्गीस, अध्येता
एस. सी. नुना, अध्येता
जयश्री जलाली, सह-अध्येता (अवकाश पर)
कमलकांत बिस्वाल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

अंतर्राष्ट्रीय एकक

के. जी. विरमानी, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
सुनीता चुग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

निर्मल मल्होत्रा, पुस्तकाध्यक्ष
एन. डी. कांडपाल, प्रलेखन अधिकारी
दीपक मकोल, व्यावसायिक सहायक
नजमा रिजवी, व्यावसायिक सहायक

1993-94

हिंदी कक्ष

सुभाष शर्मा, हिंदी अनुवादक

प्रकाशन एकक

एम. एम. अजवानी, सहायक प्रकाशन अधिकारी

अकादमिक समर्थन

अरुण सी. मेहता, प्रभारी संगणक केंद्र (19 अक्तूबर 1992 से)
पी. एन. त्यागी, मानचित्रकार (संगणक अनुप्रयोग)
योगेश्वर प्रसाद, प्रशिक्षण सहायक

समन्वयन

बी.के. पंडा

प्रशासन और वित्त

एस. गोपाल, कुलसचिव
ओ. पी. शर्मा, वित्त अधिकारी
जी. एस. भारद्वाज, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
टी. आर. ध्यानी, अनुभाग अधिकारी
एम. एल. शर्मा, अनुभाग अधिकारी
पी. मणि, अनुभाग अधिकारी
आर. सी. शर्मा, अनुभाग अधिकारी

1993-94

परिशिष्ट–VI

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट : 1993-94

1993-94

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
वार्षिक लेखा : 1993-94
1.4.93 से 31.3.94 तक की

प्राप्तियां		
अर्थ शेष		
हस्तगत रोकड़ा	3,950,000.00	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक में रोकड़	3,737,792.30	7,688,792.30
भारत सरकार से प्राप्त सहायता		
योजनेत्तर	95,52,000.00	
योजना	4,500,000.00	14,052,000.00
कार्यालय प्राप्तियां		
लाइसेंस शुल्क	72,887.00	
पानी और बिजली बिल	6,500.00	
इ.डी.पी.आर. प्राप्तियां	0.00	
फोटोकापी प्राप्तियां	30,345.00	
स्टाफ कार इस्तेमाल करने का शुल्क	1,250.00	
अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री	5,485.00	
अन्य विविध प्राप्तियां	35,196.00	

1993-94

और प्रशासन संस्थान
1993-94
प्राप्तियां और भुगतान लेखा

भुगतान

संस्थागत व्यय		
वेतन : (योजनेत्तर)		
संकाय	3,457,220.00	
कार्यक्रम निष्पादन सहायता	1,061,187.00	
सामान्य प्रशासन	22,97,325.00	
वित्त तथा लेखा	444,708.00	
पेंशन और उपदान	413,052.00	
जी.पी.एफ/सी.पी.एफ. में नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज	714,608.00	
अवकाश वेतन तथा पेंशन	31,377.00	
यात्रा व्यय	60,569.00	8,480,046.00
स्टाफ प्रशिक्षण		4,800.00
वेतन : (योजना)		
संकाय	324,633.00	
कार्यक्रम निष्पादन सहायता	90,288.00	
सामान्य प्रशासन	108,637.00	
वित्त और लेखा	51,117.00	574,675.00
कार्यालय व्यय		
योजनेत्तर	1,180,651.24	
योजना	1,989,669.00	3,170,320.24

1993-94

प्राप्तियां

अवकाश वेतन तथा पेंशन	67,121.00	
पेंशन कर्त्ता का पूंजीगत मूल्य	86,519.30	
कार्यक्रम प्राप्तियां	907,982.30	1,213,285.60
छात्रावास किराया		342,426.00
उपहार तथा चंदे के रूप में प्राप्ति (पुस्तकालय के लिए पुस्तकें)		4,458.45
ब्याज		
ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज	43,260.00	
अल्पकालिक जमा राशि पर ब्याज	272,658.00	
जी.पी.एफ./सी.पी.एफ निवेश	6,327.00	
बचत बैंक लेखा पर ब्याज	0.00	322,245.00
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
कार्यक्रम और अध्ययन प्राप्तियां		3,775,588.00
वसूली योग्य पेशगियां		
संगणक पेशगी	14,640.00	
त्योहार पेशगी	48,600.00	
मोटरकार पेशगी	85,448.00	
स्कूटर पेशगी	40,045.00	

1993-94

भुगतान

छात्रावास		
आवर्ती व्यय (योजनेत्तर)	334,853.00	
गैर आवर्ती व्यय (योजना)	65,275.00	400,128.00
अकादमिक गतिविधियां (योजनेत्तर)		
कार्यक्रम व्यय	980,154.00	
विज्ञापन प्रभार	22,905.00	
टेलीफोन और ट्रंककाल प्रभार	546,544.00	
माइक्रोप्रोसेसर प्रभार	42,155.00	
फोटोकापी प्रभार	212,836.00	1,804,594.00
अकादमिक गतिविधियां (योजना)		
अनुसंधान गतिविधियां अध्ययन		
आवर्ती व्यय	569,060.00	569,060.00
सहायता योजना	5,816.00	
प्रकाशन	246,998.00	
पुस्तकालय पुस्तकें	252,516.00	
प्रलेख और पत्र पत्रिका प्रभार	425,590.00	930,920.00
अकादमिक सहायता		
भागीदारों का यात्रा व्यय	30,539.00	
संसाधन व्यक्तियों का यात्रा व्यय	100.00	
संसाधन व्यक्तियों का मानदेय	12,250.00	
विविध प्रभार	2,234.00	
मुद्रण और बाइंडिंग प्रभार	79,955.00	125,078.00
उपहार तथा दान (पुस्तकें)		4,458.45
फर्नीचार व साज समान	245,945.00	
अन्य कार्यालय उपकरण	2,171,570.00	
टाइपराइटर	0.00	

1993-94

प्राप्तियां

साइकिल पेशगी	3,980.00	
भवन निर्माण पेशगी	73,948.00	
पंखा पेशगी	800.00	267,461.00
विविध पेशगी प्राप्तियां		36,912.00
जी. एल. आई. सी. प्राप्तियां		84.00
योग		27,703,252.35

ह.
(ओ.पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1993-94

भुगतान

स्टाफ कार	0.00	2,417,515.00
जमा		
के. लो. नि. वि. के पास जमा (योजना)		980,929.00
प्रतिभूति जमा		7,500.00
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
आवर्ती व्यय	6,375,410.71	6,375,410.71
वसूली योग्य पेशगियां		
संगणक पेशगी	37,600.00	
त्यौहार पेशगी	51,000.00	
मोटरकार पेशगी	71,200.00	
स्कूटर पेशगी	1,200.00	
साइकिल पेशगी	1.200.00	
भवन निर्माण पेशगी	63,200.00	
पंखा पेशगी	400.00	236,600.00
रोकड़ बाकी		
हस्तगत रोकड़	0.00	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक में रोकड़	1,620,217.95	1,621,217.95
योग		27,703,252.35

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिलली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
रोकड़ बाकी का विवरण (31 मार्च 1994)

शीर्ष	रोकड़ जमा	अनुदान	अन्य प्राप्तियां	योग	भुगतान	शेष
योजनेत्तर	347,847.13	9,552,000.00	2,186,788.05	1,20,86,635.18	12,046,002.69	40,632.49
योजना	3,153,271.53	4,500,000.00	0.00	7,653,271.53	7,653,121.00	150.53
प्रायोजित कार्यक्रम	4,177,491.64	3,775,588.00	0.00	7,953,079.64	6,375,410.71	1,577,668.93
बयाना	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,500.00	2,500.00
राशि वसूली (एल.आई.सी.)	182.00	0.00	84.00	266.00	0.00	266.00
योग	7,688,792.30	17,827,588.00	2,186,872.05	27,703,252.35	26,082,034.40	1,621,217.95

ह.
(ओ.पी.शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और
प्रशासन संस्थान

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और
प्रशासन संस्थान

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
1993-94 का आय और व्यय लेखा

व्यय		आय		
स्थापना व्यय	9,054,721.00	सहायता अनुदान	14,052,000.00	
		सहायता अनुदान को छोड़कर कार्यालय वस्तुएं	2,482,790.00	
		पुस्तकालयों की पुस्तकें	252,516.00	11,316,694.00
कार्यालय व्यय	3,170,320.24	कार्यालय प्राप्तियां		1,213,285.60
स्टाफ प्रशिक्षण	4,800.00	छात्रावास किराया	342,426.00	
छात्रावास व्यय	334,853.00	पिछले साल का घटाकर वर्ष के दौरान व्यय	3,095.00 8,800.00	348,131.00
अकादमिक गतिविधियां	3,177,136.00	ब्याज		322,245.00
		आय से अधिक 1993-94 के दौरान व्यय		2,541,474.64
योग	15,741,830.24	योग		15,741,830.24

ह.
(ओ.पी.शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1993-94

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
तुलन पत्र (31 मार्च 1994)

देयताएं

पूंजीकृत अनुदान		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	32,952,052.59	
वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि	2,735,306.00	
परिवर्धन (समायोजन द्वारा)	3,013,188.00	
पूंजीनिवेश बट्टेखाते को घटाकर	102,747.15	
		38,597,799.44
प्रायोजित कार्यक्रम की प्राप्तियां		
पूंजीकृत प्राप्तियां	720,693.00	720,693.00
कोप/एम.आई.एस. परियोजना		
गत वर्ष की शेष राशि	769,872.00	
वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि	0.00	769,872.00
प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण :		
संचारेक्षण प्रणाली के गत वर्ष की शेष राशि	168,647.00	
वर्ष की शेष राशि	0.00	168,647.00
विश्व बैंक (इटावा परियोजना)		23,400.00
महाविद्यालयों का विकास		
(वि.अ. आयोग द्वारा प्रायोजित)		2,775.00

1993-94

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
तुलन पत्र (31 मार्च 1994)

परिसंपत्तियां

भूमि तथा भवन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	20,819,162.55	
परिवर्धन समायोजन द्वारा	3,013,188.00	
वर्ष के दौरान अन्य कारणों से बढ़ी राशि	0.00	
ठेकेदार से वापसी राशि घटाकर	2,706.00	23,829,644.55
फर्नीचर तथा अन्य खर्चे		
स्टाफ कार, टाइपराइटर तथा कम्प्यूटर आदि के खर्चों को शामिल करके :		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	10,817,468.42	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	2,482,790.00	
वर्ष के दौरान डिस्पोसल को घटाने पर	102,747.15	13,197,511.27
पुस्तकालय को पुस्तकें		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	3,090,270.93	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	252,516.00	
उपहार और दान के द्वारा बढ़ोत्तरी	4,458.45	
बट्टे खाते को घटाकर	0.00	3,347,245.38
भविष्य निधि निवेश		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	5,000,000.00	

1993-94

देयताएं

उपहार तथा दान (पुस्तकें)		
गत वर्ष की शेष राशि	89,462.31	
वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि	4,458.45	93,920.76
व्यय से अधिक आय		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	10,421,250.66	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	0.00	
व्यय को घटाकर	2,541,474.64	
वर्ष के दौरान व्यय को घटाकर	3,013,188.00	4,866,588.02
निर्धारित कार्यक्रम तथा अध्ययन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	4,198,178.04	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	3,775,588.00	
वर्ष के दौरान व्यय को घटाकर	6,375,410.71	1,598,355.33
भविष्य निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	5,796,484.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	3,211,209.00	
घटाए वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	1,681,272.00	7,326,421.00

1993-94

परिसंपत्तियां

वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	1,270,000.00	
घटाएं वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	0.00	6,270,000.00
जमा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	55,990.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	0.00	55,990.00
के.लो.नि. विभाग के पास जमा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	5,756,807.00	
वर्ष के दौरान बड़ी राशि	980,929.00	
वापसी घटाकर	0.00	
समायोजन घटाकर	3,013,188.00	
समायोजन द्वारा अतिरिक्त भुगतान	2,706.00	3,727,254.00
वसूली योग्य पेशगियां		
मोटरकार पेशगी	319,936.00	
गृह निर्माण पेशगी	435,102.00	
त्योहार पेशगी	35,040.00	
साइकिल पेशगी	810.00	
स्कूटर पेशगी	64,425.00	
कम्प्यूटर पेशगी	163,765.00	
पंखा पेशगी	0.00	1,019,078.00
विविध पेशगियां (नीपा) तुलन पत्र के अनुसार	45,012.00	

1993-94

देयताएं

बयाना		
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	10,000.00	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	2,500.00	
वर्ष के दौरान समाशोधन	10,000.00	2,500.00
जमा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	3,500.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	0.00	
वर्ष के दौरान समाशोधन	0.00	3,500.00

योग	54,174,471.55

ह.
(ओ.पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1993-94

परिसंपतियां

प्राप्तियां घटाकर	36,912.00	8,100.00
स्थानांतरण यात्रा व्यय पेशगी		7,000.00
विविध पेशगियां (एन.सी.टी.-II)		20,686.40
प्रेषित राशि		
जी.एस.अल.आई. योजना		
गतवर्ष की शेष राशि	4,732.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	0.00	
वर्ष के दौरान प्राप्ति को घटाकर	84.00	4,648.00
छात्रावास से प्राप्त आय		
गतवर्ष की शेष राशि	3,970.00	
वर्ष के दौरान की वसूली	3,095.00	
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	8,800.00	9,675.00
शेष रोकड़		
हस्तगत राशि (चैक)	0.00	
अग्रदाय	1,000.00	
चालू खाता (सी–4)	1,620,217.95	
पी.एफ.एस.बी. खाता (टी–2)	1,056,421.00	2,677,638.95
योग		54,174,471.55

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिलली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
31 मार्च 1994 तक के निर्धारित कार्यक्रम/अध्ययन का लेखा प्रपत्र

क्रम सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थ शेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय शिक्षक आयोग–II I. केंद्रीय तकनीकी एकक II. आयोग के दौरे का आयोजन	98,832.05	0.00	98,832.05	78,145.65	20,686.40
2.	अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजना मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा मंत्रालय)	24,923.36	0.00	24,923.36	10,000.00	14,923.36
3.	अनौपचारिक शिक्षा समेत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का प्रारंभिक तथा नवाचारी कार्यक्रम (कोप) तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एम.आई.एस. (मा.सं.वि. मंत्रालय)	437,228.30	0.00	437,228.30	327,428.00	109,800.30
4.	शिक्षा तथा रोजगार के बीच लाभकारी संबंधों का अध्ययन (योजना आयोग)	13,372.90	0.00	13,372.90	13,372.90	0.00
5.	मौजूदा सुविधाओं का अधिकाधिक प्रभावी प्रयोग (योजना आयोग)	18,037.00	0.00	18,037.00	5000.00	13,037.00
6.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा	877,989.14	442,109.00	1,320,098.14	1,081,281.00	238,817.14

1	2	3	4	5	6	7
7.	उच्च शिक्षा में क्षमता, गुणवत्ता और लागत का अध्ययन (वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)	20,954.13	0.00	20,954.13	3,000.00	17,954.13
8.	उच्च शिक्षा में संसाधन आवंटन की प्रविधि पर परियोजना (वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)	12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00
9.	कम्प्यूटर किराए पर लेकर उसके प्रभावी प्रयोग का अध्ययन (वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
10.	विकेंद्रीकरण के उपाय के रूप में व्यष्टि स्तरीय शैक्षिक योजना और प्रबंध (डॉ. ब्रह्म प्रकाश)	8,944.61	0.00	8,944.61	8,944.61	0.00
11.	पर्यावरण शिक्षा में अंतक्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (यूनेस्को) (डॉ. गोविंदा)	27,249.15	0.00	27,249.15	27,249.15	0.00
12.	पर्यावरण शिक्षा पर एक सप्ताह की राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी कार्यक्रम (यूनेस्को)	153,109.40	0.00	153,109.40	152,609.40	500.00
13.	शिक्षा में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग	208,712.00	0.00	208,712.00	90,833.00	117,879.00
14.	प्रारंभिक शिक्षा की संचारेक्षण प्रणाली	1,476,890.00	0.00	1,476,890.00	926,518.00	550,372.00

1	2	3	4	5	6	7
15.	उत्तर प्रदेश में सबके लिए शिक्षा (विश्व बैंक परियोजना) पूर्व परियोजना गतिविधियों (इटावा) में सहयोग	(–) 341,971.00	0.00	(–) 341,971.00	272,078.00	(–) 614,049.00
16.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना का मूल्यांकन अध्ययन	260,785.00	0.00	260,785.00	78,649.00	182,136.00
17.	प्रतिभाशाली छात्रों के लिए (देहात के) माध्यमिक स्तर पर छात्र-वृत्तियों का मूल्यांकन अध्ययन (मा. सं. वि. मंत्रालय)	60,361.00	100,000.00	160,361.00	88,655.00	71,706.00
18.	डी.आई.ई.टी. कार्यक्रम	84,908.00	0.00	84,908.00	0.00	84,908.00
19.	डाइट का कार्यक्रम (रामस्वरूप शर्मा)	13,295.00	151,342.00	164,637.00	164,637.00	0.00
20.	पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए डाइट का प्रशिक्षण कार्यक्रम	40,626.00	32,974.00	73,600.00	53,738.00	19,682.00
21.	स्कैप कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में विदेशों से नामित प्रशिक्षार्थियों का कार्यक्रम	9,000.00	0.00	9,000.00	7,000.00	2,000.00
22.	लोक जुंबिश परियोजना	51,284.00	0.00	51,284.00	51,284.00	0.00
23.	सार्क विशेषज्ञों की बैठक	(–) 78,816.00	78,816.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
24.	भारत में विश्वविद्यालयों के विकास की प्रवृत्ति (वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)	41,130.00	20,000.00	241,130.00	190,131.00	50,999.00
25.	आधारभूत स्तर पर महिलाओं का कल्याण (मा.सं.वि. मंत्रालय)	145,975.00	49,250.00	195,225.00	185,957.00	9,268.00
26.	शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विकास (वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)	81,039.00	0.00	81,039.00	129,913.00	(–) 48,874.00
27.	भारत में शिक्षा का विकास	(–) 7,262.00	0.00	(–) 7,262.00	0.00	7,262.00
28.	नीपा में शैक्षिक योजना और प्रबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम– चीन के वैज्ञानिक तकनीकी संघ के छह सदस्य	147,930.00	0.00	147,930.00	75,893.00	72,037.00
29.	उत्तर प्रदेश में शैक्षिक अनुसंधान तथा मूल्यांकन सामर्थ्य का निर्धारण (विश्व बैंक परियोजना (चरण –II)	312,708.00	0.00	312,708.00	291,708.00	21,000.00
30.	कार्य योजना के लिए पश्चिम क्षेत्र की बैठक तथा कार्यशाला	(–) 13,806.00	13,806.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
31.	उच्च शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं का मूल्यांकन (श्रीमती इंदिरसेन)	0.00	30,000.00	30,000.00	21,637.00	8,363.00
32.	सामाजिक सुरक्षा कवच योजना (मा. सं. वि. मंत्रालय)	0.00	300,000.00	300,000.00	404,872.0	(–) 104,872.00
33.	महिलाओं की स्थिति और विकृति विज्ञान (चरण–I)	0.00	474,600.00	474,600.00	50,694.00	1,19003.00
34.	केब पंचायती राज संस्थान (मा. सं. वि. मंत्रालय)	0.00	175,000.00	175,000.00	55,997.00	423,906.00
35.	केब पंचायती राज संस्थान (यूनीसेफ)	0.00	250,000.00	250,000.00	209,013.00	40,987.00
36.	प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पर्यावरण शिक्षा	0.00	0.00	0.00	10,215.00	(–) 10,215.00
37.	महाविद्यालयों की योजना और प्रबंधन में अभिविन्यास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	171,337.00	(–) 171,337.00
38.	बेस लाईन अध्ययन (केरल) बेस लाईन अध्ययन (कर्नाटक)	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	443,892.00 587,015.00	369,093.00

1	2	3	4	5	6	7
39.	सेवारत प्रशिक्षणार्थियों के लिए योजना और प्रबंध प्रक्रिया का अध्ययन	0.00	0.00	0.00	600.00	(–) 600.00
40.	सबके लिए शिक्षा– नौवां अधिवेशन	0.00	0.00	0.00	85,869.00	(–) 85,869.00
41.	स्रोत पुस्तक की तैयारी (कांट. नं. 818/6391 /254) (276)	0.00	15,549.00	15,549.00	5,495.00	10,054.00
42.	शैक्षिक विकास में विकेंद्रीकृत भागीदारी पर क्षेत्रीय संगोष्ठी	0.00	62,142.00	62,142.00	0.00	62,142.00
	योग	4,198,178.04	3,775,588.00	7,973,766.04	6,375,410.71	1,598,355.33

ह.
(ओ.पी.शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
वर्ष 1993-94 के लिए जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. की प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

प्राप्ति		भुगतान	
अर्थ शेष	796,484.00	पेशगियां और निकासी	1,681,272.00
अंशदायी तथा पेशगियों की वापसी	2,471,401.00	आवर्ती जमा निवेश	1,270,000.00
जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. पर ब्याज और नियोक्ताओं का अंशदान	739,808.00	अंत शेष	1,056,421.00
योग	4,007,693.00	योग	4,007,693.00

ह.
(ओ.पी.शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1993-94

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के 31 मार्च 1994 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आगत और भुगतान लेखा/आय और व्यय लेखा तथा 31 मार्च 1994 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में तथा मेरी जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण एवं संस्थान की बहियों में दर्शाए गए विवरणों के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा संस्थान के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.3.1995

ह.
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
केंद्रीय राजस्व

1993-94

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान की लेखा परीक्षा रिपोर्ट – 1993-94

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) पहले शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ़ कालेज के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1360 के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया था। संस्थान का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के कार्यों का मार्गदर्शन करना तथा अनुदान और सह–अनुसंधान के माध्यम से इन क्षेत्रों के कार्यों में पर्याप्त रूप से विकास करना है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) (कार्य, शक्ति और सेवा शर्तें) के तहत पांच वर्षों (1991-92 से 1995-1996) के लिए संस्थान की लेखा परीक्षा सुपुर्द की गई है।

संस्थान की वित्तीय व्यवस्था केंद्रीय सरकार व अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए अनुदान पर आधारित है। वर्ष 1992-93 और 1993-94 की प्राप्तियां व भुगतान का विश्लेषण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	*विवरण*	*प्राप्तियां (लाख रु. में)*	
		1992-93	*1993-94*
1.	अर्थ शेष	79.69	76.89
2.	सरकार द्वारा अनुदान		
	(अ) योजना	73.00	45.00
	(ब) योजनेत्तर	93.00	95.52
		166.00	**140.52**

उत्तर

कोई टिप्पणी नहीं

1993-94

क्र.सं.	विवरण	प्राप्तियां (लाख रु. में) 1992-93	1993-94
3.	प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्तियां	23.59	37.75
4.	अन्य प्राप्तियां	22.80	21.87
		46.39	**59.62**
	योग	**292.08**	**277.03**

क्र.सं.	विवरण	भुगतान (लाख रु. में) 1992-93	1993-94
1.	स्थापना/कार्यालय व्यय	102.48	125.65
2.	अकादमिक कार्यक्रम	29.63	31.77
3.	पूंजीगत व्यय	17.11	27.40
4.	प्रायोजित कार्यक्रम	36.41	63.75
5.	अन्य	29.56	12.25
6.	अंत शेष	76.89	16.21
	योग	**292.08**	**277.03**

लेखा पर टिप्पणियां

1. **(अ) प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों पर रु. 10,42,478/– का अतिरिक्त व्यय**

यह भी पाया गया कि वर्ष 1994 के अंत में संस्थान ने निम्नांकित सात कार्यक्रमों/अध्ययनों पर 10.42 लाख रुपए अधिक खर्च किए। इन

1993-94

कार्यक्रमों/अध्ययनों के लिए दूसरे विभागों से विशेष अनुदान प्राप्त हुए थे।

क्र.सं.	*कार्यक्रम/अध्ययन का नाम*	*अतिरिक्त अनुदान (रुपए में)*
1.	सभी के लिए शिक्षा— उत्तर प्रदेश परियोजनापूर्व गतिविधियों के लिए विश्वबैंक द्वारा सहायता (इटावा परियोजना)	(—) 6,14,049.00
2.	आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े ज़िलों में कालेजों का विकास (वि.अ.आ.)	(—) 48,874.00
3.	भारत में शिक्षा का विकास	(—) 7,262.00
4.	सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क योजना (मा.सं.वि. मंत्रालय)	(—) 1,04,872.00
5.	प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के लिए पर्यावरणीय शिक्षा	(—) 10,215.00
6.	कालेजों की योजना और प्रबंधन पर अभिविन्यास कार्यक्रम	(—) 1,71,337.00
7.	सभी के लिए शिक्षा पर नौवां शिखर सम्मेलन	(—) 85,869.00
	योग	**(—) 10,42,478.00**

संस्थान ने (फरवरी 1995) स्पष्ट किया कि क्रम सं. 2 से 7 तक की परियोजनाओं पर किए गए अतिरिक्त व्यय को प्राप्त किया जा चुका है। क्रम सं. 1 से संबंधित परियोजना की अतिरिक्त व्यय राशि को मंत्रालय के दिनांक 30 सितंबर 1992 के निर्देशों के अनुसार संस्थान के बजट से पूरा करना था मगर यह मामला अभी विचाराधीन है।

कोई टिप्पणी नहीं

1993-94

1. (ब) खर्च से बचे हुए रु. 4,92,384.00 की शेष राशि का अनाधिकृत रूप से प्रतिधारण

मार्च 1994 के अंत में संस्थान के पास रु. 4.92 लाख की शेष राशि मिली जिन्हें खर्च नहीं किया गया था। यह राशि निम्नांकित 10 कार्यक्रमों/अध्ययनों पर खर्च की जानी थी। इसके लिए दूसरे विभागों से अनुदान प्राप्त हुए थे। यद्यपि इनसे संबंधित रिकार्ड लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्र.सं.	*प्रायोजित कार्यक्रम/ अध्ययनों का नाम*	*खर्च से बची हुई शेष राशि (रुपए में)*
1.	राष्ट्रीय अध्यापक आयोग–II (i) केंद्रीय तकनीकी एकक (ii) आयोग के दौरों का आयोजन	20,686.40
2.	अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रायोगिक परियोजना–मूल्यांकन अध्ययन	14,923.00
3.	मौजूदा सुविधाओं का प्रभावी उपयोग	13,037.00
4.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा	2,38,817.14
5.	उच्च शिक्षा में समता, गुणवत्ता और लागत का अध्ययन	17,954.13
6.	उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों के निर्धारण की प्रणाली पर परियोजना	10,000.00
7.	जि.शि.प्र.सं. कार्यक्रम	84,908.00
8.	जि.शि.प्र. संस्थानों के पुस्तकाध्यक्षों के लिए कार्यक्रम	19,862.00
9.	स्रोत पुस्तिका की तैयारी	10,054.00
10.	शैक्षिक विकास में विकेंद्रीकृत भागीदारी पर क्षेत्रीय संगोष्ठी	62,142.00
	योग	**4,92,383.67**

1993-94

संस्थान ने स्पष्ट किया (फरवरी 1995) कि जारी प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों से संबंधित राशि अभिकरणों के उत्तरवर्ती स्वीकृत अनुदानों के रूप में समायोजित कर ली जाती है।

कोई टिप्पणी नहीं

II. नीपा में स्वीकृत प्रपत्रों में लेखा का अनुरक्षण न किया जाना

जुलाई 1979 में शिक्षा विभाग, शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के लेखा से संबंधित प्रपत्रों की स्वीकृति प्रदान की थी।

संस्थान ने स्पष्ट किया (फरवरी 1995) कि स्वीकृत प्रपत्रों में लेखा संबंधी विवरण भरे गए हैं मगर संस्थान के विभिन्न गतिविधियों की पूरी तरह स्पष्ट झलक प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे संबंधित खर्चे को उप–शीर्ष/निम्न शीर्ष के लेखे में ही प्रदर्शित किया जाता है। यद्यपि वर्ष 1995-96 का लेखा स्वीकृत संक्षिप्त प्रपत्र में ही तैयार किया जाएगा। वर्ष 1994-95 का लेखा भी स्वीकृत संक्षिप्त प्रपत्र में तैयार किया जा सकता है।

कोई टिप्पणी नहीं

ह.

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.3.1995

महानिदेशक, लेखा परीक्षा
केंद्रीय राजस्व

LIBRARY & DOCUMENTATION C...
National Institute of Education...
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-9374
DOC, No 5.12.96
Date

नीपा स्टाफ के साथ अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के भागीदार

निदेशक, नीपा के साथ उगांडा के शिक्षा मंत्री पुस्तकालय का अवलोकन करते हुए

नीपा स्टाफ के साथ राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम के भागीदार

सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक सत्र